



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व और पश्चात्
विद्युत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन पर निष्पादन प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 5

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

**उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व और पश्चात्
विद्युत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन पर¹
निष्पादन लेखापरीक्षा
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**

**मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 5**

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		iii
कार्यकारी सारांश		v-viii
अध्याय: 1		
प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
मध्य प्रदेश में योजना का कार्यान्वयन	1.2	1
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	2
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.5	3
अभिस्वीकृति	1.6	3
अध्याय: 2		
विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नराउण्ड से संबंधित गतिविधियाँ		
उदय योजना में वित्तीय गतिविधियों का उद्देश्य	2.1	6
उदय योजना में वित्तीय गतिविधियों का कार्यान्वयन	2.2	6
लक्ष्य एवं उपलब्धि के साथ उदय से पूर्व एवं पश्चात् की वित्तीय स्थिति	2.3	6
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम	2.4	7
समझौता ज्ञापन में शामिल करने हेतु ऋण की पात्र राशि का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	2.4.1	7
समझौता ज्ञापन में दायित्व के अनुसार ऋण अधिग्रहण में कमी	2.4.2	8
ऋणों के पुनर्भुगतान में पायी गई कमियाँ	2.4.3	9
बांड जारी करने में पायी गई कमियाँ	2.4.4	10
हानियों को निम्नतम करने के लिए वित्तीय गतिविधियां	2.5	11
सब्सिडी की सहायता प्रदान किए बिना बकाया राशि की माफ़ी	2.5.1	12
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी जारी न करना	2.5.2	13
राज्य सरकार पर बकाया राशि की वसूली न होना	2.5.3	13
सरकारी गारंटी प्रदान करने में विफलता के कारण परिहार्य दंडात्मक ब्याज	2.5.4	14
भविष्य की हानियों के अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे	2.5.5	15
उदय के पश्चात् वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति	2.6	16
अध्याय: 3		
विद्युत वितरण कंपनियों के परिचालन टर्नराउण्ड से संबंधित गतिविधियाँ		
उदय योजना में परिचालन गतिविधियों का उद्देश्य	3.1	17
उदय योजना में परिचालन गतिविधियों का कार्यान्वयन	3.2	17
लक्ष्य एवं उपलब्धि के साथ उदय से पूर्व और पश्चात् की परिचालन स्थिति	3.3	18
परिचालनात्मक गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम	3.4	19
एटीएंडसी हानियों में कमी के लक्ष्यों का प्राप्त न होना	3.4.1	19
बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार के लक्ष्यों का प्राप्त न होना	3.4.2	20
समझौता ज्ञापन में एसीएस-एआरआर अंतर के अनुमानों का गलत निर्धारण	3.4.3	21

विषय	संदर्भ	
	कण्डिकाएँ	पृष्ठ संख्या
एसीएस—एआरआर अंतर को समाप्त करने में विफलता	3.4.4	23
आपूर्ति की औसत लागत में कमी करने में विफलता	3.4.5	24
विद्युत क्रय लागत में कमी करने में विफलता	3.4.5.1	24
औसत राजस्व प्राप्ति को सुधारने में विफलता	3.4.6	28
द्वारा—अप याचिकाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.4.6.1	28
टैरिफ के माध्यम से मानदंडों से अधिक किए गए व्यय की वसूली न होना	3.4.6.2	29
उपभोक्ताओं की कम बिलिंग के कारण राजस्व की हानि	3.4.6.3	30
राजस्व बकाया की वसूली में विफलता	3.4.6.4	31
लक्षित परिचालन गतिविधियों के निष्पादन में कमियां	3.4.6.5	32
वितरण कंपनियों की उदय के पश्चात् की परिचालन स्थिति	3.5	35
उदय के अंतर्गत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी	3.6	36
मांग पक्ष प्रबंधन से संबंधित लक्षित गतिविधियों की अप्राप्ति	3.6.1	36
उपक्रम संसाधन योजना प्रणाली (ईआरपी) का अपूर्ण कार्यान्वयन	3.6.2	37
अध्याय: 4		
उदय पश्चात् विश्लेषण		
उदय के पश्चात् विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति	4.1	39
विद्युत वितरण कंपनियों की उदय के पश्चात् की परिचालन स्थिति	4.2	41
अध्याय: 5		
निष्कर्ष और अनुशंसाएँ		
निष्कर्ष	5.1	45
अनुशंसाएँ	5.2	45
परिशिष्ट		
1 विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया ऋणों का विवरण 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार	2.4.1 और 2.4.4	47
2 विद्युत वितरण कंपनी वार सरकारी विभागों पर 2015–16 से 2020–21 तक बकाया देय राशि	2.5.3	48
3 समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य से अधिक एटीएंडसी हानियों के कारण विद्युत वितरण कंपनियों को हुई हानि	3.4.1	49
4 समझौता ज्ञापन में गलत गणना / धारणाओं के कारण विद्युत क्रय लागत, कर्मचारियों की लागत, ब्याज और वित्त लागत पर वर्ष—वार प्रभाव	3.4.3	50
5 विद्युत वितरण कंपनी वार एसीएस—एआरआर में अंतर का लक्ष्य और उपलब्धि	3.4.4	51
6 नियंत्रणीय मापदंडों के कारण एमपीपीएमसीएल को वर्ष 2016–17 से 2019–20 में प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ	3.4.5.1 ब	52
7 विभिन्न कारणों से अधिक व्यय के कारण एसीएस पर प्रभाव	3.4.5.1 स	53
8 उपभोक्ताओं की कम बिलिंग के कारण राजस्व की हानि	3.4.6.3	54
9 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपक्रम संसाधन प्रणाली में कार्यान्वयन नहीं की गई गतिविधियों का विवरण	3.6.2	56

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत मध्य प्रदेश राज्य के विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में ‘विद्युत वितरण कंपनियों के उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के पूर्व एवं पश्चात् का प्रदर्शन’ विषय पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के वर्ष 2016–17 से 2020–21 (योजना की कार्यान्वयन अवधि) तक की अवधि से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण उनमें से हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए प्रकरणों पर आधारित हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारतीय विद्युत क्षेत्र मूल्य शृंखला उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र में विभक्त है। विद्युत उत्पादक स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा, विद्युत वितरण कंपनियों के क्षेत्र में पारेषित की जाती है। तत्पश्चात् वोल्टेज को कई चरणों में कम करते हुए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक पहुचाई जाती है।

मध्य प्रदेश में वितरण कंपनियों¹ की नियंत्रक कंपनी अर्थात् मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) समस्त वितरण कंपनियों की तरफ से विद्युत उत्पादक कंपनी से विद्युत क्रय करने के लिये उत्तरदायी है। तत्पश्चात्, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय समय पर अनुमोदित टैरिफ दरों पर वितरण कम्पनियाँ विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय करती हैं। जब वितरण कंपनियाँ अपने परिचालन से अर्जित राजस्व से, अपने देय एवं विद्युत क्रय बिल का भुगतान करने में असमर्थ होती हैं, तब वितरण कम्पनियाँ विभिन्न स्रोतों जिसमें प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश सरकार, पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड इत्यादि से उधार लेने का कदम उठाती हैं।

चूँकि, वितरण कम्पनियाँ विद्युत अनुक्रम में मूल स्तर पर हैं, अतः अंतिम उपभोक्ताओं के लिए कार्य करने के कारण वे वित्तीय एवं परिचालन स्थिरता के सन्दर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वितरण कम्पनियाँ विभिन्न कारणों से परिचालन एवं वित्तीय अक्षमताओं से जूझ रही हैं जिनमें से कुछ कारणों की चर्चा इस प्रतिवेदन में की गयी है।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) वितरण कंपनियों की वित्तीय एवं परिचालन स्थिति में सुधार एवं प्रोत्साहन के द्वारा जीर्णधार करने हेतु लायी गयी थी। उदय योजना हेतु विद्युत मंत्रालय, (भारत सरकार), ऊर्जा विभाग, (मध्य प्रदेश सरकार) एवं वितरण कंपनियों की तरफ से मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 10 अगस्त 2016 को हस्ताक्षर किया गया था।

उदय योजना के निष्पादन का विश्लेषण करते समय इस प्रतिवेदन में वितरण कंपनियों के मुख्यतः दो विषयों, वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है।

उदय योजना में वितरण कंपनियों के ऋण एवं संचित हानियों को न्यूनतम/ समाप्त करके वितरण कंपनियों की वित्तीय टर्नराउंड की परिकल्पना की गयी, जिससे योजना पूर्ण होने तक वितरण कंपनियाँ वित्तीय स्थिति में स्थिरता प्राप्त कर सकें।

उदय योजना के प्रारंभ से पूर्व, वितरण कंपनियाँ बकाया ऋण के भार से जूझ रही थीं एवं कंपनियों के व्यय का एक बड़ा हिस्सा ऋण शोधन पर खर्च किया गया था। उदय पूर्व (सितम्बर 2015) वितरण कंपनियों के ऋण ₹ 34,739 करोड़ शेष थे।

उदय योजना के तहत वितरण कंपनियों की चली आ रही हानि/ ऋण को समाप्त करने की परिकल्पना की गयी। यह माना गया कि यदि एक बार वितरण कंपनियों की हानि/ ऋण को न्यून कर दिया जाये तो कंपनियाँ एक नयी शुरुआत कर सकेंगी एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। अतः उदय योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों की 30 सितम्बर 2015 को कुल बकाया ऋण का 75 प्रतिशत, जो कि ₹ 26,055 करोड़ था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाना था एवं साथ ही वर्तमान एवं भविष्य की हानियों को श्रेणीबद्ध रूप से अधिग्रहित किया जाना था।

इन ऋणों का अधिग्रहण, जो कि उदय योजना के अंतर्गत वित्तीय पुनर्संरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया था, अत्यधिक रूप में अपने लक्ष्य से दूर रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने समझौता ज्ञापन के अनुसार अधिग्रहण हेतु निर्धारित कुल ऋण ₹ 26,055 करोड़ में से केवल ₹ 12,690 करोड़ ही अधिग्रहित किया। इस प्रकार अपूर्ण ऋण अधिग्रहण के कारण, उदय योजना के पश्चात् भी वितरण कंपनियों के ऋण स्थिति में सुधार करने में सहायक नहीं हो सका।

¹ मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर।

मध्य प्रदेश सरकार वितरण कंपनियों का स्वामी होने के साथ—साथ वितरण कंपनियों के मुख्य उपभोक्ताओं में से भी एक है। यह पाया गया कि मध्य प्रदेश सरकार उपभोक्ता के रूप में वितरण कंपनियों को विद्युत भुगतान करने में अनियमित रही थी। केवल मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर ही ₹ 1,606.23 करोड़ विद्युत देय का बकाया था।

मध्य प्रदेश सरकार समय—समय पर कुछ विशिष्ट श्रेणी के उपभोक्ताओं के विद्युत देय पर सब्सिडी देकर सामाजिक—आर्थिक समन्वय बनाने के माध्यम के रूप में वितरण कंपनियों का प्रयोग करती है। योजनाओं की प्रकृति के अनुसार, कभी मध्य प्रदेश सरकार को स्वयं, कभी वितरण कंपनियों एवं सरकार दोनों को सब्सिडी का प्रभार वहन करना पड़ता है। सब्सिडी का वह हिस्सा जो वितरण कम्पनियाँ वहन करती है, उससे कंपनियों के राजस्व वसूली पर असर पड़ता है क्योंकि इससे वितरण कंपनियों की वाणिज्यिक प्राप्ति में कमी आती है (उदाहरणस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित बिजली बिल माफी योजना)। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की गई सब्सिडी राशि की क्षतिपूर्ति वितरण कंपनियों द्वारा आवश्यक बिल जारी कर की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार से न वसूल हो पाई सब्सिडी के हिस्से ने वितरण कंपनियों के वित्तीय स्थिति को और ज्यादा ही ख़राब कर दिया। मार्च 2020 की समाप्ति पर मध्य प्रदेश सरकार से वसूली योग्य देय (₹ 2,453.85 करोड़²) अकेले ही कुल ऋण (₹ 34,727.04 करोड़) का सात प्रतिशत थी। सब्सिडी दावों के सापेक्ष एवं सरकार पर विद्युत देय के बकाये के सापेक्ष एवं अन्य क्रियाकलापों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण, वितरण कंपनियों को उदय योजना की कार्यान्वयन अवधि में ₹ 11,200 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लेना पड़ा। इससे वितरण कंपनियों पर ब्याज का भार बढ़ गया, परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अपने टैरिफ आदेशों में वितरण कंपनियों के कुछ व्यय अस्वीकार करता है ताकि वितरण कम्पनियों की अक्षमता का असर सामान्य नागरिकों पर न पड़े। चूँकि वितरण कंपनियों की ऋण में वृद्धि से उत्पन्न लागत वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा राजस्व वृद्धि में परिवर्तित नहीं होता है। इससे एक हानिकारक दुष्क्र क्षमता हो जाता है, जिससे लागत एवं राजस्व में वर्ष दर वर्ष अन्तर बढ़ता जाता है एवं वर्ष दर वर्ष हानि होते हुए अंततः वृहद् संचित हानियों में परिवर्तित हो जाता है।

वितरण कंपनियों के पास दू—अप याचिकाओं के द्वारा अपने कुछ व्यय वापस प्राप्त करने का अवसर होता है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी वार्षिक टैरिफ में निर्धारित विद्युत दर पर, वितरण कम्पनियाँ अपनी प्रतिवर्ष वास्तविक व्यय की पर्याप्त रूप से पूर्ति नहीं कर पाती हैं। वितरण कंपनियाँ आयोग में दू—अप याचिकाएं प्रस्तुत कर लागत एवं राजस्व के अंतर को कुछ सीमा तक समाप्त करती हैं। यद्यपि, यह पाया गया है कि वितरण कंपनियों की दू—अप याचिकाएं बहुत विलंबित हुई थीं, जिससे कभी कभी वितरण कंपनियों की संभावित राजस्व प्राप्ति तीन वर्षों तक विलंबित हो गयी।

इस प्रकार अपर्याप्त ऋण अधिग्रहण के साथ साथ विभागों पर विद्युत बकाया/ भुगतान नहीं की गयी सब्सिडी राशि एवं विलंबित दू—अप याचिकाओं के कारण और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ₹ 12,690 करोड़ ऋण अधिग्रहण के उपरांत भी योजना कार्यान्वयन अवधि में वितरण कंपनियों के ऋण शेष में सिर्फ ₹ 12 करोड़ की ही कमी आयी।

उदय योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों के परिचालन टर्नराउंड लक्षित किया गया था। वर्ष 2020 में समाप्त उदय योजना उपरांत वितरण कंपनियों में निम्नलिखित परिचालन सुधार अपेक्षित किये गए थे:

- वर्ष 2019–20 तक समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि का स्तर कम करके 15 प्रतिशत तक ले आना, और
- आपूर्ति की औसत लागत³ एवं औसत राजस्व प्राप्ति⁴ के बीच अंतर को 2019–20 तक समाप्त करना था।

² ₹ 1,606.23 करोड़ बकाया विद्युत बिल और ₹ 847.62 करोड़ बकाया सब्सिडी।

³ आपूर्ति की औसत लागत का अर्थ है एक विशिष्ट अवधि के दौरान ऊर्जा, के कुल इनपुट से विभाजित कुल व्यय।

⁴ औसत राजस्व प्राप्ति का अर्थ है कुल राजस्व (प्राप्ति के आधार पर सब्सिडी एवं अन्य सभी आय सहित) को एक विशिष्ट अवधि के दौरान ऊर्जा के कुल इनपुट से विभाजित किया जाना है।

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार एवं वितरण कंपनियों द्वारा योजना में निर्धारित गतिविधियाँ समयबद्ध रूप से करना आवश्यक था।

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि ही वितरण कंपनियों के प्रदर्शन का असली मापक है क्योंकि इसमें तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों हानियाँ समाहित होती है। ऐसा देखा गया कि समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि की गणना भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियम के अनुरूप नहीं की गयी थी। अतः जिसके कारण समझौता ज्ञापन में प्रदर्शित लक्ष्य कम प्रदर्शित थे एवं वितरण कम्पनियाँ बहुत अधिक अन्तर के साथ लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहीं।

उदय योजना अवधि में, वाणिज्यिक हानि, जो समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि का एक बड़ा हिस्सा होता है, को कम नहीं किया जा सका। वाणिज्यिक हानि निरंतर उच्च स्तर पर ही रही क्योंकि इस अवधि में वितरण कंपनियों की संग्रह क्षमता 97 प्रतिशत से कम होकर 86 प्रतिशत हो गयी जबकि बिलिंग क्षमता सिर्फ 77 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो पायी।

बिलिंग क्षमता की लक्ष्य प्राप्ति में कमी का मुख्य कारण वितरण हानियों का ज्यादा होना, स्मार्ट मीटर एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित न किया जाना, अंतरिम बिलिंग के अधिक मामले, एवं बिलिंग में कमियाँ जैसे गलत टैरिफ श्रेणी में बिलिंग इत्यादि थी। संग्रह क्षमता में कमी का कारण, बकाया राजस्व की वसूली न हो पाना, भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के कारण संचित बकाया, स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं की वसूली की निगरानी न हो पाना इत्यादि है।

अतः वितरण कंपनियों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि जिसे 15 प्रतिशत के स्तर तक लाया जाना था, वर्ष 2015–16 में 23.45 प्रतिशत की तुलना में 2019–20 में बढ़कर 33.08 प्रतिशत तक पहुंच गयी।

परिचालन टर्नराउंड का लक्ष्य प्राप्त करने का दूसरा प्रमुख मानदंड, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को घटाकर शून्य करना था। आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर ही परिचालन टर्नराउंड का मूल संकेतक है, क्योंकि यह वितरण कंपनियों की वाणिज्यिक स्थिरता को बताता है। चूँकि यह विद्युत क्रय की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के अन्तर को बताता है इसलिए पूर्ववर्ती जितना कम होगा, पश्चात्वर्ती उतना ही अधिक होगा, जो वितरण कंपनियों हेतु वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य होगा।

जिस प्रकार समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि का लक्ष्य त्रुटिपूर्ण ढंग से परिकल्पित किया गया वैसे ही आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर के परिकल्पना में त्रुटि की गयी। हमने पाया कि विद्युत क्रय लागत, कर्मचारियों की लागत एवं ब्याज तथा वित लागत का आंकलन कम किया गया, जिस कारण से समझौता ज्ञापन में वर्ष 2015–16 से 2019–20 के बीच के आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर की परिकल्पना को कम किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि वितरण कंपनियों ने अनुमोदित विधि से आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर की गणना नहीं की। परिणामस्वरूप समझौता ज्ञापन में त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण कंपनियों की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही थी, बल्कि वास्तव में योजना अवधि में कोई भी वितरण कंपनी आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को समाप्त न कर सकी।

औसत राजस्व प्राप्ति, ऊर्जा आपूर्ति पर उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार प्रभारित राशि से प्राप्त कुल राजस्व एवं राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी के योग को, वितरण कंपनियों के कुल इनपुट ऊर्जा से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। वितरण कम्पनियाँ, समझौता ज्ञापन में लक्षित किये गए औसत राजस्व प्राप्ति को प्राप्त न कर सकी। इसका एक प्रमुख कारण दू—अप याचिकाओं को विलम्ब से प्रस्तुत करना था, जिसके कारण टैरिफ में अनुमोदन के योग्य व्यय को वसूल नहीं किया जा सका।

उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण बिलिंग के कई सारे प्रकरण पाए गए, जैसे कि उपभोक्ताओं पर अनुचित टैरिफ श्रेणी लागू करना, जो की वितरण कंपनियों के लिए हानिकारक साबित हुए, जिसके कारण वितरण

कंपनियाँ अपनी वैध देय राशि से कम राजस्व वसूल पायीं। कम वसूली का दूसरा प्रमुख कारण, बकाया / सब्सिडी दावों की वसूली में विफलता थी।

वितरण कंपनियाँ निधि की कमी के कारण आधारभूत संरचना के कार्य जैसे स्मार्ट मीटर स्थापित करना, फीडर / डीटी मीटर लगाना, फीडर विभक्तिकरण इत्यादि जैसे अतिआवश्यक कार्य में निवेश करने से वंचित रह गई। जिसके परिणामस्वरूप निरंतर कम दक्षता के साथ परिचालन करने के कारण, कम राजस्व की प्राप्ति हई। कम राजस्व की प्राप्ति से निधि में कमी आयी, जिसके कारण हानिकारक दुष्क्र बनता एवं निरंतरता प्राप्त करता गया, जिस हानिकारक दुष्क्र को समाप्त करने हेतु उदय योजना लायी गयी थी। एक तरफ लागत में वृद्धि हो रही थी दूसरी तरफ राजस्व में कमी आ रही थी जिसके कारण आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर बढ़ता चला गया जिससे वितरण कंपनिया आत्मनिर्भर नहीं बन सकी। आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को 2019–20 तक घटाकर शून्य तक लाना था, परन्तु 2019–20 में यह ₹ (0.83) प्रति यूनिट ही हो पाया।

उदय योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान, वित्तीय टर्नराउंड की तरह ही परिचालन टर्नराउंड का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि वितरण कंपनियाँ न ही आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति के बीच का अंतर समाप्त कर सकी एवं न ही समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि को लक्ष्य के अनुरूप कम कर सकी। अतः उदय योजना के दोनों ही उद्देश्य केवल दस्तावेजों तक सीमित रहे। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि वितरण कंपनियों ने सभी मोर्चों पर लगभग निम्नतर प्रदर्शन किया।

अध्याय १

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

भारतीय विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों में विभाजित है। वितरण क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियाँ शामिल हैं जो राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) एवं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ आदेशों में अनुमोदित दरों पर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से विद्युत की क्रय एवं बिक्री करती हैं। यह क्षेत्र वित्तीय एवं परिचालन स्थिरता के मामले में सबसे कमजोर कड़ी है। मध्य प्रदेश में, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ज.कं.लि.), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.कं.लि.), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.कं.लि.)} में बांटने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार हस्तानांतरण योजना, 2003 (म.प्र.वि.क्षे.सु.ह. योजना, 2003) तैयार की (30 सितम्बर 2003)। मध्य प्रदेश में राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियाँ परिचालन घाटे के एक दुष्क्र के फंस गई थीं, जिसको ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था।

केंद्र एवं राज्य सरकारों ने समय-समय पर विद्युत वितरण कंपनियाँ के परिचालन एवं वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं एवं पहल शुरू की थीं, जिन्हें सीमित सफलता मिली एवं विद्युत वितरण कंपनियाँ अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर एक क्षति के रूप में बनी हुई है।

नवंबर 2015 के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों¹ के परिचालन दक्षता एवं वित्तीय टर्नराउंड में सुधार के दोहरे उद्देश्य के साथ उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय, यहाँ से आगे योजना के रूप में संदर्भित की गई है) की शुरुआत की। इस योजना की परिकल्पना एक पथप्रदर्शक सुधार के रूप में सभी के लिए सस्ती एवं सुलभ 24x7 विद्युत की संकल्पना को साकार करने के लिए की गई थी।

1.2 मध्य प्रदेश में योजना का कार्यान्वयन

योजना के दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों) के तहत आवश्यक था कि संबंधित राज्य सरकारों, वितरण कंपनियों एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य राज्य सरकारों, वितरण कंपनियों एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के उत्तरदायित्वों को निर्धारित करने हेतु योजना में वर्णित वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएं।

तदनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल, म. प्र. विद्युत वितरण कंपनियों की नियंत्रक कंपनी) के मध्य 10 अगस्त 2016 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस योजना में निम्नलिखित वित्तीय एवं परिचालन परिणामों की परिकल्पना की गई थी:

- **वित्तीय परिणाम:** विद्युत वितरण कंपनियों के बकाया ऋणों में कमी एवं विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय घाटे में कमी;

¹ योजना के संदर्भ में विद्युत वितरण कंपनियों के अन्तर्गत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं।

- **परिचालन परिणाम:** एटीएंडसी हानियों को 2019–20 तक कम करके 15 प्रतिशत के स्तर तक लाना एवं औसत आपूर्ति लागत (एसीएस)² एवं औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर)³ के बीच के अंतर को 2019–20 तक समाप्त करना।

वित्तीय एवं परिचालनात्मक टर्नराउंड के उपरोक्त परिणामों को प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित लक्षित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया था :—

- **वित्तीय गतिविधियां:** मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वितरण कंपनियों के ₹ 26,055 करोड़ (30.09.2015 को बकाया कुल ऋण ₹ 34,739 करोड़ का 75 प्रतिशत) के ऋण को 30 सितंबर 2020 तक अधिग्रहित किया जाना, वितरण कंपनियों के वर्ष 2017–18 से 2020–21 के भावी वित्तीय हानियों को श्रेणीबद्ध तरीके से अधिग्रहण करना, वितरण कंपनियों को परिचालन एवं वित्तीय टर्नराउंड हासिल करने तक सतत सहायता प्रदान करना एवं वर्तमान हानियों को पूर्ण करने हेतु बॉन्ड जारी करना/ बॉन्ड हेतु गारंटी प्रदान किया जाना आवश्यक था।
- **परिचालन गतिविधियां:** वितरण कंपनियों के द्वारा 2019–20 तक एटीएंडसी हानि को 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने एवं एसीएस–एआरआर के अंतर को समाप्त करने हेतु 200 यूनिट/ माह से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 31.12.2019 तक स्मार्ट मीटर स्थापित किया जाना, सभी फीडरों एवं वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) पर 31.12.2018 तक मीटर स्थापित किया जाना, 30.06.2018 तक फीडर विभक्तिकरण पूर्ण करना, मांग पक्ष प्रबंधन एवं ऊर्जा दक्षता हेतु उपाय करना, विद्युत क्रय की लागत को कम करना आदि आवश्यक था।

1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या:

- योजना एवं समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परिकल्पित वित्तीय मापदंडों से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया गया एवं वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नराउंड के समग्र उद्देश्य को प्राप्त किया गया; तथा
- परिचालन दक्षता में सुधार के लिए लक्षित गतिविधियों को लागू किया गया एवं त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन एवं योजना में परिकल्पित इच्छित परिणाम प्राप्त किए गए।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित मानदंडों के सापेक्ष लेखापरीक्षा परिणामों का निष्पादन किया गया:—

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी योजना के दिशा–निर्देशों (दिशानिर्देश) के प्रावधान;
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एवं एमपीपीएमसीएल, (विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से) के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नियम एवं शर्तें;
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेश/ निर्देश;
- विद्युत अधिनियम, 2003 एवं राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (आपूर्ति संहिता) एवं राज्य विद्युत नियमक आयोग द्वारा जारी अन्य निर्देश;
- विद्युत वितरण कम्पनियाँ एवं उनकी नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक का एजेंडा एवं कार्यवृत्त; तथा

² औसत लागत (एसीएस) का अर्थ है एक विशिष्ट अवधि के दौरान ऊर्जा के कुल इनपुट से विभाजित कुल व्यय।

³ औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) का अर्थ है कि कुल राजस्व (प्राप्ति के आधार पर सबिसडी एवं अन्य सभी आय सहित) को एक विशिष्ट अवधि के दौरान ऊर्जा के कुल इनपुट से विभाजित किया जाता है।

- योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण समझौतों की शर्तें।

1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

यह निष्पादन लेखापरीक्षा, योजना के पूर्व और पश्चात् विद्युत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन के सापेक्ष में योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता एवं दक्षता के मूल्यांकन के लिए आयोजित की गई थी। चूंकि योजना की कार्यान्वयन अवधि 2016–17 से 2020–21 (सितंबर 2020) तक थी एवं समझौता ज्ञापन में वर्ष–वार वित्तीय एवं परिचालन मानदंड तय किए गए थे, इसलिए लेखापरीक्षा में 2016–17 से 2020–21 (सितंबर 2020) तक की अवधि को सम्मिलित किया गया था।

योजना के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एवं समझौता ज्ञापन में निहित राज्य सरकार एवं वितरण कंपनियों के दायित्वों के सापेक्ष प्रयासों का आंकलन करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग, एमपीपीएमसीएल एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के मुख्यालयों की अभिलेखों की जांच की गई।

परिचालन उपलब्धियों की जांच करने के लिए, कुल 52 क्षेत्र इकाइयों (उनके कार्यान्वयन इकाइयों सहित वृत्त कार्यालय) में से 12⁴ के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की गई, जिनका चयन वृत्त कार्यालय में योजना अवधि के दौरान उच्च एवं निम्न एटीएंडसी हानियों और एटीएंडसी हानियों में वृद्धि / कमी की मात्रा के आधार पर किया गया था।

प्रवेश सम्मेलन 02 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था जिसमें विभाग / प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। विभाग / प्रबंधन के साथ परिणामों पर चर्चा करने के लिए 02 दिसंबर 2021 को निकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रत्युत्तरों (जनवरी 2022) को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.6 अभिस्वीकृति

हम निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, विद्युत वितरण कंपनियों एवं नियंत्रक कंपनी के अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता का आभार मानते हैं।

⁴ म.प्र.म.क्षे.वि.कं.लि. के अंतर्गत, भौपाल: भौपाल (ओ एंड एम), विदिशा, राजगढ़, होशंगाबाद; म.प्र.प.क्षे.वि.कं.लि., झंदौर के अंतर्गत: झंदौर (ओ एंड एम), उज्जैन, खंडवा, मंदसौर; म.प्र.पू.क्षे.वि.कं.लि., जबलपुर के अंतर्गत: जबलपुर (ओ एंड एम), सिवनी, नरसिंहपुर, रीवा।

अध्याय २

अध्याय 2

विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नराउंड से संबंधित गतिविधियाँ

सारांश

हमने विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नराउंड के लिए योजना दिशानिर्देशों/ समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के ढांचे के भीतर मध्य प्रदेश सरकार/ वितरण कंपनियों द्वारा की गई वित्तीय गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मध्य प्रदेश सरकार/ वितरण कंपनियों द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों/ समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया था।

वितरण कंपनियों ने समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देते समय पात्र ऋणों के निर्धारण में त्रुटि की। मध्यप्रदेश सरकार/ वितरण कंपनियों ने समझौता ज्ञापन का उल्लंघन करते हुए योजना के तहत ऋण निवृति हेतु कुल पात्र बकाया ऋणों में ₹ 1,509.85 करोड़ की अपात्र ऋण राशि (आरईसी ऋण ₹ 906.00 करोड़ एवं पीएफसी ऋण ₹ 603.85 करोड़) समझौता ज्ञापन में सम्मिलित किया। वितरण कंपनियों ने कुल बकाया ऋणों में मध्य प्रदेश सरकार का ₹ 500 करोड़ का सतत ऋण भी शामिल कर लिया जो 30 सितंबर 2015 की नियत तिथि से आगे की अवधि से संबंधित था। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) द्वारा लिया गया ₹ 352.48 करोड़ का कार्यशील पूंजी ऋण, जिसे समझौता ज्ञापन में शामिल करने हेतु कुल बकाया ऋणों की गणना करते समय जोड़ा जाना चाहिए था, शामिल नहीं किया गया। योजना की कार्यान्वयन अवधि (2016–17 से 2020–21) के दौरान ऋण अधिग्रहण करने में मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में विफल रही एवं समझौता ज्ञापन के अनुसार अधिग्रहित किये जाने योग्य कुल ऋण ₹ 26,055 करोड़ में से केवल ₹ 12,690 करोड़ ऋण का ही अधिग्रहण किया।

इसके अतिरिक्त, वितरण कंपनियाँ समझौता ज्ञापन में निर्धारित हानियों के वित्तपोषण के लिए बॉन्ड जारी करने में विफल रही। इसके स्थान पर, वितरण कंपनियों ने उच्च दर पर ऋण लिया जिसके परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों को योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

मध्य प्रदेश सरकार ने भी वितरण कंपनियों को पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की क्योंकि राज्य सरकार ने वितरण कंपनियों को सब्सिडी दिए बिना ही बकाया माफ़ी की योजना शुरू की एवं इससे उत्पन्न हानि का भार वितरण कंपनियों पर आया। इसके अतिरिक्त नियमित टैरिफ सब्सिडी एवं विभिन्न विभागों की विद्युत बकाया की राशि योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान वितरण कंपनियों को जारी किया जाना लंबित था। इसलिए, वितरण कंपनियों को अपनी परिचालन आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए महंगे कार्यशील पूंजी ऋण का अतिरिक्त एवं परिहार्य भार उठाना पड़ा।

इस प्रकार, ऋण अधिग्रहण में विफलता एवं कार्यशील पूंजी ऋणों के अतिरिक्त भार के कारण, वितरण कंपनियों की उदय योजना पूर्व बकाया ऋण की स्थिति ₹ 34,739 करोड़ की तुलना में थोड़ी ही कम होकर उदय योजना उपरांत (31 मार्च 2020 तक) ₹ 34,727.04 करोड़ हो पाई।

इसके अतिरिक्त, वितरण कंपनियों पर बकाया को माफ करने से उत्पन्न भार, अधिग्रहित नहीं किए जा सकने वाले ऋणों की ब्याज लागत एवं कार्यशील पूंजी ऋण के अतिरिक्त भार पर लगने वाले ब्याज के कारण संचित हानियों में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2016 तक की संचित हानियाँ ₹ 35,676.36 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2020 तक ₹ 52,978.39 करोड़ हो गयी।

इस प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने दायित्वों/ प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में विफलता एवं वितरण कंपनियों द्वारा बॉन्ड जारी करने में विफलता के कारण योजना में परिकल्पित वित्तीय टर्नराउंड प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.1 उदय योजना में वित्तीय गतिविधियों का उद्देश्य

योजना में वित्तीय गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य वितरण कंपनियों के ऋण भार एवं वित्तीय नुकसान को कम करना था जिससे योजना की कार्यान्वयन अवधि (2016–17 से 2020–21) के दौरान वितरण कंपनियों की संचित हानियों में अतिरिक्त वृद्धि से बचा जा सके। इस प्रकार से वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नराउंड को प्राप्त करने का उद्देश्य था।

2.2 उदय योजना में वित्तीय गतिविधियों का कार्यान्वयन

योजना दिशानिर्देश/ समझौता श्रापन के अनुसार समयबद्ध सुधार हेतु निर्धारित वित्तीय एवं परिचालन दक्षता मानकों की निगरानी की जानी थी। योजना के अनुसार लक्षित लाभों के साथ-साथ वित्तीय मानकों के तहत लक्षित गतिविधियों का विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिया गया है:

तालिका 2.1: योजना के तहत वित्तीय मानदंड एवं लक्षित लाभ

क्रमांक सं.	वित्तीय मानक विद्युत वितरण कंपनियों के दायित्व/ मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता	उद्देश्य / इच्छित लाभ
1.	राज्य सरकार द्वारा पांच वर्षों अर्थात् 2016–17 से 2020–21 (सितंबर 2020) के दौरान वितरण कंपनियों के ऋण (30 सितंबर 2015 तक) का 75 प्रतिशत अधिग्रहण करना।	वितरण कंपनियों के ऋण एवं ब्याज के भार को कम करने के लिए वित्तीय सहायता।
2.	वितरण कंपनियों की 25 प्रतिशत देनदारी को बॉन्ड या ऋण में परिवर्तित करना।	वितरण कंपनियों के ऋण एवं ब्याज के भार को कम करने के लिए वित्तीय सहायता।
3.	वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि से संबंधित भविष्य के वित्तीय हानि का श्रेणीबद्ध तरीके से अधिग्रहण करना।	वितरण कंपनियों के परिचालन के लिए वित्तीय स्थिति एवं तरलता की स्थिति में सुधार।
4.	राज्य सरकार के विभागों पर बकाया राशि वितरण कंपनियों को शीघ्रता से जारी करवाना।	वितरण कंपनियों के नकदी प्रवाह में सुधार।
5.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बॉन्ड जारी करना या मौजूदा हानि को पूरा करने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड की गारंटी देना एवं उचित टैरिफ वृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करना।	वितरण कंपनियों के ऋण एवं ब्याज के भार को कम करने हेतु वित्तीय सहायता।
6.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरण कंपनियों को कार्यशील पूँजी ¹ के वित्तपेण में सुविधा प्रदान करवाना।	वितरण कंपनियों की परिचालन गतिविधियों हेतु तरलता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता।

योजना के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए, हमने उदय पूर्व वित्तीय स्थिति, उदय के अंतर्गत वित्तीय गतिविधियों के लक्ष्य एवं इनकी उपलब्धियों का विश्लेषण किया।

2.3 लक्ष्य एवं उपलब्धि के साथ उदय से पूर्व और पश्चात् की वित्तीय स्थिति

वितरण कंपनियों के कुल बकाया ऋणों एवं संचित हानियों के संदर्भ में उदय पूर्व वित्तीय स्थिति एवं प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियाँ एवं कमी का विवरण नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2: वितरण कंपनियों की उदय पूर्व और उदय पश्चात् की वित्तीय स्थिति

वित्तीय स्थिति	उदय पूर्व	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
वितरण कंपनियों का कुल बकाया ऋण	₹ 34,739 करोड़ (30.09.2015 की स्थिति के अनुसार)	₹ 26,055 करोड़ (2020-21 तक अधिग्रहीत किया जाना था)	₹ 12,690 करोड़ (अधिग्रहीत किया जाना था)	₹ 13,365 करोड़
वितरण कंपनियों की संचित हानियाँ	₹ 35,676.36 करोड़ (31.03.2016 को)	₹ 38,479.36 करोड़ (31.03.2020 तक)	₹ 52,978.39 करोड़	₹ 38,479.36 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 14,499.03 करोड़ का उच्च नुकसान

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समझौता ज्ञापन में निहित ऋणों को अधिग्रहण करने के लक्ष्य का निर्धारण, ऋणों को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया, अधिग्रहित ऋणों में कमी और ऋणों को अधिग्रहित करने से संबंधित अन्य गतिविधियों अर्थात् बॉन्ड जारी करने एवं ऋण भुगतान की जांच की गई। इस संबंध में कमियाँ एवं लक्ष्य प्राप्ति में कमी की चर्चा अनुवर्ती कंडिका 2.4.1 से 2.4.4 में की गई है।

¹ कार्यशील पूँजी एक व्यवसाय की पूँजी है जिसका उपयोग दिन-प्रतिदिन के व्यापारिक कार्यों में किया जाता है, जिसे चालू दायित्वों पर चालू परिसंपत्तियों की अधिकता के रूप में भी जाना जाता है।

इसके अतिरिक्त, संचित हानियों को निम्नतम करने के लक्ष्य के सापेक्ष परिलक्षित कमी एवं कारणों की चर्चा अनुवर्ती कंडिका 2.5.1 से 2.5.5 में की गई है।

2.4 वित्तीय गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम

उदय योजना में ऋण अधिग्रहण हेतु निर्धारित वित्तीय गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति में निम्नलिखित कमियां देखी गयी।

2.4.1 समझौता ज्ञापन में शामिल करने हेतु ऋण की पात्र राशि का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

कार्यालय ज्ञापन (नवंबर 2015) के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार, वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नराउंड हेतु वितरण कंपनियों के 30 सितंबर 2015 तक के ऋण का 75 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार को अधिग्रहण करना था।

तदनुसार, वितरण कंपनियों ने 30 सितंबर 2015 तक के कुल ₹ 34,739 करोड़ बकाया ऋणों में से ₹ 26,055 करोड़ के ऋण को मध्य प्रदेश सरकार के अधिग्रहण हेतु निर्धारित किया था एवं इसे समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.2 (ए) में शामिल किया गया था। अधिग्रहण हेतु विचार किए गए ऋणों का विवरण **परिशिष्ट 1** में दिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल ऋणों के अधिग्रहण हेतु पात्र राशि की गणना करने में वितरण कंपनियों ने त्रुटि की, जिसकी चर्चा निम्नानुसार है:

अ. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2016 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, तथा (विद्युत मंत्रालय के स्पष्टीकरण अनुसार)² पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के अंतर्गत लिए गए ऋण अर्थात् भारत सरकार के ऋण एवं आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत प्रतिपक्ष निधि को योजना के अंतर्गत अधिग्रहण करने के लिए विचार नहीं किया जाना था।

उपरोक्त के उल्लंघन में मध्य प्रदेश सरकार/ वितरण कंपनियों ने योजना के तहत ऋण निवृति के लिए समझौता ज्ञापन में निहित कुल बकाया ऋणों में ₹ 1,509.85 करोड़ (आरईसी ऋण ₹ 906.00 करोड़ एवं पीएफसी ऋण ₹ 603.85 करोड़) की अपात्र आर-एपीडीआरपी राशि सम्मिलित की।

ब. वितरण कंपनियों ने 30 सितंबर 2015 की नियत तिथि से आगे की अवधि से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार के ₹ 500 करोड़ के सतत ऋण को भी कुल बकाया ऋणों में शामिल कर लिया गया।

स. एमपीपीएमसीएल एवं वितरण कंपनियों के बीच निष्पादित (अक्टूबर 2006) समेकित आपूर्ति समझौते³ की धारा 7.1.1 के अनुसार, पूर्ववर्ती (एमपीपीएमसीएल) के सभी लागतों के साथ-साथ वास्तविक आधार पर स्थापना व्यय को पश्चात्वर्ती (वितरण कंपनियाँ) पर अधिरोपित किया जाना था। इसे असाधारण राजपत्र संख्या 141 दिनांक 29 मार्च 2012 की धारा 8(ii) द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। तदनुसार, 30 सितंबर 2015 तक बकाया ऋणों की गणना में एमपीपीएमसीएल की देनदारियों/ ऋणों⁴ को वितरण कंपनियों की देनदारियों के रूप में माना जाना चाहिए था एवं एमपीपीएमसीएल का ₹ 352.48⁵ करोड़ का कार्यशील पूँजी ऋण समझौता ज्ञापन में शामिल करने के लिए कुल बकाया ऋण की गणना के अंतर्गत विचार किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण हेतु ₹ 1,243 करोड़ की ऋण राशि योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए समझौता ज्ञापन में शामिल थी जैसा नीचे **तालिका 2.3** में वर्णित है:

² विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 जुलाई 2016 के अपने कार्यालय ज्ञापन के द्वारा एवं स्पष्ट किया गया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि आर-एपीडीआरपी ऋण इस योजना से बाहर हैं एवं अन्य पूँजीगत व्यय ऋणों को भी बहिष्करण के लिए विचार किया जा सकता है यदि इसका टैरिफ पास-थ्रू वितरण कंपनी के लिए उपलब्ध है।

³ एमपीपीएमसीएल एवं तीन वितरण कंपनियों के बीच समझौता जिसके माध्यम से एमपीपीएमसीएल द्वारा विद्युत की समेकित क्रय एवं वितरण कंपनियों को विद्युत की समेकित आपूर्ति का कार्य किया जाता है।

⁴ जिसकी व्याज देयता अंतः वितरण कंपनियों पर अधिरोपित की जाएगी।

⁵ एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के ₹ 17.51 करोड़ के ऋण, नेशनल हाइड्रोलेक्ट्रिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ₹ 334.97 करोड़ की अन्य दीर्घकालीन अवधि की देनदारियाँ, (31 मार्च 2015 समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के अनुसार)।

तालिका 2.3: समझौता ज्ञापन में अधिक ऋण अधिग्रहण करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

30.09.2015 को वितरण कंपनियों का ऋण (समझौता ज्ञापन के अनुसार)		अपात्र ऋण अधिग्रहण हेतु विचार किया गया	पात्र ऋण जिन पर अधिग्रहण हेतु विचार नहीं किया गया	30.09.2015 तक का वास्तविक ऋण जिन पर समझौता ज्ञापन में विचार किया जाना था		अधिक ऋण जो समझौता ज्ञापन में अधिग्रहण हेतु विचार किया गया
कुल बकाया ऋण	75 प्रतिशत का अधिग्रहण किया जाना था			कुल बकाया ऋण	75 प्रतिशत का अधिग्रहण किया जाना था	
(क)	(ख)= (क) x 75%	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)=(ङ) x 75%	(छ)= (ख)-(च)
34,739	26,055	2,009.85	352.48	33,081.63	24,812	1,243

अधिक ऋण निवृति के कारण, ₹ 137.93 करोड़⁶ प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देयता की बचत की गई लेकिन इस कारण वित्तीय संस्थानों (एफआई) को परिहार्य पूर्व-भुगतान शुल्क देना पड़ा।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि उदय का समझौता ज्ञापन उदय प्रकोष्ठ, सलाहकार एवं आरईसी (नोडल एजेंसी) द्वारा तैयार किया गया है। चूंकि उदय का कार्यालय ज्ञापन वितरण कंपनियों को प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए वितरण कंपनियों ने आर-एपीडीआरपी के तहत लिए गए ऋणों के साथ साथ अन्य सभी ऋणों के शेष उदय प्रकोष्ठ को सूचित कर दिये थे। इसके अतिरिक्त, वितरण कंपनियों ने मध्य प्रदेश सरकार का ₹ 500 करोड़ का कार्यशील पूँजी ऋण शामिल किया है जो कि मध्य प्रदेश सरकार का सतत ऋण नहीं था। इसके अतिरिक्त, वितरण कंपनियों को एमपीपीएमसीएल के कार्यशील पूँजी ऋण के बारे में सूचित नहीं किया गया था, इसलिए इसे उदय के अंतर्गत शेष ऋण में शामिल नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी वितरण कंपनियों के अधिकारी उदय समझौता ज्ञापन को तैयार करने में शामिल थे एवं सभी वितरण कंपनियों को उदय के कार्यालय ज्ञापन की प्रति अनुपालन के लिए अप्रेषित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, एमपीपीएमसीएल द्वारा सभी वितरण कंपनियों को सूचित करते हुए विद्युत क्रय आदि के भुगतान के लिए कार्यशील पूँजी ऋण लिया गया था।

2.4.2 समझौता ज्ञापन दायित्व अनुसार ऋण अधिग्रहण में कमी

कार्यालय ज्ञापन (नवंबर 2015) के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को वितरण कंपनियों के 30 सितंबर 2015 तक ऋण का 75 प्रतिशत ऋण, दो वर्षों में अर्थात् 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17⁷ में 25 प्रतिशत ऋण अधिग्रहण करना था। चूंकि मध्य प्रदेश राज्य विलम्ब से (अगस्त 2016) योजना में शामिल हुआ, इसलिए समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.2 (ए) के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित दायित्वों के अंतर्गत, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को ₹ 26,055 करोड़ (कुल ऋण ₹ 34,739 करोड़ का 75 प्रतिशत) ऋण का अधिग्रहण वर्ष 2016–17 से करना आवश्यक था:

- वर्ष 2016–17 के दौरान ₹ 7,568 करोड़ (कुल बकाया ऋण का 21.80 प्रतिशत) वितरण कंपनियों को अंशपूँजी के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा।
- 2017–18 से 2020–21 तक प्रत्येक वर्ष ₹ 4,622 करोड़ (बकाया ऋण का 13.30 प्रतिशत) अनुदान के रूप में वितरण कंपनियों को हस्तांतरित किया जाएगा।

उपरोक्त दायित्वों के अनुपालन में, 30 सितंबर 2020 तक, अर्थात् योजना की सम्पूर्ण कार्यान्वयन अवधि के पश्चात् ऋण अधिग्रहण की स्थिति नीचे तालिका 2.4 में इंगित है :

⁶ अपात्र ऋण: ₹ 1,507.39 करोड़ (2,009.85 का 75 प्रतिशत) x ऋण पर न्यूनतम ब्याज दर: 9.15 प्रतिशत।

⁷ 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य द्वारा वितरण कंपनियों को हस्तांतरण अनुदान के रूप में होना था एवं इसे तीन वर्षों अर्थात् 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में दिया जा सकता है अत्यधिक ऋण वाले वितरण कंपनियों वाले राज्यों के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से इस अवधि में दो वर्ष की छूट दी जा सकती है।

तालिका 2.4: ऋणों के अधिग्रहण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	75 प्रतिशत ऋण अधिग्रहण करने के लिए ⁸					
	अंशपूँजी		ऋण		अनुदान	
समझौता ज्ञापन के अनुसार	वास्तविक अधिग्रहण / हस्तांतरण	समझौता ज्ञापन के अनुसार	वास्तविक अधिग्रहण / हस्तांतरण	समझौता ज्ञापन के अनुसार	वास्तविक अधिग्रहण / हस्तांतरण	
2015–16	-	-	-	-	-	-
2016–17	7,568 ⁹	3,557	-	-	-	4,011
2017–18	-	4,011	-	-	4,622	611
2018–19	-	-	-	-	4,622	500
2019–20	-	-	-	-	4,622	-
2020–21	-	-	-	-	4,621	-
कुल	7,568	7,568	-	-	18,487	5,122

उपरोक्त से दर्शित है कि योजना की कार्यान्वयन अवधि (2016–17 से 2020–21) के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने ₹ 12,690.00 करोड़ के ऋण का अधिग्रहण किया परन्तु अंशपूँजी एवं अनुदान का अनुपात समझौते ज्ञापन के अनुसार नहीं रखा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऋण अधिग्रहण में की गयी कमी के अतिरिक्त, ऋण अधिग्रहण में निम्नलिखित अन्य कमियाँ भी देखी गईं।

ऋण अधिग्रहण हेतु, योजना निर्देशों के अनुच्छेद 7.1 (एच)¹⁰ के अनुसार, राज्य सरकार को अंशपूँजी सहायता के रूप में 25 प्रतिशत एवं अनुदान के रूप में 75 प्रतिशत प्रदान करना चाहिए था तथापि समझौता ज्ञापन में कुल अधिग्रहण का अंशपूँजी सहयोग 29.05 प्रतिशत (₹ 7,568 करोड़) था परन्तु यह इस शर्त पर था कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में पांच वर्षों के भीतर 4.05 प्रतिशत अंशपूँजी का अधिक सहयोग अनुदान के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। इस संबंध में हमने देखा कि, मध्य प्रदेश सरकार ने वितरण कंपनियों को ₹ 7,568 करोड़ की अंशपूँजी सहायता प्रदान की जिसमें से ₹ 1,054.25 करोड़¹¹ (अतिरिक्त 4.05 प्रतिशत, जिसे अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाना था) परिवर्तन हेतु लंबित रहा (दिसंबर 2021)।

इस प्रकार, योजना दिशानिर्देशों/ समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का अनुपालन न होने के परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों को 2016–17 एवं 2017–18 की अवधि के दौरान ₹ 1,054.25 करोड़ अनुदान¹² के रूप में राजस्व की कमी हुई।

सरकार ने स्वीकार किया (जनवरी 2022) कि मध्य प्रदेश सरकार ने कम ऋण अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि अतिरिक्त 4.05 प्रतिशत अंशपूँजी सहायता का अनुदान में परिवर्तन अभी भी लंबित है (दिसंबर 2021)।

2.4.3 ऋणों के पुनर्भुगतान में पायी गई कमियाँ

समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 से पूर्व की अवधि से संबंधित ऋणों का भुगतान, वितरण कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की सहायता एवं वितरण कंपनियों द्वारा बॉन्ड जारी करने के माध्यम से किया जाना था।

वित्त एवं ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की निवृत्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से ₹ 7,360 करोड़ के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (गैर-एसएलआर) उदय बॉन्ड जारी किए (मार्च 2017)। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किए गए इन बॉन्ड की आय (₹ 7,360 करोड़) को वितरण कंपनियों द्वारा सूचित (मार्च 2017) ऋण की शेष राशि के आधार पर सीधे संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थाओं के बैंक खातों में (23 मार्च 2017) जमा कर दिया।

⁸ कुल 75 प्रतिशत ऋणों अर्थात् ₹ 26,055 करोड़ के मुकाबले, मध्य प्रदेश सरकार ने केवल ₹ 12,690 करोड़ (₹ 7,568 करोड़ + ₹ 5,122 करोड़) ऋणों का अधिग्रहण किया।

⁹ ₹ 26,055 करोड़ के कुल अधिग्रहण का 29.05 प्रतिशत।

¹⁰ योजना दिशानिर्देशों की धारा 7.1 (एच) के अनुसार, अंशपूँजी सहायता लिये जाने वाले ऋण की कुल पात्र राशि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

¹¹ ₹ 7,568 करोड़ – (₹ 26,055 करोड़ x 25 प्रतिशत)।

¹² मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऋण लेने के लिए दिया गया अनुदान वितरण कंपनियों के वित्तीय विवरणों में राजस्व था।

यद्यपि, वितरण कंपनियों ने ऋण निवृति से पहले वित्तीय संस्थाओं से बकाया राशि का मिलान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप, पीएफसी को ₹ 236.23 करोड़ अधिक भुगतान हो गया (मार्च 2017), जबकि आरईसी एवं हुड़को को उनकी संबंधित राशि से कम भुगतान किया गया। यहाँ तक कि वितरण कंपनियों ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कहने पर ही (मई 2017) बकाया राशि का मिलान किया। भुगतान की अधिक राशि पीएफसी से वापस प्राप्त की गई एवं 42 दिनों¹³ के परिहार्य विलंब के साथ हुड़को (₹ 22.29 करोड़) एवं आरईसी (₹ 213.94 करोड़) को हस्तांतरित (मई 2017) की गई। विलम्ब की इस अवधि के लिए, वितरण कंपनियों को हुड़को एवं आरईसी को ₹ 2.73 करोड़¹⁴, ब्याज भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार पुर्णभुगतान में की गयी लापरवाही तथा ₹ 236.23 करोड़ अधिक भुगतान के समायोजन में विलम्ब के कारण, वितरण कंपनियों को ₹ 2.73 करोड़ ब्याज की परिहार्य हानि वहन करनी पड़ी।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि नोडल अधिकारी (उदय) द्वारा बॉन्ड की राशि सीधे जमा करने की सूचना वितरण कंपनियों को नहीं दी गई थी, जिसके कारण बकाया देय राशि का समय पर मिलान नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सही राशि की देयता के निर्वहन हेतु बॉन्ड जारी करने से पहले वितरण कंपनियों द्वारा बकाया देय राशि का मिलान किया जाना चाहिए था।

2.4.4 बॉन्ड जारी करने में पायी गई कमियां

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.2 (डी) के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों के कुल ऋणों का 75 प्रतिशत अधिग्रहण हेतु निधि जुटाने के लिए गैर-एसएलआर बॉन्ड जारी कर सकती थी। इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (ए) के अनुसार, शेष 25 प्रतिशत ऋणों के लिए वितरण कंपनियों को सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड जारी करना था। बॉन्ड जारी करने के संबंध में देखी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है :

अ. कुल ₹ 34,739 करोड़ ऋण में से ₹ 30,200 करोड़ की ऋण राशि मध्य प्रदेश सरकार को देय थी एवं ₹ 4,539 करोड़ बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से संबंधित थी, जैसा परिशिष्ट 1 में वर्णित है। योजना के दिशा-निर्देशों/ समझौता ज्ञापन के अनुसार वितरण कंपनियों को अंशपूँजी या समकक्ष राशि का अनुदान प्रदान करके मध्य प्रदेश सरकार के ऋणों का पुनर्भुगतान/ निवृत किया जा सकता था। इस प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से संबंधित ₹ 4,539 करोड़ के 75 प्रतिशत का बॉन्ड जारी करने की आवश्यकता थी, एवं वितरण कंपनियों को ₹ 4,539 करोड़ के 25 प्रतिशत बॉन्ड जारी करने की आवश्यकता थी।

समझौता ज्ञापन के बॉन्ड जारी करने के प्रावधानों से विचलन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार/ वितरण कंपनियों ने अधोलिखित तालिका 2.5 में विवरण के अनुसार बॉन्ड जारी किए :

तालिका 2.5: मध्य प्रदेश सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड का विवरण
(₹ करोड़ में)

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का कुल ऋण	मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी बॉन्ड			वितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड		
	जारी किए जाने वाले बॉन्ड ¹⁵	जारी किए गए वास्तविक बॉन्ड	अधिक जारी किए गए बॉन्ड	जारी किए जाने वाले बॉन्ड ¹⁶	जारी किए गए वास्तविक बॉन्ड	बॉन्ड जारी किए जाने में कमी
4,539	3,404.25	7,360	3,955.75	1,134.75	शून्य	1,134.75

इस प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार ने समझौता ज्ञापन की निर्धारित सीमा से अधिक ₹ 3,955.75 करोड़ के बॉन्ड जारी किये (मार्च 2017)। दूसरी ओर वितरण कंपनियों ने समझौता ज्ञापन के तहत अपेक्षित ₹ 1,134.75 करोड़ के बॉन्ड जारी नहीं किये। इसके बजाय, वितरण कंपनियों ने 2017–18 से 2020–21 के दौरान बॉन्ड की तुलना में अधिक ब्याज दरों पर कार्यशील पूँजी ऋण लिये।

¹³ पीएफसी को अधिक भुगतान की तिथि (23 मार्च 2017) से समायोजन की तिथि (04 मई 2017) = 42 दिन।

¹⁴ हुड़को: ₹ 0.27 करोड़ एवं आरईसी: ₹ 2.46 करोड़।

¹⁵ बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कुल ऋण का 75 फीसदी।

¹⁶ बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के कुल ऋण का 25 फीसदी।

ब. अग्रेतर, समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.2 (एल) के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को वितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड की गारंटी देनी थी या 01 अक्टूबर 2015 के बाद की वितरण कंपनियों की चालू हानि, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए समझौता ज्ञापन के परिशिष्ट—सी के अनुसार अनुमानित हानि की सीमा के भीतर बॉन्ड जारी करना था, जैसा नीचे तालिका 2.6 में दिया गया है:

तालिका 2.6: समझौता ज्ञापन के अनुसार हानि प्रक्षेपवक्र की सीमाएं

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
समझौता ज्ञापन के अनुसार अनुमानित हानि	4,238	2,278	1,188	225	लागू नहीं	7,929

हमने देखा कि समझौता ज्ञापन में अनुमानित हानि से अधिक वास्तविक हानि¹⁷ होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने न तो बॉन्ड जारी करके वितरण कंपनियों के अनुमानित हानि का वित्तपोषण किया एवं न ही वितरण कंपनियों ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड जारी करने का कोई प्रयास किया। इसके बजाय, वितरण कंपनियों ने अपनी हानि के वित्तपोषण के लिए 2016–17 से 2018–19 के दौरान ₹ 11,200 करोड़¹⁸ कार्यशील पूंजी ऋण लिया। बॉन्ड जारी न करने के कारण, मध्य प्रदेश सरकार एवं वितरण कंपनियों ने न केवल समझौता ज्ञापन के प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया, बल्कि 2020–21 तक कम से कम ₹ 234.52 करोड़¹⁹ का अतिरिक्त व्यय भी किया, जो उनकी निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आहरित महंगे कार्यशील पूंजी ऋण²⁰ के कारण उत्पन्न हुआ था।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि कार्यशील पूंजी ऋण एमपीपीएमसीएल के निर्देशों के अनुसार लिया गया था, जो वितरण कंपनियों के नकदी प्रवाह तंत्र (सीएफएम) का प्रबंधन करती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कंपनियों के वित्तीय परिवर्तन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महंगे कार्यशील पूंजी ऋण से बचने के लिए समझौता ज्ञापन की अनुमानित हानि की सीमा तक वर्तमान हानि को पूरा करने के लिए बॉन्ड जारी किए जाने की आवश्यकता थी।

उपरोक्त कांडिका 2.4.1 से 2.4.4 में चर्चा की गई टिप्पणियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समझौता ज्ञापन एवं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण अधिग्रहण सम्बंधित वित्तीय गतिविधियों को निष्पादित नहीं किया जा सका।

2.5 हानियों को निम्नतम करने के लिए वित्तीय गतिविधियाँ

31 मार्च 2016 तक ₹ 35,676.36 करोड़ की संचित हानियों की तुलना में वर्ष 2016–17 से 2019–20 के बीच न्यूनतम ₹ 2,803 करोड़ वृद्धि के साथ मार्च 2020 के अंत तक संचित हानि ₹ 38,479.36 करोड़ लक्षित की गई। हालांकि, मार्च 2020 के अंत तक संचित हानि ₹ 52,978.39 करोड़ तक बढ़ गई, जो 2016–17 से 2019–20 के दौरान संचित हानियों में ₹ 14,499.03 करोड़ की अधिक वृद्धि को दर्शाता है।

अधिक वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि इसका मुख्य कारण मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों पर अधिरोपित राशि की बकाया माफ़ी का भार था, जैसा अनुवर्ती कांडिका 2.5.1 में चर्चा की गई है, ऋणों पर ब्याज लागत का अधिग्रहण नहीं किया जाना जैसा पूर्ववर्ती कांडिका 2.4.2 में चर्चा की गई है, राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में पर्याप्त सहायता प्रदान न करने के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त भार की ब्याज लागत, राज्य सरकार के विभागों द्वारा देय राशि का भुगतान न किया जाना एवं ₹ 6,387.53 करोड़ के ऋणों के प्रति सरकारी गारंटी प्रदान न किया जाना

¹⁷ 2015–16 के दौरान वास्तविक हानि: ₹ 5,598.65 करोड़, 2016–17: ₹ 1,469.66 करोड़, 2017–18: ₹ 5,064.25 करोड़ एवं 2018–19: ₹ 7,299.45 करोड़।

¹⁸ 2016–17: ₹ 3,900 करोड़, 2017–18: ₹ 2,400 करोड़ एवं 2018–19: ₹ 4,900 करोड़।

¹⁹ बॉन्ड की उच्चतम ब्याज दर (8.25 प्रतिशत) एवं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं (9.15 प्रतिशत) के माध्यम से वित्तपोषण की न्यूनतम दर के अंतर गणना कर जारी पात्र बॉन्ड अर्थात् ₹ 7,929 करोड़, इसके बजाय 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान क्रमशः ₹ 3,900 करोड़, ₹ 2,400 करोड़ ₹ 1,629 करोड़ की कार्यशील पूंजी का ऋण लिया गया।

²⁰ कार्यशील पूंजी ऋण पर न्यूनतम ब्याज दर 9.15 प्रतिशत थी जो उदय बॉन्ड की ब्याज दर (7.68 प्रतिशत एवं 8.25 प्रतिशत) से अधिक है।

जैसा अनुवर्ती कंडिका 2.5.2, 2.5.3 एवं 2.5.4 में चर्चा की गई है एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हानि को अधिग्रहण करने से सम्बंधित मुद्दे जिसकी चर्चा कंडिका 2.5.5 में की गई है।

2.5.1 सब्सिडी की सहायता प्रदान किए बिना बकाया राशि की माफ़ी

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.2 (आई) के अनुसार, जब तक वितरण कंपनियाँ परिचालन एवं वित्तीय टर्नराउंड हासिल नहीं कर लेते, तब तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी का समय पर भुगतान किया जाना आवश्यक था।

मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के परिवारों एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं हेतु "सरल बिजली योजना (सरल)" एवं "मुख्यमंत्री बकाया बिजली माफ़ी योजना (एमबीबीएमवाई)²¹, 2018" शुरू की (जून 2018), जिससे की उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार बकाया/ अधिभार पर वित्तीय सहायता मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त सब्सिडी से संबंधित वितरण कंपनियों के दावे विद्युत अधिनियम, 2003²² (अधिनियम)/ एमपीईआरसी विनियमों²³ के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम भुगतान के लिए पात्र थे।

हमने देखा कि सब्सिडी प्राप्त किए बिना ही वितरण कंपनियों द्वारा बकाया राशि की माफ़ी, अधिनियम एवं एमपीईआरसी विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। माफ़ की गयी सम्पूर्ण अधिभार राशि का भार तथा बकाया की मूल राशि का 50 प्रतिशत का भार वितरण कंपनियों द्वारा वहन किया जाना था एवं शेष 50 प्रतिशत बकाया का राशि का वहन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान तीन किस्तों में सब्सिडी जारी करके किया जाना था। सरल एवं एमबीबीएमवाई योजनाओं में वितरण कंपनियों द्वारा वहन किए गये भार का विवरण नीचे तालिका 2.7 में दिया गया है:

तालिका 2.7: सरल एवं एमबीबीएमवाई योजनाओं में वितरण कंपनियों द्वारा वहन की गयी राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)							
वितरण कंपनियाँ	वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जाने वाली बकाया राशि		मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाने वाली बकाया माफ़ी राशि		मध्यप्रदेश सरकार पर कुल दावा	फरवरी 2021 तक मध्यप्रदेश सरकार से मिली सब्सिडी	मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी की जाने वाली बकाया सब्सिडी
	मूल राशि	अधिभार	मूल राशि	चोरी के मामलों के खिलाफ़ सिविल दायित्व			
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(ज)= (घ)+(ङ)	(छ)	(झ)=(ज) – (छ)
म.प.म.क्षे.वि.वि.क.लि.	1,136.26	1,104.22	1,136.26	174.87	1,311.13	764.70	546.43
म.प.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.	493.98	277.39	493.98	41.27	535.25	367.66	167.59
म.प.प.क्षे.वि.वि.क.लि.	495.87	213.47	495.87	88.92	584.79	451.19	133.60
कुल	2,126.11	1,595.08	2,126.11	305.06	2,431.17	1,583.55	847.62

उदय योजना की कार्यान्वयन अवधि में वितरण कंपनियों द्वारा बकाया राशि ₹ 3,721.19 करोड़ (₹ 2,126.11 करोड़ एवं ₹ 1,595.08 करोड़) की माफ़ी के वहन ने वितरण कंपनियों के वित्तीय संसाधनों पर दबाव उत्पन्न किया। सब्सिडी की सहायता प्राप्त किये बिना ही बकाया माफ़ी न केवल अधिनियम एवं विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था बल्कि समझौता ज्ञापन में वांछित मध्य प्रदेश सरकार की सहायता सम्बन्धी प्रावधानों का भी उल्लंघन था।

²¹ ऊर्जा विभाग ने एमबीबीएमवाई का शुभारंभ (जून 2018) किया, जिसके तहत पंजीकृत मजदूरों एवं बीपीएल परिवारों के सभी घरेलू कनेक्शनों के लिए अधिभार सहित कुल बकाया (जून 2018 तक) माफ़ किया जाना था।

²² विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार यदि राज्य सरकार को उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग को कोई सब्सिडी अनुदान की आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार उसे अग्रिम भुगतान करेगी।

²³ एमपीईआरसी (राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के भुगतान का तरीका) विनियम, 2007 के उपवाक्य 5 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी अनुदान से प्रभावित व्यक्ति को प्रत्येक तिमाही में अग्रिम रूप से सब्सिडी देय होगी।

सरकार ने लेखापरीक्षा परिणाम स्वीकार किया (जनवरी 2022) एवं कहा कि वितरण कंपनियों ने मध्य प्रदेश सरकार की सब्सिडी योजनाओं के अनुसार गरीब उपभोक्ताओं का बकाया माफ किया था।

2.5.2 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी जारी न करना

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.2 (आई) के अनुसार, जब तक वितरण कंपनियाँ परिचालन एवं वित्तीय टर्नराउंड हासिल नहीं कर लेती, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता थी। अग्रेतर, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65, के अनुसार यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग को कोई सब्सिडी प्रदान करती है, तो इसके लिए राज्य सरकार वितरण कंपनियों को अग्रिम भुगतान करेगी।

योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कई सब्सिडी योजनाएँ²⁴ कार्यशील थीं। इन योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी जारी किया जाना था। हमने सभी वितरण कंपनियों की 2015–16 से 2020–21 के दौरान ऐसी योजनाओं के संबंध में सब्सिडी दावे, प्राप्त सब्सिडी राशि एवं शेष सब्सिडी की स्थिति का विश्लेषण किया, जो अधोलिखित तालिका 2.8 में वर्णित है :

तालिका 2.8: मध्य प्रदेश शासन से बकाया सब्सिडी राशि की स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष	चालू वर्ष में दावा की गई सब्सिडी	कुल सब्सिडी का दावा	वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी	चालू वर्ष के दावे के विरुद्ध कम/अधिक (-)	(₹ करोड़ में) प्रगतिशील दावे के विरुद्ध कमी
2015–16	997.64	6,394.86	7,392.50	6,835.91	-441.05	556.59
2016–17	556.59	7,917.86	8,474.45	8,383.32	-465.46	91.13
2017–18	91.13	9,434.78	9,525.91	9,483.52	-48.74	42.39
2018–19	42.39	12,410.55	12,452.94	9,430.65	2,979.90	3,022.29
2019–20	3,022.29	17,511.05	20,533.34	13,870.00	3,641.05	6,663.34
2020–21	6,663.34	20,100.38	26,763.72	9,823.99	10,276.39	16,939.73

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मध्यप्रदेश सरकार ने पूरी अवधि के दौरान कभी भी सब्सिडी दावे की पूरी राशि जारी नहीं की। योजना के कार्यान्वयन अवधि पूरी होने तक, मध्य प्रदेश सरकार से जारी होने हेतु कुल ₹ 16,939.73 करोड़²⁵ के सब्सिडी दावे लंबित थे, जिससे वितरण कंपनियों पर गंभीर राजस्व हानि के रूप में अतिरिक्त भार पड़ रहा था।

चूंकि समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश सरकार वितरण कंपनियों को देय सहायता देने में विफल रही, इसलिए वितरण कंपनियों ने 2016–17 से 2018–19 के दौरान वित्तीय संस्थाओं से ₹ 11,200 करोड़²⁶, कार्यशील पूंजी ऋण न्यूनतम 9.15 प्रतिशत ब्याज दर पर अपनी कोष की कमी की प्रतिपूर्ति हेतु लिया। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2021 तक कम से कम ₹ 2,982.90 करोड़ का परिहार्य ब्याज भुगतान करना पड़ा।

सरकार ने लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2022) कि नियमित दावे के बावजूद, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी की पूरी राशि जारी नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों को कोष की कमी वहन करनी पड़ी एवं कार्यशील पूंजी ऋण लेना पड़ा।

2.5.3 राज्य सरकार पर बकाया राशि की वसूली न होना

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.2 (जे) के अनुसार, राज्य सरकार के विभागों द्वारा विद्युत आपूर्ति पर देय सभी बकाया राशि का भुगतान वितरण कंपनियों को शीघ्रता से किया जाना था।

²⁴ मुफ्त बिजली योजना, टैरिफ सब्सिडी योजना, किसान समृद्धि योजना, दीन बंधु योजना, सरल योजना, इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना, मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना, विद्युत करघे कनेक्शन के लिए सब्सिडी योजना आदि।

²⁵ म.प्र.पू.क्षे.वि.कं.लि., जबलपुर: ₹ 4,696.43 करोड़, म.प्र.म.क्षे.वि.कं.लि., भोपाल ₹ 5,515.44 करोड़ एवं म.प्र.प.क्षे.वि.कं.लि., इंदौर: ₹ 6,727.84 करोड़।

²⁶ 2016–17: ₹ 3,900 करोड़, 2017–18: ₹ 2,400 करोड़ एवं 2018–19: ₹ 4,900 करोड़।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन बकाया देय राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहा। राज्य सरकार के विभागों ने 2015–16 से 2020–21 के दौरान बकाया राशि का भुगतान नहीं किया एवं चालू बकाया का भी भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप सरकारी विभागों पर बकाया राशि 31 मार्च 2016 को ₹ 536.56 करोड़ से बढ़कर 31 अगस्त 2020²⁷ तक ₹ 1,606.23 करोड़ हो गयी।

सरकारी विभागों पर, वर्ष 2015–16 से 2020–21 की अवधि में वितरण कंपनी वार बकाया राशि का विवरण **परिशिष्ट 2** में दिया गया है। इस प्रकार सृजित राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से उच्च दरों पर कार्यशील पूँजी ऋण से की गयी। जैसा पूर्ववर्ती कंडिका 2.4.4 में चर्चा की गई थी, अतः वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नराउंड का उद्देश्य विफल हो गया।

सरकार ने लेखापरीक्षा परिणाम स्वीकार करते हुए कहा (जनवरी 2022) कि नियमित अनुनय के बावजूद बकाया राशि की वसूली में तेजी नहीं लाई जा सकी।

2.5.4 सरकारी गारंटी प्रदान करने में विफलता के कारण परिहार्य दंडात्मक ब्याज

मध्य प्रदेश राज्य सरकार गारंटी नियम, 2009 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत मध्य प्रदेश सरकार ऋण एवं उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान की गारंटी देती है। इसके नियम (4) के अनुसार, सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित दरों, तरीकों एवं समय अवधि के भीतर, गारंटी शुल्क, उधार लेने वाली संस्था से लिया जायेगा।

आरईसी एवं पीएफसी के साथ निष्पादित ऋण समझौतों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी विलेख निष्पादित करके ऋण की गारंटी दी जानी थी। यदि उधारकर्ता, अर्थात् वितरण कंपनियाँ, स्वीकृत समय सीमा के भीतर गारंटी प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो गारंटी प्राप्त होने तक आगे की अवधि हेतु निर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त ब्याज (जो 0.25 प्रतिशत से 1.00 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच था) लगाया जाना था।

हमने देखा कि यद्यपि वितरण कंपनियाँ/ऊर्जा विभाग ने ऋणों की गारंटी प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग से संपर्क किया, पर नौ ऋणों (₹ 6,387.53 करोड़) के मामले में अनुमोदन लंबित था²⁸ एवं दो ऋणों (₹ 2,400 करोड़) के मामले में समय विस्तार लंबित था। हालांकि, तीन ऋणों (₹ 1,800 करोड़) के मामले में 90 दिनों से 199 दिनों की देरी के साथ गारंटी प्राप्त हो गयी थी। लंबित एवं विलंबित अनुमोदन के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाये गये। परिणामस्वरूप, वितरण कंपनियाँ को ब्याज का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा जैसा नीचे तालिका 2.9 में दर्शाया गया है :

तालिका 2.9: 2016–17 से 2019–20 के दौरान गारंटी प्राप्त करने में देरी/ उपलब्ध न करने के कारण वितरण कंपनियों पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ

वितरण कंपनी	ऋण जिसके लिए गारंटी प्रदान नहीं की गई/ विस्तारित नहीं की गई	ऋण जिसके लिए गारंटी देरी से प्राप्त हुई	ब्याज का अतिरिक्त भार (₹ करोड़ में)
म.प.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर	1,572.83	शून्य	8.99
म.प.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर	2,700.00	1,800.00	19.34
म.प.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल	2,114.70	शून्य	8.55
कुल	6,387.53	1,800.00	36.88

मध्य प्रदेश सरकार से उपरोक्त ऋणों के लिए गारंटी प्राप्त करने में विफलता के कारण वितरण कंपनियों पर ₹ 36.88 करोड़ ब्याज का अतिरिक्त भार आया, जिससे वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति अधिक दबावपूर्ण हो गई। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत वित्तीय टर्नराउंड का उद्देश्य भी उस सीमा तक प्रभावित हुआ।

²⁷ 31 मार्च 2021 को बकाया राशि का विवरण अभी भी प्रतिक्षित है (जुलाई 2021)।

²⁸ वितरण कंपनियों ने (14 मार्च 2019 से 18 जुलाई 2020) ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को अपने ऋण की गारंटी का लाभ उठाने एवं विस्तार करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन्हें वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया गया था। तथापि, इसे वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, जिसके कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

सरकार ने लेखापरीक्षा परिणाम को स्वीकार किया (जनवरी 2022) एवं कहा कि वितरण कंपनियों ने सरकारी गारंटी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव विधिवत प्रस्तुत किए थे लेकिन सरकार द्वारा सरकारी गारंटी प्रदान नहीं की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य ब्याज का भुगतान किया गया।

2.5.5 भविष्य की हानियों के अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.2 (एच) के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों के भविष्य की हानियों को एक चरणबद्ध रूप से²⁹ अधिग्रहण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता की गणना पुस्तकीय हानि के आधार पर की जानी थी, जिसकी गणना हेतु ऋण अधिग्रहण के बदले में वितरण कंपनियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनुदान राजस्व में शामिल नहीं किया जाना था।

तदनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने 2018–19 से 2020–21 के दौरान वितरण कंपनियों के पुस्तकीय हानियों का अधिग्रहण किया। जैसा कि, नीचे तालिका 2.10 में दर्शाया गया है :

तालिका 2.10: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों की हानियों का वास्तविक अधिग्रहण

वितरण कंपनी	2018–19		2019–20		2020–21	
	2017–18 के दौरान हानि	अधिग्रहित हानि	2018–19 के दौरान हानि	अधिग्रहित हानि	2019–20 के दौरान हानि	अधिग्रहित हानि
म.प.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल	2,716.79	135.84	3,837.52	383.75	1,275.16	318.79
म.प.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर	157.00	7.85	565.25	56.53	लागू नहीं ³⁰	लागू नहीं
म.प.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर	2,190.46	109.52	2,896.68	289.67	1,571.34	392.84
कुल	5,064.25	253.21	7,299.45	729.95	2,846.50	711.63

हमने पाया कि, वितरण कंपनियों की पुस्तकीय हानि का अधिग्रहण करते समय, वितरण कंपनियों एवं मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में ऋणों के अधिग्रहण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को जारी किये गये ₹ 1,111 करोड़³¹ के अनुदान राजस्व को समायोजित करते हुए हानियों की गणना की, जिसका विवरण नीचे तालिका 2.11 में दिया गया है:

तालिका 2.11: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों की हानि अधिग्रहण में कमी का विवरण

वितरण कंपनी	2018–19		2019–20		2020–21	
	अनुदान को शामिल करने के कारण पुस्तकीय हानि में कमी	हानि का कम अधिग्रहण	अनुदान को शामिल करने के कारण पुस्तकीय हानि में कमी	हानि का कम अधिग्रहण	अनुदान को शामिल करने के कारण पुस्तकीय हानि में कमी ³²	हानि का कम अधिग्रहण
म.प.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल	205.66	10.28	177.70	17.77	लागू नहीं	लागू नहीं
म.प.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर	188.40	9.42	145.55	14.55	लागू नहीं	लागू नहीं
म.प.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर	216.94	10.85	176.75	17.68	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	611.00	30.55	500.00	50.00	लागू नहीं	लागू नहीं

इस प्रकार, हानियों की प्रतिपूर्ति पर सहायता राशि की गणना के लिए आय में योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान सम्मिलित करना समझौता ज्ञापन का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के दौरान ₹ 80.55 करोड़ (₹ 30.55 करोड़ + ₹ 50.00 करोड़) हानि का कम अधिग्रहण हुआ।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि उदय योजना/ समझौता ज्ञापन में योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान को राजस्व न मानने के संबंध में कोई विशेष दिशा–निर्देश नहीं थे।

²⁹ 2018–19 में 2017–18 के हानि का 5 प्रतिशत, 2019–20 में 2018–19 के हानि का 10 प्रतिशत, 2020–21 में 2019–20 के हानि का 25 प्रतिशत एवं 2021–22 में 2020–21 के हानि का 50 प्रतिशत।

³⁰ म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर ने 2019–20 के दौरान लाभ दर्ज किया, इसलिए हानि का अधिग्रहण नहीं होना था।

³¹ 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान क्रमशः ₹ 611 करोड़ एवं ₹ 500 करोड़ अनुदान प्राप्त हुए।

³² वर्ष 2019–20 के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, अतः अनुदान को सम्मिलित करने से हानि में हुई कमी लागू नहीं होती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समझौता ज्ञापन के परिशिष्ट—सी के अनुसार हानियों की प्रतिपूर्ति पर सहायता राशि की गणना पुस्तकीय हानियों के आधार पर की गई थी, जिसमें ऋण अधिग्रहण के बदले वितरण कंपनियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनुदान से प्राप्त राजस्व शामिल नहीं था।

2.6 उदय के पश्चात वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

यह योजना वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नराउंड के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार की गई थी एवं वितरण कंपनियों के ऋणों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्गीकृत रूप से अधिग्रहित करने हेतु एक ढांचा प्रदान करती है। अग्रेत्तर, योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश के वितरण कंपनियों को सहायता प्रदान करना आवश्यक था। यह परिकल्पना की गई कि वित्त एवं ब्याज लागत में कमी एवं वितरण कंपनियों के राजस्व हानि में कमी के माध्यम से एक वित्तीय टर्नराउंड होगा।

यद्यपि, मध्य प्रदेश सरकार एवं वितरण कंपनियाँ प्रभावी रूप से योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के साथ—साथ समझौता ज्ञापन को केवल आंशिक रूप से लागू कर सकी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरण कंपनियों के ऋणों का अधिग्रहण करने में कमी, और ऋणों के पुनर्भुगतान से संबंधित अन्य सहायक गतिविधियों जैसे बान्ड जारी करना व ऋणों का पुनर्भुगतान में कमी के कारण, वितरण कंपनियों पर ₹ 13,365 करोड़ के ऋण का वर्तमान बोझ जारी रहा। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी एवं सरकारी विभागों की बकाया राशि जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सहायता प्रदान करने में, मध्य प्रदेश सरकार की विफलता के कारण, वितरण कंपनियों को हानियों एवं परिचालन व्ययों के वित्तपोषण करने के लिए ₹ 11,200 करोड़³³ के नए कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में अतिरिक्त बोझ वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंशिक रूप से ऋण अधिग्रहण के बाद भी वितरण कंपनियों के ऋणों की स्थिति में मात्र मामूली कमी³⁴ आई एवं उनकी संचित हानियाँ वास्तव में 2015–16 से 2019–20 के दौरान 48.50 प्रतिशत³⁵ तक बढ़ गईं।

समझौता ज्ञापन में परिकल्पित वितरण कंपनियों के ऋणों में कमी न होना भी योजना अवधि के दौरान वितरण कंपनियों के ब्याज व्यय में वृद्धि का कारण रहा। 2015–16 से 2019–20 के दौरान वितरण कंपनियों का कुल ₹ 12,536.44 करोड़ ब्याज व्यय किया, जो समझौता ज्ञापन में अनुमानित ₹ 9,395 करोड़ ब्याज व्यय से अधिक था।

मध्य प्रदेश सरकार/ वितरण कंपनियों ने योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के साथ—साथ समझौता ज्ञापन को आंशिक रूप से लागू किया। अतः, योजना के कार्यान्वयन के बाद भी वितरण कंपनियों में वित्तीय टर्नराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतकों अर्थात् ऋण एवं उदय से पूर्व एवं पश्चात् के संचित हानियों की स्थिति पर अध्याय–4 में विस्तृत चर्चा की गई है।

³³ वितरण कंपनियों ने बिजली क्रय का भुगतान करने एवं अपनी हानियों के वित्तपोषण के लिए आरईसी/पीएफसी से ₹ 11,200 करोड़ का कार्यशील पूंजी ऋण लिया।

³⁴ 30.09.2015 तक ₹ 34,739.00 करोड़ एवं 31.03.2020 तक ₹ 34,727.04 करोड़।

³⁵ ₹ 17,302.03 करोड़/ ₹ 35,676.36 करोड़ X100।

अध्याय ३

अध्याय 3

वितरण कम्पनियों के परिचालन टर्नराउंड से संबंधित गतिविधियाँ

सारांश

समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां शामिल होती हैं, इसलिए दोनों प्रकार की हानियों को नियंत्रित करने के लिए बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार करना अनिवार्य है, जिससे एटीएंडसी हानियां कम हो सकें।

योजना में परिकल्पित विभिन्न वित्तीय एवं परिचालन गतिविधियों का उद्देश्य 2019–20 तक एटीएंडसी हानियों को कम करके 15 प्रतिशत तक लाना एवं 2019–20 तक वितरण की औसत लागत (एसीएस) एवं औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच के अंतर को समाप्त करना था।

हमने पाया कि यद्यपि बिलिंग दक्षता 2015–16 में 76.55 प्रतिशत से मामूली सुधार होकर 2019–20 में 79.59 प्रतिशत हो गई, उसी अवधि के दौरान संग्रहण दक्षता 97.08 प्रतिशत से घटकर 85.78 प्रतिशत हो गई।

योजना अवधि के अंत में, वितरण कम्पनियाँ एसीएस–एआरआर अन्तर के लक्षित स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी, जो ₹ (1.93) से ₹ (0.16) प्रति यूनिट की सीमा में रहा। समझौता ज्ञापन में एसीएस–एआरआर अन्तर लक्ष्य गलत तरीके से तैयार किए गए थे एवं वितरण कम्पनियों द्वारा उनकी रिपोर्टिंग गलत रूप से की गई थी। प्रतिकूल एसीएस–एआरआर अन्तर के मुख्य कारण विद्युत क्रय लागत, कर्मचारी लागत एवं ब्याज एवं वित्त लागत में वृद्धि होना था।

टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने से खर्च की गई लागतों की वसूली एवं अपलिखित प्राप्तियों का समायोजन करते हुए आगामी टैरिफ निर्धारण करने में तेजी आती है। हमने पाया कि वितरण कम्पनियों द्वारा एमपीईआरसी के समक्ष ट्रॉ-अप याचिकाएं तीन साल तक के विलंब से दायर की गई थीं।

वितरण कम्पनियाँ लागत में कमी एवं राजस्व वसूली के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने में विफल रही। अप्राप्त बकाया वर्ष 2015–16 में ₹ 5,705.27 करोड़ से बढ़कर 2019–20 में ₹ 9,367.88 करोड़ हो गया।

वितरण कम्पनियाँ बुनियादी ढांचे में सुधार करके अपनी दक्षता में सुधार कर सकती थीं, जो राजस्व वसूली को उत्प्रेरित करता, अर्थात् स्मार्ट मीटरों की स्थापना, ऊर्जा ऑडिट, फीडर/ वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) मीटरिंग, फीडर विभक्तिकरण, आदि करना, जैसे ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य योजना (जुलाई 2018) में परिकल्पित किया गया था। तथापि, इन क्षेत्रों में वितरण कम्पनियों का प्रदेशन संतोषजनक नहीं था।

3.1 उदय योजना में परिचालन गतिविधियों का उद्देश्य

योजना में परिचालन गतिविधियों का उद्देश्य वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना था। परिचालन दक्षता में सुधार को परिचालन प्रदर्शन संकेतकों, जो एटीएंडसी हानियों में कमी एवं एसीएस एवं एआरआर के बीच के अंतर को समाप्त करना था, के माध्यम से मापा जाना था।

3.2 उदय योजना में परिचालन गतिविधियों का कार्यान्वयन

परिचालन गतिविधियों के कुशल एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, मध्यप्रदेश सरकार एवं वितरण कम्पनियों को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित करने एवं योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित प्रावधानों के अनुसार गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी। योजना के तहत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय एवं परिचालन गतिविधियों के सफल निष्पादन के बाद, निम्नलिखित परिणाम अपेक्षित थे:

- वर्ष 2019–20 तक एटीएंडसी हानियों को घटाकर 15 प्रतिशत तक करना, एवं
- आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)¹ एवं औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर)² के बीच के अंतर को 2019–20 तक “शून्य” करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, समझौता ज्ञापन में मध्य प्रदेश सरकार एवं वितरण कंपनियों के प्रमुख दायित्वों/प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया गया है, जैसा कि नीचे **तालिका 3.1** में वर्णित है:

तालिका 3.1: योजना के तहत परिचालन मानदंड एवं लक्षित लाभ

क्रमांक सं.	परिचालन मानदंड	उद्देश्य / इच्छित लाभ
1.	2019–20 तक समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम कर समझौता ज्ञापन के लक्षित स्तर 15 प्रतिशत तक लाना।	वित्तीय घाटे में कमी एवं वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार
2.	आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) एवं प्राप्त औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच अंतर को 2019–20 तक घटाकर “शून्य” करना।	वित्तीय घाटे में कमी एवं वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार
3.	टैरिफ में समय पर एवं पर्याप्त संशोधन के लिए उपाय करना।	आवधिक टैरिफ संशोधन लागू करना आसान होगा जो कि उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जा सकता है।
4.	31.12.2017 तक 500 यूनिट व अधिक मासिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं एवं 31.12.2019 तक 200–500 यूनिट/माह खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग करना।	स्मार्ट मीटर की स्थापना दूर से ऊर्जा की खपत को रिकॉर्ड करने एवं प्रभावी निगरानी एवं बिलिंग के लिए उपक्रमों को इसे संप्रेषित करने में मदद करना
5.	31.12.2018 तक अनिवार्य रूप से फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) ³ मीटरिंग करना।	फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटरिंग 11 केवी स्तर तक ऊर्जा ऑडिट करके चोरी से होने वाले नुकसान को पहचानने एवं कम करने में मदद करता है एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने में उपक्रमों को सुविधा प्रदान करना
6.	30.06.2018 तक फीडर विभक्तीकरण करना।	कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए फीडरों का विभक्तीकरण बेहतर भार प्रबंधन एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करना
7.	मांग पक्ष प्रबंधन एवं ऊर्जा दक्षता के लिए उपाय करना।	पीक लोड एवं ऊर्जा खपत को कम करना।
8.	विद्युत क्रय लागत को कम करने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विद्युत क्रय करना।	विद्युत की लागत में कमी एवं आपूर्ति की औसत लागत में परिणामी कमी करना
9.	एटीएंडसी हानि में कमी के लिए क्षेत्र इकाइयों में प्रत्येक प्रभारी अधिकारी के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक तैयार करना एवं मासिक आधार पर वितरण कंपनियों के निष्पादन की निगरानी करना।	एटीएंडसी हानि में कमी।

योजना के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए, उदय पूर्व परिचालन स्थिति, उदय में परिचालन गतिविधियों के लक्ष्य एवं इसकी उपलब्धियों का विश्लेषण किया।

3.3 लक्ष्य एवं उपलब्धि के साथ उदय से पूर्व और पश्चात् की परिचालन स्थिति

एटीएंडसी हानि तथा आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) एवं औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) में अन्तर के संदर्भ में उदय पूर्व एवं पश्चात परिचालन स्थिति का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: परिचालन मानकों के अनुसार वितरण कंपनियों की उदय पूर्व और पश्चात् की स्थिति

परिचालन स्थिति	पूर्व उदय (31 मार्च 2016 तक)	लक्ष्य	उपलब्धि (2019–20 तक)	कमी
एटीएंडसी हानि	23.45 प्रतिशत	15 प्रतिशत मार्च 2020 तक	33.08 प्रतिशत	18.08 प्रतिशत
एसीएस–एआरआर अन्तर	₹ (0.92) प्रति यूनिट	₹ 0 प्रति यूनिट मार्च 2020 तक	₹ (0.83) प्रति यूनिट	₹ 0.83 प्रति इकाई

¹ औसत लागत (एसीएस) का अर्थ है एक विशिष्ट अवधि के दौरान ऊर्जा के कुल इनपुट से विभाजित कुल व्यय।

² औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) का अर्थ है कुल राजस्व (प्राप्ति के आधार पर सभी आय सहित) को एक विशिष्ट अवधि के दौरान ऊर्जा के कुल इनपुट से विभाजित किया जाना है।

³ एक वितरण ट्रांसफार्मर ग्राहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्तर तक वोल्टेज को कम करने के लिए विद्युत वितरण प्रणाली में एक अंतिम वोल्टेज परिवर्तन करने वाला उपकरण है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमने एटीएंडसी हानियों को कम न करने और एसीएस एवं एआरआर के बीच के अंतर को समाप्त न करने के कारणों की जांच की एवं पाया कि एटीएंडसी हानियों के लक्षित स्तरों को प्राप्त न करने के मुख्य कारण कम बिलिंग एवं संग्रह दक्षता, एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए लक्षित परिचालन गतिविधियों को पूर्ण नहीं करना अर्थात् स्मार्ट मीटर न लगाना, डीटी पर मीटर न लगाना, फीडरों की मीटरिंग में देरी, मिश्रित फीडरों को विभक्त न करना आदि थे।

इसी प्रकार, बढ़े हुए ब्याज के बोझ, विद्युत क्रय लागत में कमी में विफलता, ट्रू—अप याचिकाओं को दाखिल करने में देरी, उपभोक्ताओं की कम बिलिंग, बकाया/सब्सिडी दावों की वसूली में विफलता आदि के कारण एसीएस—एआरआर के बीच के अंतर को समाप्त नहीं किया जा सका।

इस संबंध में कमियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है:

3.4 परिचालनात्मक गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा ने उदय योजना के कार्यान्वयन के दौरान परिचालन गतिविधियों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ देखीः

3.4.1 एटीएंडसी हानियों में कमी के लक्ष्यों का प्राप्त न होना

एटीएंडसी हानि वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन का एक वास्तविक माप है क्योंकि इसमें तकनीकी हानियाँ⁴ एवं वाणिज्यिक हानियाँ⁵ दोनों शामिल हैं। यह ऊर्जा प्रणाली में इनपुट ऊर्जा की क्षति को उस ऊर्जा के संदर्भ में प्रदर्शित करता है, जिसका भुगतान प्राप्त किया जा सका। समझौता ज्ञापन के अनुसार, सभी वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2019–20 तक एटीएंडसी हानियों को घटाकर 15 प्रतिशत तक किया जाना था। एटीएंडसी हानियों की गणना के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली नीचे दी गई है:

क	शुद्ध इनपुट ऊर्जा	क्रय की गयी सकल ऊर्जा – (अंतर राज्य बिक्री और पारेषण हानियाँ)
ख	ऊर्जा की बिक्री से राजस्व	ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (बुक की गई सब्सिडी सहित) लेकिन अंतर-राज्यीय बिक्री से राजस्व को छोड़कर
ग	ऊर्जा की बिक्री से समायोजित राजस्व (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर)	ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (ऊपर ख के समान) घटाये बुक की गई सब्सिडी और वर्ष के दौरान बुक की गई सब्सिडी के लिए प्राप्त सब्सिडी क्रय का योग
घ	ऊर्जा की बिक्री के लिए प्रारम्भिक देनदार	प्रारम्भिक देनदार (संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान के बिना)। बिल न किए गए राजस्व को देनदार नहीं माना जाएगा
ङ	ऊर्जा बिक्री के लिए समायोजित अंतिम देनदार	अंतिम देनदार (संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान के बिना)। बिल न किए गए राजस्व को देनदार नहीं माना जाएगा + वर्ष के दौरान बहु खाते में डाली गई कोई भी राशि। (ग+घ-ङ)/ख x 100
च	संग्रह क्षमता (प्रतिशत में)	शुद्ध इनपुट ऊर्जा – (बैची गई ऊर्जा x संग्रह क्षमता)
छ	अप्राप्त ऊर्जा इकाइयाँ	अप्राप्त ऊर्जा इकाइयाँ/शुद्ध इनपुट ऊर्जा x 100
ज	एटीएंडसी हानियां (प्रतिशत में)	

हमने पाया कि वितरण कम्पनियों ने अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार एटीएंडसी हानियों की गणना नहीं की थी। वितरण कम्पनियों द्वारा की गई गणना में विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व में विविध प्रभारों⁶ की वसूली एवं सब्सिडी प्राप्तियों की बकाया राशि⁷ शामिल/समायोजित की गई जिसके परिणामस्वरूप उदय पोर्टल एवं वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस⁸) में एटीएंडसी हानियों को कम बताया गया जैसा कि नीचे चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है :

⁴ तकनीकी हानियाँ, लाइनों और सबस्टेशनों के ओवरलोडिंग, कम एचटी: एलटी लाइन अनुपात, खराब मरम्मत और उपकरणों के रखरखाव और पर्याप्त कैपेसिटर/प्रतिक्रियाशील बिजली उपकरण की गैर-स्थापना के कारण होती है।


⁵ वाणिज्यिक हानियाँ, कम बिलिंग/संग्रह दक्षता, बिजली की चोरी और ऊर्जा लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति के कारण होती है।

⁶ विविध प्रभारों में बिजली की चोरी की राशि, पुनः संयोजन और विच्छेदन शुल्क की वसूली, बिजली की चोरी के लिए समन शुल्क की वसूली और विद्युत शुल्क शामिल हैं।

⁷ 2016–17 और 2017–18 के दौरान।

⁸ एएफएस सहित विभिन्न स्तरों पर रिपोर्टिंग के लिए वितरण कंपनियों को अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार एटीएंडसी हानियों की गणना करने की आवश्यकता थी।

चार्ट 3.1: वितरण कम्पनियों के एटीएंडसी हानि का लक्ष्य एवं उपलब्धि



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कोई भी वितरण कम्पनी समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित एटीएंडसी हानियों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। उदय पोर्टल पर दर्शाई गई एटीएंडसी हानि वितरण कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों (एएफएस) में दर्शाई गई एटीएंडसी विवरण से भिन्न थी। साथ ही, वर्ष 2019–20 में सभी वितरण कम्पनियों की वास्तविक औसत एटीएंडसी हानि 33.08⁹ प्रतिशत थी।

समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य स्तर तक एटीएंडसी हानियों को कम करने में वितरण कम्पनियों की विफलता के कारण 2016–17 से 2019–20 के दौरान ₹ 21,065.65 करोड़¹⁰ की हानि हुई, जैसा कि परिशिष्ट 3 में वर्णित है।

उच्च एटीएंडसी हानियों के लिए प्रमुख कारक कम बिलिंग एवं संग्रह दक्षता है जैसा कि नीचे कठिका 3.4.2 में चर्चा की गई है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (जनवरी 2022) एवं कहा कि कई प्रयासों के बावजूद, एटीएंडसी हानियों को कम नहीं किया जा सका। आगे यह भी कहा गया कि राज्य में सीईए द्वारा अधिसूचित संशोधित कार्यप्रणाली का कार्यान्वयन सब्सिडी की बुकिंग के आधार पर करने के बजाय प्राप्ति के आधार पर किया जाना, वितरण कम्पनियों की असहमति के कारण अभी भी विचाराधीन है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी वितरण कम्पनियाँ 2016–17 से अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में एटीएंडसी हानियों का प्रदर्शन करने के लिए सीईए द्वारा परिचालित संशोधित कार्यप्रणाली को पहले ही अपना चुकी हैं।

3.4.2 बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार के लक्ष्यों का प्राप्त न होना

योजना दिशानिर्देशों की शर्त 4.3 (बी) के अनुसार, वितरण कम्पनियों में परिचालन दक्षता के समग्र परिणामों को बिलिंग एवं संग्रह क्षमता में वृद्धि एवं एटीएंडसी हानियों में कमी के माध्यम से मापा जाना था। तदनुसार, समझौता ज्ञापन के अनुसार, वितरण कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंत तक

⁹ अप्राप्त ऊर्जा इकाइयाँ 23,463.92 एमयू/शुद्ध इनपुट ऊर्जा 70,922.79 एमयू X 100

¹⁰ म.प्र.म.क्षे.वि.क.लि., भोपाल: ₹ 10,922.85 करोड़, म.प्र.पू.क्षे.वि.क.लि., जबलपुर: ₹ 8,013.04 करोड़ और म.प्र.प.क्षे.वि.क.लि., इंदौर: ₹ 2,129.76 करोड़, वितरण कम्पनियों द्वारा उनके एएफएस में रिपोर्ट किए गए एटी एंड सी हानियों के आधार पर निम्नतम रूप से गणना की गई और आपूर्ति की औसत लागत की दर पर राशि निर्धारित की गई।

अपनी बिलिंग दक्षता¹¹ को 85 प्रतिशत एवं संग्रहण दक्षता¹² को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता थी। वास्तविक उपलब्धियों की तुलना में बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों का विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है :

तालिका 3.3: वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता का लक्ष्य एवं उपलब्धि

वितरण कंपनी	बिलिंग क्षमता (प्रतिशत में)			संग्रह क्षमता (प्रतिशत में)		
	समझौता ज्ञापन लक्ष्य	उपलब्धि (जैसा कि वितरण कम्पनियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है)		समझौता ज्ञापन लक्ष्य	उपलब्धि (जैसा कि वितरण कम्पनियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है)	
		2015–16	2019–20		2015–16	2019–20
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल	85.00	74.87	72.40	100.00	92.61	84.10
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर	85.00	77.35	77.48	100.00	97.92	84.96
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर	85.00	77.42	88.90	100.00	100.72	88.27
संपूर्ण वितरण कंपनियाँ	85.00	76.55	79.59	100.00	97.08	85.78

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर ने बिलिंग दक्षता के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया, लेकिन म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल एवं म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे एवं योजना अवधि के अंत तक लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्रमशः 12.60 प्रतिशत एवं 7.52 प्रतिशत तक की कमी रह गई।

इसके अलावा, कोई भी वितरण कम्पनी संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2019–20 के दौरान म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर एवं म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर में क्रमशः 15.90 प्रतिशत, 11.73 प्रतिशत एवं 15.04 प्रतिशत की कमी रही। यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2015–16 के दौरान सभी वितरण कम्पनियों की संग्रह दक्षता 97.08 प्रतिशत थी जो कि 2019–20 के दौरान कम होकर 85.78 प्रतिशत रह गई।

लेखापरीक्षा द्वारा, बिलिंग दक्षता के लक्ष्यों में कमी के मुख्य कारण, स्मार्ट मीटर एवं डीटी मीटरों की स्थापना न करने के कारण उच्च वितरण हानियां, प्रावधिक बिलिंग के अधिक प्रकरण एवं बिलिंग में कमियां आदि पाये गए। राजस्व बकाया की वसूली न होने, चूककर्ता उपभोक्ताओं के मामले में बकाया का संचयन, सरकारी विभागों से विद्युत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न होने आदि के कारण संग्रहण दक्षता कम रही।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न प्रयास अर्थात फोटो मीटर रीडिंग, चोरी नियंत्रण, पुराने बकाया की वसूली, डीटी मीटरों की स्थापना एवं प्रावधिक बिलिंग में कमी आदि किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर ने 2019–20 के दौरान बिलिंग दक्षता का लक्ष्य प्राप्त किया। बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार के लिए, अन्य दो वितरण कम्पनियों द्वारा किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2015–16 की तुलना में 2019–20 के दौरान संग्रह दक्षता में 11.30 प्रतिशत की गिरावट आई है।

3.4.3 समझौता ज्ञापन में एसीएस—एआरआर अन्तर के अनुमानों का गलत निर्धारण

समझौता ज्ञापन में वित्तीय अनुमान, अर्थात् आय विवरण, परिचालन निधि की आवश्यकता एवं एसीएस—एआरआर अन्तर शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2014–15 के वास्तविक आंकड़ों को आधार के रूप में लिया गया था एवं 2015–16 से 2019–20 की अवधि के लिए वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तत्वों को निश्चित अनुमानित दरों पर वृद्धि करके संबंधित वर्षों के लिए तैयार किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में समझौता ज्ञापन में किए गए अनुमानों को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित कमियों का पता चला :

¹¹ बिलिंग दक्षता, प्रदत्त की गई/ आपूर्ति की गई बिजली की कुल इकाइयों के मुकाबले उपभोक्ताओं का विक्रय की गई/बिल की गई इकाइयों का अनुपात से है।

¹² संग्रहण दक्षता से आशय, बिल किए गए कुल राजस्व की तुलना में प्राप्त राजस्व का अनुपात है।

- अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वर्ष 2014–15 के लिए विद्युत क्रय लागत ₹ 3.73 प्रति इकाई¹³ थी। तथापि, वित्तीय अनुमानों की गणना करते समय, वितरण कम्पनियों ने वर्ष 2014–15 के लिए विद्युत क्रय लागत¹⁴ को ₹ 3.45 प्रति यूनिट¹⁵ एवं 2015–16 के लिए ₹ 3.59 प्रति यूनिट के रूप में गलत गणना की थी। चूंकि समझौता ज्ञापन में विद्युत क्रय लागत के बाद के अनुमान प्रति वर्ष चार प्रतिशत वृद्धि की धारणा पर किए गए थे, 2014–15 की विद्युत क्रय लागत के गलत गणना ने बाद के वर्षों (2015–16 से 2019–20 तक) के लिए विद्युत क्रय लागत का गलत अनुमान लगाया। इसके परिणामस्वरूप कुल विद्युत क्रय लागत के अनुमानों को ₹ 7,022 करोड़ कम बताया गया।
- कर्मचारियों की लागत का अनुमान आधार वर्ष 2014–15 से प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की धारणा पर आधारित था। 2014–15 के दौरान, कर्मचारियों की लागत ₹ 2,386 करोड़ थी लेकिन 2015–16 के लिए समझौता ज्ञापन में कर्मचारियों की लागत का अनुमानित आंकड़ा ₹ 2,352 करोड़ के रूप में शामिल किया गया था। मानी गई मान्यताओं के आधार पर वर्ष 2015–16 के लिए कर्मचारियों की लागत ₹ 2,624.60 करोड़ निर्धारित की जानी थी। वर्ष 2015–16 के इस गलत आंकड़े ने बाद में समझौता ज्ञापन¹⁶ की पूरी अवधि (2015–16 से 2019–20 तक) के लिए कर्मचारियों की लागत के अनुमानों को प्रभावित किया एवं परिणामस्वरूप कर्मचारी लागत के अनुमानों को ₹ 1,664 करोड़ कम बताया गया।
- कार्य पत्रक¹⁷ के अनुसार 2015–16 के लिए अनुमानित ब्याज एवं वित्त लागत ₹ 1,789 करोड़ थी जिसे इसके बजाय समझौता ज्ञापन के अनुमानित आय वितरण में ₹ 1,092 करोड़ के रूप में गलत लिया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015–16 के लिए ब्याज एवं वित्त लागत को ₹ 697 करोड़ कम बताया गया।

विद्युत क्रय लागत, कर्मचारियों की लागत एवं ब्याज एवं वित्त लागत की उपरोक्त कमी के कारण समझौता ज्ञापन के वित्तीय अनुमानों में 2015–16 से 2019–20 के दौरान अनुमानित एसीएस–एआरआर अंतर को ₹ 0.19 प्रति यूनिट से ₹ 0.44 प्रति यूनिट तक कम आँका गया, जैसा कि **परिशिष्ट 4** में वर्णित है।

यह देखा जा सकता है कि लागू अनुमानों के आधार पर अनुमानित लागत पर विचार करते हुए, योजना अवधि के दौरान अनुमानित एसीएस–एआरआर अन्तर को समाप्त नहीं किया जा सकता था एवं इस प्रकार समझौता ज्ञापन उस सीमा तक ठीक से तैयार नहीं किया गया। समझौता ज्ञापन में अनुमानित एसीएस–एआरआर अन्तर की तुलना में वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन पर नीचे कठिका 3.4.4 में चर्चा की गई है।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि समझौता ज्ञापन में वित्तीय अनुमान विभिन्न खर्चों के पिछले रुझानों पर आधारित थे एवं भविष्य की आय एवं व्यय की गणना कुछ मान्यताओं के आधार पर की गई थी, जो वास्तविक डेटा से भिन्न हो सकती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार के पास वित्तीय अनुमानों में धारणा बनाने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि उनकी गणना निर्धारित पद्धति के अनुसार की जानी थी। समझौता ज्ञापन के वित्तीय अनुमानों में 2015–16 से 2019–20 के दौरान विद्युत क्रय लागत, कर्मचारियों की लागत एवं ब्याज एवं वित्त लागत को कम करने के कारण अनुमानित एसीएस–एआरआर अन्तर को कम बताया गया।

¹³ कुल विद्युत क्रय लागत यानी ₹ 21,605 करोड़ / 57,886 एम्यू विद्युत क्रय की गई।

¹⁴ विद्युत खरीद लागत के इन गलत आंकड़ों का स्रोत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था।

¹⁵ यह इस तथ्य के बावजूद था कि एमपीपीएमसीएल के 2014–15 के समेकित वित्तीय विवरणों (जनवरी 2016) को अंतिम रूप देने के बाद समझौता ज्ञापन निष्पादित (अगस्त 2016) किया गया था।

¹⁶ हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि पर विचार करके गणना की गई।

¹⁷ समझौता ज्ञापन में शामिल करने के उद्देश्य से ब्याज और वित्त लागत की गणना के लिए वितरण कंपनियों द्वारा तैयार की गई संयुक्त कार्य पत्रक।


3.4.4 एसीएस-एआरआर अन्तर को समाप्त करने में विफलता

योजना दिशानिर्देशों की शर्त 4.3 (बी) के अनुसार, परिचालन दक्षता के समग्र परिणामों को एसीएस-एआरआर अन्तर में कभी के माध्यम से मापा जाना था। तदनुसार, समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (डी) के अनुसार, वितरण कम्पनियों को वर्ष 2019-20 तक एसीएस-एआरआर के बीच के अंतर को समाप्त करना था। एसीएस-एआरआर अन्तर की गणना के लिए उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली नीचे दी गई है:

आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)	कुल व्यय राशि / कुल इनपुट ऊर्जा इकाइया, जहां कुल इनपुट ऊर्जा का अर्थ है पारेषण हानि, अंतर-राज्य बिक्री या ऊर्जा व्यापार आदि जैसे समायोजन करने से पहले इनपुट ऊर्जा
औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर)) एसीएस-एआरआर गैप	ब्रिक की गई सब्सिडी को छोड़कर विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व + प्राप्त सब्सिडी + अन्य आय} / कुल इनपुट ऊर्जा इकाइयां एआरआर से घटाए एसीएस

कठिका 3.4.3 में उल्लेखित एसीएस-एआरआर अन्तर के गलत अनुमानों के अलावा, हमने पाया कि वितरण कम्पनियों ने अनुमोदित कार्यप्रणाली के अनुसार एसीएस-एआरआर अन्तर की गणना नहीं की थी। पिछले वर्षों के लिए प्राप्त सब्सिडी¹⁸ एवं उदय के तहत प्राप्त अनुदान को एआरआर की गणना के उद्देश्य से 'राजस्व' में गलत शामिल किया गया था। इस प्रकार, उदय पोर्टल पर वितरण कम्पनियों द्वारा एसीएस-एआरआर अन्तर की रिपोर्टिंग चार्ट 3.2 एवं परिशिष्ट 5 में दी गई सीमा तक गलत थी :

चार्ट 3.2: वितरण कम्पनियों के एसीएस-एआरआर अन्तर का लक्ष्य एवं उपलब्धि



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर ने उदय पोर्टल पर दर्शाये अनुसार एसीएस-एआरआर अन्तर को समाप्त कर दिया है, लेकिन स्वीकृत कार्यप्रणाली के अनुसार,

¹⁸ वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए।

म.प्र.प.क्षे.गि.वि.कं.लि., इंदौर सहित कोई भी वितरण कम्पनी एसीएस—एआरआर के बीच के अंतर को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

एसीएस—एआरआर के बीच का अंतर बढ़ी हुई लागत जैसा कि कंडिका 3.4.5 में चर्चा की गई है एवं कम राजस्व वसूली जैसा कि नीचे कंडिका 3.4.6 में चर्चा की गई है के कारण समाप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि अनियंत्रित कारकों अर्थात् कर्मचारी लागत में वृद्धि, वित्त लागत, विद्युत क्रय लागत एवं पुराने बकाया की छूट के कारण, वितरण कम्पनियों द्वारा एसीएस—एआरआर अन्तर को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.4.5 आपूर्ति की औसत लागत में कमी करने में विफलता

आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) विद्युत की आपूर्ति से जुड़ी सभी लागतों का योग है, जिसे वितरण कम्पनियों की कुल इनपुट इकाइयों से विभाजित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विद्युत क्रय लागत (80 प्रतिशत)¹⁹ शामिल है।

2016–17 के दौरान वितरण कम्पनियों के लिए एसीएस, समझौता ज्ञापन लक्ष्य ₹ 4.90 प्रति यूनिट के मुकाबले ₹ 5.40 प्रति यूनिट थी। यह 2019–20 के दौरान, समझौता ज्ञापन लक्ष्य ₹ 5.34 प्रति यूनिट के मुकाबले बढ़कर ₹ 5.78 प्रति यूनिट हो गई। एसीएस को लक्षित स्तर तक कम करने में विफलता के मुख्य कारण ब्याज का बढ़ा हुआ बोझ (अध्याय–2 एवं अध्याय–4 में चर्चा की गई) एवं विद्युत क्रय लागत में कमी में विफलता थी जैसा कि नीचे कंडिका 3.4.5.1 में चर्चा की गई है।

3.4.5.1 विद्युत क्रय लागत में कमी करने में विफलता

उदय योजना के कार्यालय ज्ञापन के खंड 5.1 के अनुसार, वितरण कम्पनियों को विद्युत क्रय लागत को कम करना आवश्यक था, जो एसीएस का एक प्रमुख घटक है। तदनुसार, समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (एल) में प्रावधान था कि मध्यप्रदेश सरकार एवं वितरण कंपनियों को पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से संभावित विद्युत क्रय के लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश राज्य में, एमपीपीएमसीएल विद्युत क्रय करता है एवं वितरण कम्पनियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उसे विक्रय करता है। हमने 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान, उच्च दरों पर विद्युत क्रय के विभिन्न प्रकरण पाए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,803.60 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जिसने वितरण कम्पनियों के एसीएस—एआरआर अन्तर को योजना अवधि के दौरान ₹ 0.04 से ₹ 0.17 प्रति यूनिट तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जैसा कि अनुवर्ती कंडिका 3.4.5.1(अ) से (स) में चर्चा की गई है :

अ. विद्युत की अमितव्ययी क्रय

राज्य में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए, एमपीपीएमसीएल ने विभिन्न उपक्रमों²⁰ के साथ विद्युत क्रय समझौते (पीपीए²¹) निष्पादित किए थे। आवश्यकता से अधिक विद्युत क्रय के लिए किया गया कोई भी पीपीए अनिवार्य रूप से स्थायी लागत के रूप में (विद्युत क्रय का लाभ उठाए बिना) परिहार्य व्यय आकर्षित करता है एवं ऐसी अतिरिक्त विद्युत की पावर एक्सचेंज में कम दरों पर बिक्री के कारण होने वाले नुकसान का कारण बनता है। इसके अलावा, एमपीपीएमसीएल को मेरिट ऑर्डर डिस्पैच²² (एमओडी) पद्धति के अनुसार विद्युत क्रय की आवश्यकता थी, जिसके अनुसार एमपीपीएमसीएल को किसी ऐसे स्रोत से विद्युत क्रय नहीं करनी चाहिए थी जो महंगी विद्युत की पेशकश कर रहा हो, जब

¹⁹ वर्ष 2015–16 के लिए समझौता ज्ञापन के अनुलग्नक सी में शामिल वित्तीय अनुमानों के अनुसार, विद्युत क्रय लागत: ₹ 23,342 करोड़ / कुल लागत: ₹ 29,052 करोड़ x 100।

²⁰ केंद्रीय, राज्य बिजली उत्पादन उपक्रमों (पीजीयू) और स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी), नई और नवीकरणीय बिजली उत्पादन उपक्रमों सहित।

²¹ अधिकतम मांग और विद्युत की उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए, एमपीपीएमसीएल ने विभिन्न बिजली उत्पादन उपक्रमों के साथ लंबी अवधि (अमतौर पर 25 साल के लिए) और अल्पकालिक (एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए) पीपीए निष्पादित किए अर्थात् राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशन, केंद्रीय उत्पादन स्टेशन और स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) जो कि एमपीईआरसी/सीईआरसी द्वारा तय की गई दर पर थे।

²² हर महीने सभी स्रोतों से विद्युत की प्रति यूनिट लागत के अवरोही क्रम में तैयार की जाती है।

किसी अन्य स्रोत से सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध हो। विभिन्न स्रोतों से की गई विद्युत क्रय के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

- 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान, वितरण कम्पनियों/ एमपीपीएमसीएल ने उचित अनुमान के साथ विद्युत की खपत की आवश्यकता का आकलन करने में गलती की एवं मुख्य रूप से आवश्यकता से अधिक पीपीए निष्पादित करने के कारण ₹ 3.49 प्रति यूनिट से ₹ 3.96 प्रति यूनिट के बीच उच्च दरों पर 12,945.03 एमयू विद्युत क्रय की। 2015–16 से 2019–20²³ के दौरान, आवश्यकता से अधिक क्रय की गई विद्युत को पावर एक्सचेंज पर कम दरों पर विक्रय की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 827.24 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि नीचे तालिका 3.4 में वर्णित है :

तालिका 3.4: अधिक विद्युत क्रय करने के कारण हानि का विवरण

वर्ष	कुल विद्युत क्रय (एमयू) ²⁴	पावर एक्सचेंज को अतिरिक्त विद्युत की बिक्री (एमयू)	कुल विद्युत क्रय में अतिरिक्त विद्युत का ग्राहक	क्रय एवं बिक्री दर में अंतर (₹ प्रति यूनिट)	परिहार्य व्यय (₹ करोड़ में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ) = (ग) x 100 / (ब)	(ङ)	(च) = (ग) x (ङ) / 10
2015–16	64,504.69	965.53	1.50	0.96	92.69
2016–17	63,208.85	2,707.35	4.28	1.34	362.79
2017–18	69,719.50	3,484.61	5.00	0.32	111.51
2018–19	77,533.34	3,338.18	4.31	0.20	66.76
2019–20	75,666.57	2,449.36	3.24	0.79	193.49
कुल	3,50,632.95	12,945.03		—	827.24

हालांकि, विद्युत की आवश्यकता का सटीक आकलन संभव नहीं है, फिर भी, न तो मध्य प्रदेश सरकार एवं न ही एमपीपीएमसीएल ने विद्युत क्रय में भिन्नता के लिए छूट की सीमा निर्धारित करने वाली कोई नीति/ नियम तैयार किये हैं।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि बिना किसी विद्युत क्रय के भी उन्हें स्थायी शुल्क के भुगतान से बचने के लिए विद्युत उत्पादन इकाइयों से हकदार/ निर्धारित विद्युत क्रय करनी पड़ती है।


उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमपीपीएमसीएल को तीनों मौसमों के औसत पीक लोड के आधार पर विद्युत क्रय के लिए अनुबंधों को निष्पादित करना चाहिए था। अधिक विद्युत क्रय से बचने के लिए औसत पीक लोड से विद्युत की कमी को शॉर्ट टर्म पीपीए या पावर एक्सचेंज के माध्यम से क्रय किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, स्थायी शुल्क बचाने का उद्देश्य हासिल नहीं किया गया क्योंकि एमपीपीएमसीएल ने पीपीए के तहत विद्युत की अधिक अनुबंधित मात्रा के लिए ₹ 1,506.84 करोड़ {स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को ₹ 706.94 करोड़ एवं एनटीपीसी को ₹ 799.90 करोड़} के स्थाई शुल्क का भुगतान किया था, जिसके लिए कोई भी विद्युत क्रय नहीं की गई थी।

- 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान विद्युत की अधिक अनुबंधित मात्रा एवं अधिक क्रय को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि चार्ट 3.3 में दर्शाया गया है), हमने पाया कि एमपीपीएमसीएल के लिए एनटीपीसी से विद्युत की संपूर्ण अनुबंधित मात्रा का लाभ उठाना पहले किफायती होता, जो एमओडी सूची के अनुसार सस्ती दरों पर उपलब्ध था, एवं शेष आईपीपी से, जो एमओडी सूची के अनुसार एनटीपीसी की तुलना में महंगी थी। इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्रय लागत में ₹ 1,397.14 करोड़ की कमी लाई जा सकती थी जैसा कि नीचे तालिका 3.5 में वर्णित है।

²³ 2020–21 के दौरान, एमपीपीएमसीएल ने ₹ 3.96 प्रति यूनिट की दर से 1,554.93 एमयू अतिरिक्त विद्युत क्रय की और इसे लगभग ₹ 3.90 प्रति यूनिट की समान दर पर पावर एक्सचेंज को बेच दिया।

²⁴ एमपीपीएमसीएल द्वारा प्रस्तुत दर पत्रक के अनुसार।

चार्ट 3.3: ऊर्जा क्रय किये बिना स्थायी शुल्क का भुगतान



तालिका 3.5: उच्चदर पर विद्युत क्रय के कारण हानि

विवरण	इकाई	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
कुल विद्युत क्रय (क) = (ङ)+(ज)	एमयू	35,120.46	23,404.21	30,365.88	30,383.73	25,919.45	33,156.28
पावर एक्सचेंजों में बेची गई विद्युत (ख)	एमयू	965.53	2,707.35	3,484.61	3,338.18	2,449.36	1,554.93
वास्तविक आवश्यकता (ग) = क–ख	एमयू	34,154.93	20,696.86	26,881.27	27,045.55	23,470.09	31,601.35
एनटीपीसी से पात्र विद्युत (घ)	एमयू	22,612.86	23,700.83	23,633.83	24,328.74	29,072.90	35,061.97
एनटीपीसी से प्राप्त वास्तविक विद्युत (ङ)	एमयू	17,516.96	17,127.56	21,586.85	20,610.09	17,931.00	24,015.65
आईपीपी से पात्र शक्ति (च)	एमयू	19,589.70	9,357.19	10,915.24	11,341.75	11,543.65	11,682.61
एनटीपीसी की तुलना में आईपीपी विद्युत की अधिक लागत (छ)	₹ में	0.10	0.57	0.69	0.90	0.55	0.08
आईपीपी से वास्तविक क्रय (ज)	एमयू	17,603.50	6,276.65	8,779.03	9,773.64	7,988.45	9,140.63
एनटीपीसी के पास कुल उपलब्ध विद्युत (झ) = (घ) – (ङ)	एमयू	5,095.90	6,573.27	2,046.98	3,718.65	11,141.90	11,046.32
विद्युत की आवश्यकता जो की आईपीपीएस से लेना आवश्यक था (ज) = (ज) – (झ)	एमयू	12,507.60	0.00	6,732.05	6,054.99	0.00	0.00
अतिरिक्त लागत (ट) = (छ) X (झ) / 10 एवं (छ) X (ज) / 10	₹ करोड़ में	50.96	357.77	141.24	334.68	439.36	73.13
आईपीपी से विद्युत लेने के कारण हुई कुल अतिरिक्त लागत (₹ करोड़ में)							1,397.14

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि उच्च दरों के कारण अतिरिक्त लागत से बचने के लिए मेरिट ऑर्डर डिस्पैच (एमओडी) के अनुसार क्रय की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनटीपीसी की दरें आईपीपी की तुलना में कम थीं, इसलिए, एनटीपीसी आईपीपी की तुलना में एमओडी सूची में निम्न स्थान पर था। इस प्रकार, एमओडी के अनुसार, एनटीपीसी की पात्र विद्युत, कम दर होने के कारण, पहले क्रय की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, एमपीपीएमसीएल द्वारा विद्युत क्रय के अनुचित मूल्यांकन एवं अविवेकपूर्ण योजना के कारण, वितरण कम्पनियों को 2015–16 से 2020–21 के दौरान ₹ 3,731.22 करोड़²⁵ की परिहार्य लागत वहन करनी पड़ी।

ब. विद्युत क्रय लागत में शुद्ध लाभ का गैर समायोजन

एमपीपीआरसी विनियमों के अनुसार²⁶, नियंत्रणीय मापदंडों के कारण एक विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा वित्तीय लाभ²⁷ को उत्पादन कंपनी एवं लाभार्थियों, यानी वितरण कम्पनियों के बीच मासिक आधार पर वार्षिक मिलान के साथ साझा²⁸ किया जाना था।

एमपीपीजीसीएल के तीन थर्मल पावर स्टेशनों²⁹ के प्रदर्शन डेटा की जांच से पता चला कि एमपीपीएमसीएल वर्ष 2016–17 से 2019–20 के लिए ₹ 30.85 करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त करने का पात्र था, जिसे न तो विद्युत जनरेटर द्वारा प्रदान किया गया था एवं न ही एमपीपीएमसीएल द्वारा विद्युत क्रय बिलों (मार्च 2021) से समायोजित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्रय लागत में ₹ 30.85 करोड़ की बचत का लाभ नहीं हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 6** में वर्णित है।

सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया (जनवरी 2022)।

स. परिसमापन हर्जाना की वसूली न करना

एमपीपीएमसीएल ने उत्पादित ऊर्जा के 37.50 प्रतिशत हिस्से के क्रय के लिए मेसर्स सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (मेसर्स एसयूएमपीपी) के साथ एक पीपीए निष्पादित (अगस्त 2007) किया था। पीपीए के अनुच्छेद 4.6 में यूनिट के अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) में देरी के लिए परिसमापन हर्जाना (एलडी) लगाने का प्रावधान था, जो उनकी तत्कालीन मौजूदा आवंटित अनुबंधित क्षमता के अनुपात में था।

मेसर्स एसयूएमपीपी द्वारा यूनिट को चालू करने में देरी के कारण, परिसमापन हर्जाना की गणना के लिए वास्तविक सीओडी³⁰ के निर्धारण का विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया (दिसंबर 2016)। तदनुसार, मेसर्स एसयूएमपीपी द्वारा क्रेताओं को ₹ 110.74 करोड़³¹ के परिसमापन हर्जाना का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया था, जिसमें से एमपीपीएमसीएल का हिस्सा ₹ 41.53 करोड़ था। तथापि, मेसर्स एसयूएमपीपी को परिसमापन हर्जाना की वसूली के लिए आज तक बिना किसी कारण के कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकार परिसमापन हर्जाना की राशि ₹ 41.53 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि 03.08.2015 को हुई क्रेताओं की बैठक में यह सहमति हुई थी कि दोनों पक्षों अर्थात् क्रेताओं एवं मेसर्स एसयूएमपीपी से देरी हुई, जिसके कारण परिसमापन हर्जाना की मांग नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 03.08.2015 के क्रेताओं की बैठक के काफी बाद दिसंबर 2016 में मामले का फैसला किया था, कि एसयूएमपीपी की ओर से यूनिट के सीओडी में देरी हुई थी, इसलिए, परिसमापन हर्जाना तदनुसार लगाया जाना चाहिए था।

²⁵ ₹ 827.24 करोड़ + ₹ 706.94 करोड़ + ₹ 799.90 करोड़ + ₹ 1,397.14 करोड़।

²⁶ एमपीपीआरसी (उत्पादन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2015 का प्रावधान 8.9। लाभ साझा करने की शर्त उन उत्पादन इकाइयों पर भी लागू होती है जिन पर सीआरसी विनियमन लागू होता है।

²⁷ वित्तीय लाभ = (नियामक ऊर्जा दर – वास्तविक ऊर्जा प्रभार दर) X अनुसूचित उत्पादन।

²⁸ वित्तीय लाभ को उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों के बीच 2:1 के अनुपात में साझा किया जाना था, जिसे 2019–20 से 50:50 संशोधित किया गया था।

²⁹ अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन (एटीपीएस), चर्चई, संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन (एसजीटीपीएस), बिरसिंहपुर और सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीएस), सारनी।

³⁰ 31.03.2013 को मैसर्स एसयूएमपीपी के दावे के विपरीत 16.08.2013।

³¹ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर एमपीपीएमसीएल द्वारा गणना की गई एलडी की राशि।

इस प्रकार 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान वितरण कम्पनियों ने ₹ 3,803.60 करोड़³² का व्यय विद्युत क्रय लागत पर किया जो की परिहार्य था। उपरोक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए, योजना अवधि के दौरान एसीएस–एआरआर अन्तर को ₹ 0.04 से ₹ 0.17 प्रति यूनिट तक कम किया जा सकता था जैसा कि **परिशिष्ट 7** में वर्णित है।

3.4.6 औसत राजस्व प्राप्ति को सुधारने में विफलता

औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) निर्धारित टैरिफ पर उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति पर चार्ज करके अर्जित और राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी का कुल योग है, जिसे वितरण कम्पनियों की कुल इनपुट इकाइयों से विभाजित किया जाता है। वितरण कम्पनियों के संचालन की वित्तीय व्यवहार्यता को सुरक्षित करने एवं एसीएस एवं एआरआर के बीच के अंतर को कम करने के लिए बेहतर एआरआर महत्वपूर्ण है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–17 के दौरान वितरण कम्पनियों का एआरआर ₹ 4.46 प्रति यूनिट था, जबकि समझौता ज्ञापन में लक्ष्य ₹ 4.56 प्रति यूनिट था। यह 2019–20 में थोड़ा बढ़कर ₹ 4.95 प्रति यूनिट हो गया लेकिन समझौता ज्ञापन के ₹ 5.44 प्रति यूनिट के लक्ष्य से कम था। ट्रू–अप याचिकाओं को देर से दाखिल करने के कारण वितरण कम्पनिया लक्षित एआरआर प्राप्त नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ के माध्यम से स्वीकार्य व्यय की वसूली नहीं की जा सकी। इसके अलावा, उपभोक्ताओं की कम बिलिंग, बकाया/सब्सिडी दावों की वसूली में विफलता एवं समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्षित परिचालन गतिविधियों का प्रदर्शन नहीं करने से एआरआर कम हुआ, जैसा कि कंडिका 3.4.6.1 से 3.4.6.5 में चर्चा की गई है।

3.4.6.1 ट्रू–अप याचिकाओं को प्रस्तुत करने में विफलता

विनियमों³³ की धारा 8.4 के अनुसार, वार्षिक खुदरा टैरिफ आदेश के लिए ट्रू–अप याचिका अगले वर्ष के अक्टूबर तक दायर की जानी थी। एमपीपीएमसीएल, वितरण कम्पनियों की होल्डिंग कंपनी होने के नाते, प्रबंधन एवं कॉरपोरेट फंक्शन एग्रीमेंट दिनांक 05 जून 2012 के खंड 1 (ओ) के अनुसार, सभी वितरण कम्पनियों की ओर से कुल राजस्व आवश्यकता एवं खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका दायर करने के लिए अधिकृत है।

एमपीपीएमसीएल, द्वारा दायर 2013–14 से 2019–20 की अवधि के लिए ट्रू–अप याचिकाओं³⁴ की स्थिति का विवरण नीचे तालिका 3.6 में दिया गया है :

तालिका 3.6: ट्रू–अप याचिकाओं को प्रस्तुत करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

ट्रू–अप याचिका का वर्ष	एमपीपीएमसीएल द्वारा दायर राजस्व घाटे की राशि	ट्रू–अप याचिका दायर करने की नियत तिथि	ट्रू–अप याचिका दायर की वास्तविक तिथि	ट्रू–अप याचिका दायर करने में देरी (महीने)	ट्रू–अप ऑर्डर की तिथि	ट्रू–अप ऑर्डर में देरी (महीने)	म.प्र.वि.नि.आ. द्वारा स्वीकृत कुल राशि ³⁵	टैरिफ आदेश वर्ष में अनुमति
2013–14	9,288.52	31.10.2014	13.06.2016	20	30.11.2018	49	3,919.49	2019–20 अभी तक अनुमति नहीं है
2014–15	5,156.88	31.10.2015	07.12.2018	38	24.05.2021	66	2,644.99	
2015–16	7,156.94	31.10.2016	30.07.2019	33		54	3,764.24	
2016–17	7,247.55	31.10.2017	17.09.2019	23		42	4,148.29	
2017–18	5,327.54	31.10.2018	15.10.2019	12		30	2,856.27	
2018–19	7,053.64	30.11.2019	19.12.2019	1		18	438.35	
कुल	41,231.07						17,771.63	

³² (अ) से (स) का योग = ₹ 3,731.22 करोड़ + ₹ 30.85 करोड़ + ₹ 41.53 करोड़ = ₹ 3,803.60 करोड़।

³³ एमपीइआरसी (बिजली की आपूर्ति और व्हीलिंग के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें और शुल्क के निर्धारण के लिए तरीके और सिद्धांत) विनियम 2012 और 2015।

³⁴ खुदरा टैरिफ आदेश अनंतिम आधार पर पारित किया जाता है और वास्तविक राजस्व घाटा/अधिशेष (वास्तविक राशि) का दावा टैरिफ अवधि के पूरा होने के बाद ट्रू–अप याचिका के माध्यम से किया जाता है। वितरण कम्पनियों के राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संतुलित करने के लिए राजस्व घाटे को समय पर वसूलने के लिए याचिका समय पर दायर करना चाहिए।

³⁵ वर्ष 2014–15 से 2018–19 के लिए, एमपीइआरसी ने कुल राजस्व घाटा ₹ 13,852.14 करोड़ को मंजूरी दी, हालांकि, इसे पहले वितरण कंपनियों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए उदय अनुदान से समायोजित किया गया था और टैरिफ में ₹ 908.93 करोड़ के शुद्ध राजस्व घाटे की अनुमति दी गई थी।

हमने पाया कि अप्रैल 2016 से दिसंबर 2019 के दौरान एमपीईआरसी द्वारा बार-बार स्मरण कराने के बावजूद, 2014–15 से 2018–19 की अवधि के लिए ट्रू-अप याचिकाएं एक महीने से 38 महीने तक की देरी से दायर की गई। एमपीपीएमसीएल द्वारा वर्ष 2013–14 से 2018–19 के लिए ट्रू-अप याचिकाएं दायर करने में देरी के कारण, वितरण कम्पनियों का राजस्व घाटा 2019–20 के अंत में, ₹ 41,231.07 करोड़ तक पहुंच गया। ट्रू-अप याचिकाओं को दाखिल करने में देरी के कारण अभिलेखों से स्पष्ट नहीं थे।

एमपीपीएमसीएल द्वारा ट्रू-अप याचिकाएं दायर करने में देरी के कारण, एमपीईआरसी ने भी देरी के साथ 2013–14 से 2018–19 की अवधि के लिए ₹ 17,771.63 करोड़ का राजस्व घाटा होना स्वीकार किया। इसके बदले में राजस्व प्राप्ति कम हो गई क्योंकि अपेक्षित समय पर टैरिफ वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकी। फलस्वरूप, ट्रू-अप ऑर्डर को अंतिम रूप देने में देरी से, वित्त एवं ब्याज लागत में वृद्धि के कारण, वितरण कम्पनियों के एसीएस-एआरआर अन्तर पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि घाटे को ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था जैसा कि अध्याय 4 के कंडिका 4.1 में चर्चा की गई है।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि वर्ष 2008–09 से 2011–12 के लिए ट्रू-अप याचिकाओं में मुकदमेबाजी के कारण, 2013–14 के लिए ट्रू अप याचिका दायर करने में देरी हुई, जिसके कारण बाद के वर्षों 2014–15 से 2018–19 तक की ट्रू-अप याचिकाएं दायर करने में देरी हुई। इसके अलावा, वर्ष 2014–15 से 2018–19 के लिए ट्रू अप याचिकाओं का मई 2021 में एमपीईआरसी द्वारा निपटारा कर दिया गया है जिसमें ₹ 908.83 करोड़ की राशि स्वीकार की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमपीपीएमसीएल एवं वितरण कम्पनियों ने एमपीईआरसी द्वारा कठोर अनुसरण के बाद ही ट्रू-अप याचिकाएं दायर की थी। वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न डेटा विसंगतियों एवं एमपीईआरसी के प्रश्नों के उत्तर देने में देरी के कारण, ट्रू अप याचिकाओं को दायर करने एवं एमपीईआरसी द्वारा अंतिम आदेश को पारित करने में और भी हुई।

3.4.6.2 टैरिफ के माध्यम से मानदंडों से अधिक किए गए व्यय की वसूली न होना

टैरिफ विनियमों के अनुसार, विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों/पद्धतियों से अधिक बढ़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण साथ ही कार्यशील पूँजी ऋण पर वित्त लागत एमपीईआरसी द्वारा अमान्य कर दी जाती है एवं इसे वितरण कम्पनियों द्वारा वहन किया जाता है।

अ. वित्त लागत: टैरिफ विनियमों के खंड 21, 22 एवं 36 के अनुसार, कार्यशील पूँजी ऋण पर ब्याज निर्दिष्ट मानक आधार पर एवं परियोजना ऋण पर ब्याज केवल संबंधित वर्षों में पूँजीकृत संपत्ति के लिए मान्य था। 2015–16 से 2019–20 की अवधि के लिए ट्रू-अप याचिकाओं में दावा की गई वित्तीय लागत एवं पात्र राशि का विवरण नीचे तालिका 3.7 में दिया गया है:

तालिका 3.7: एमपीईआरसी विनियमों के अनुसार पात्र वित्त लागत की तुलना में वास्तविक लागत का विवरण

वर्ष	वास्तविक खर्च की गई वित्त लागत	दावे के लिए पात्र राशि जो कि ट्रू-अप याचिकाओं में शामिल थी	अतिरिक्त वित्त लागत टैरिफ के माध्यम से वसूली के लिए पात्र नहीं है (द)=(ब) – (स)
(अ)	(ब)	(स)	(द)=(ब) – (स)
2015–16	886.23	437.28	448.95
2016–17	1,269.32	597.05	672.27
2017–18	3,067.85	346.99	2,720.86
2018–19	3,018.54	749.97	2,268.57
2019–20	3,418.89	561.44	2,857.45
कुल	11,660.83	2,692.73	8,968.10

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि योजना अवधि के दौरान वित्त लागत में लगातार वृद्धि हुई एवं वह एमपीईआरसी मानदंडों से 76.91 प्रतिशत की सीमा तक अधिक थी, जो की टैरिफ के माध्यम से वसूली के लिए अपात्र होने के कारण, वितरण कंपनियों द्वारा वहन की गई।

ब. बहु खाते में डाले गए ऋण: विनियमों के उपवाक्य 35 के अनुसार, संबंधित वर्षों के राजस्व का एक प्रतिशत³⁶ की अधिकतम सीमा के अधीन अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की अनुमति है। तथापि, 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान, ₹ 3,723.77 करोड़ की कुल अशोध्य ऋण वितरण कम्पनियों द्वारा बहु खाते में डाली गई थी जो कि स्वीकार्य सीमा से ₹ 2,635.88 करोड़ अधिक थी। अतिरिक्त अशोध्य ऋण मुख्य रूप से वितरण कम्पनियों (कंडिका 3.4.6.4) के अपर्याप्त प्रयासों एवं एमबीबीएमवाई योजना (अध्याय– 2 के कंडिका 2.5.1) के तहत छूट के कारण बकाया राशि की वसूली नहीं होने के कारण थे।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि वित्त लागत एवं अशोध्य ऋणों को बहु खाते में डालने की छूट की सीमा एमपीईआरसी द्वारा उसके विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों पर आधारित थी एवं वितरण कम्पनियों का निर्धारित विनियमों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त लागत में कमी का उत्तरदायित्व वितरण कम्पनियों का था जो कि महँगे कार्यशील पूँजी ऋण लेने एवं महंगी विद्युत प्राप्त करने के कारण नहीं किया गया था। इसके अलावा, देय राशि की वसूली के लिए किए गए प्रयासों का विवरण एमपीईआरसी को प्रदान करने में वितरण कम्पनियों की विफलता, एमपीईआरसी द्वारा बहु खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को अस्वीकार करने का मुख्य कारण था।

परिणामस्वरूप, एक ओर एसीएस में वृद्धि हुई थी एवं दूसरी ओर, टैरिफ के माध्यम से लागत की वसूली नहीं की जा सकी, इस प्रकार एसीएस—एआरआर के बीच का अंतर ₹ 11,603.98³⁷ करोड़ तक बढ़ गया।

3.4.6.3 उपभोक्ताओं की कम बिलिंग के कारण राजस्व की हानि

एआरआर एवं एसीएस के बीच के अंतर को समाप्त करने एवं लक्षित बिलिंग दक्षता हासिल करने के समझौता ज्ञापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उपभोक्ताओं के बिल टैरिफ आदेश / विद्युत आपूर्ति कोड के प्रावधानों के अनुसार जारी किये जाये जिससे कम बिलिंग की घटनाओं से बचा जा सके।

तथापि, कुल 52 वृत्त कार्यालयों में से 12³⁸ में उच्च—दाब (एचटी) उपभोक्ताओं के बिलों की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि योजना अवधि के दौरान, वितरण कम्पनियों को टैरिफ आदेश एवं विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण 38 एचटी उपभोक्ताओं की कम बिलिंग के कारण ₹ 136.97 करोड़ की राजस्व हानि हुई जैसा कि परिशिष्ट 8 में वर्णित है।

मध्य प्रदेश शासन ने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि, कम बिलिंग के सभी मामलों की जांच की जा रही है एवं तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 12 वृत्त कार्यालयों में नमूना—जांच के दौरान गलत बिलिंग/राजस्व के कम निर्धारण के उपरोक्त उदाहरण देखे गए थे एवं वितरण कम्पनियों के शेष 40 वृत्त कार्यालयों में भी इसी तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं, जिन पर संबंधित वितरण कम्पनियों द्वारा उनके स्तर जांच की जा सकती है।

योजना अवधि के दौरान कम बिलिंग की जांच करने में वितरण कम्पनियों की उपरोक्त विफलता ने वितरण कम्पनियों के राजस्व को कम कर दिया एवं इस प्रकार एआरआर एवं एसीएस के बीच अन्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके कारण वितरण कम्पनिया एसीएस—एआरआर अन्तर के समझौता ज्ञापन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी जैसा कि पिछले कंडिका 3.4.4 में विस्तार से चर्चा की गई है।

³⁶ एमपीईआरसी के निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत सरकार के आदेश पर बहु खाते में डाले गए अशोध्य ऋण पात्र नहीं होंगे।


³⁷ ₹ 8,968.10 करोड़ + ₹ 2,635.88 करोड़ = ₹ 11,603.98 करोड़ ।

³⁸ म.प्र.म.क्षे.वि.विक.लि., भोपाल (ओ एंड एम), विदिशा, राजगढ़ और होशंगाबाद वृत्त कार्यालय; म.प्र.प.क्षे.वि.विक.लि., इंदौर (ओ एंड एम), उज्जैन, खंडवा और मंदसौर वृत्त कार्यालय; म.प्र.प.क्षे.वि.विक.लि., जबलपुर (ओ एंड एम), सिवनी, नरसिंहपुर और रीवा वृत्त कार्यालय।

3.4.6.4 राजस्व बकाया की वसूली में विफलता

वितरण कम्पनियाँ अपने उपभोक्ताओं को बिल किए गए राजस्व की वसूली के लिए जिम्मेदार हैं। एसीएस-एआरआर अन्तर को समाप्त करने के लिए, वितरण कम्पनियों को अपने वर्तमान बकाया की वसूली करने की आवश्यकता होती है, जिससे बकाया का संचय न हो एवं बकाया की वसूली के लिए प्रभावी कदम भी उठाये जाये। मार्च 2016 से मार्च 2020 तक वितरण कम्पनियों की बकाया राशि नीचे चार्ट 3.4 में दी गई है:

चार्ट 3.4: वितरण कम्पनियों के बकाया शेष की स्थिति



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सभी वितरण कम्पनियों में वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान कुल बकाया राशि में 64.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह इस तथ्य के बावजूद था कि 2015–16 से 2019–20 के दौरान म.प्र.म.क्ष.वि.वि.क.लि., भोपाल, म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.क.लि., जबलपुर एवं म.प्र.प.क्ष.वि.वि.क.लि., इंदौर द्वारा क्रमशः ₹ 1,417.21 करोड़, ₹ 886.99 करोड़ एवं ₹ 1,419.57 करोड़ के अशोध्य ऋण बढ़े खाते में डाले गए थे।

2018–19 के दौरान राजस्व बकाया में गिरावट का मुख्य कारण एमबीबीएमवाई योजना की शुरुआत थी। वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान बकाया के संचय में वृद्धि के मुख्य कारण विलंबित विच्छेदन या चूककर्ता स्थायी एवं अस्थायी करेक्षणों का असंयोजन न करना, बकाया की वसूली के लिए चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई न करना तथा चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध जारी किए गए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र का पालन नहीं करना था।

शासन ने कहा (जनवरी 2022) कि दीर्घकालीन गैर-भुगतानकर्ता उपभोक्ताओं, चूककर्ता उपभोक्ताओं एवं राज्य सरकार के विभागों तथा स्थिर दर कृषि उपभोक्ताओं से राजस्व की वसूली के संबंध में राजस्व बकाया को कम करने के प्रयास निरंतर किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियाँ बकाया के संचय को रोकने में विफल रही जिसके कारण उदय योजना के उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय एवं परिचालन परिवर्तन प्राप्त करने में वितरण कम्पनियाँ विफल रहीं।

3.4.6.5 लक्षित परिचालन गतिविधियों के निष्पादन में कमियां

योजना के दिशा-निर्देशों के उपवाक्य 4.0 गतिविधि वार लक्ष्य एवं उनके इच्छित लाभों को निर्धारित करता है, जैसा कि पिछले कंडिका 3.2 में चर्चा की गई है। तदनुसार, इन परिचालन गतिविधियों को समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 में शामिल किया गया था। इन परिचालन गतिविधियों को भी कार्यान्वयन करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि वितरण कम्पनियों के एआरआर में वृद्धि हो सके।

लक्षित परिचालन गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियों की चर्चा अनुवर्ती कंडिका (अ) से (द) में की गई है :

अ. उदय योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर नहीं लगाना

योजना / समझौता ज्ञापन के अनुसार, 500 यूनिट प्रति माह से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की लक्ष्य तिथि 31 दिसंबर 2017 थी एवं प्रति माह 200 यूनिट / माह से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए लक्ष्य दिनांक 31 दिसंबर 2019 थी। स्मार्ट मीटर³⁹ विद्युत चोरी की घटनाओं को रोकते हैं एवं अनंतिम बिलिंग को कम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एआरआर में सुधार होता है। वितरण कम्पनियों द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए किए गए प्रयास अपर्याप्त थे जैसा कि नीचे तालिका 3.8 से स्पष्ट है:

तालिका 3.8: दिसंबर 2020 तक वितरण कम्पनियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की स्थिति

(संख्या लाख में)						
वितरण कम्पनियों का नाम	मीटर वाले उपभोक्ता	500 यूनिट व अधिक माह खपत करने वाले उपभोक्ता	200–500 यूनिट / माह खपत करने वाले उपभोक्ता	स्मार्ट मीटर लगाने के पात्र उपभोक्ता	स्मार्ट मीटर लग गए	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (ग) + (घ)	(च)	
म.प्र.म.वि.वि.कं.लि., भोपाल	39.06	9.04	4.59	13.63	शून्य	
म.प्र.पू.वि.वि.कं.लि., जबलपुर	51.25	3.52	2.06	5.58	शून्य	
म.प्र.प.वि.वि.कं.लि., इंदौर	43.02	1.26	3.68	4.94	1.19	
कुल	133.33	13.82	10.33	24.15	1.19	

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर केवल 2.76 प्रतिशत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर स्थापित कर सका। म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल केवल अगस्त 2020 में ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को रोड मैप प्रस्तुत कर सका, जबकि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर द्वारा इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया (मार्च 2021)।

हमने यह भी पाया कि म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर एवं म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल ने उदय पोर्टल⁴⁰ में एवं साथ ही राज्यसभा⁴¹ में प्रश्नों के उत्तर में स्मार्ट मीटर लगाने की गलत सूचना दी थी।

जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा किए गए विश्लेषण में पाया गया कि, स्मार्ट मीटरों की स्थापना में विफलता का मुख्य कारण उदय की कार्यान्वयन अवधि के दौरान ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार⁴² से बजटीय सहायता प्रदान न करना था।

यदि वितरण कम्पनियों द्वारा लक्षित स्मार्ट मीटर लगाए गए होते, तो विद्युत की चोरी को कम करने एवं अनंतिम बिलिंग के इच्छित लाभ प्राप्त हो जाते, जिससे एआरआर में सुधार होता।

³⁹ द्वि-दिशात्मक संचार, एकीकृत भार सीमा, स्वतः संयोजन / विच्छेदन स्विच, प्रीपेड / दिन का समय सुविधाएं, छेड़छाड़ की घटना का पता लगाने, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग और नेट मीटरिंग सुविधाएं।

⁴⁰ म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर ने सूचित (दिसंबर 2017) किया कि 31 अक्टूबर 2017 तक, इसने 500 से अधिक यूनिट की मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 8,684 स्मार्ट मीटर और 200 से 500 यूनिट के बीच मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 2,738 स्मार्ट मीटर स्थापित किए थे।

⁴¹ म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल ने राज्य सभा को तारांकित / अतारांकित प्रश्न (डायरी संख्या यू 336) के लिए “उदय योजना के प्रभाव” के संबंध में गलत सूचना दी कि 500 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले 23 प्रतिशत उपभोक्ता के परिसर में और 200 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के संबंध में 10 प्रतिशत पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके।

⁴² कोई राशि का अनुमान नहीं लगाया गया है लेकिन वितरण कम्पनियों द्वारा बजटीय सहायता की मांग की गई है जो कि म. प्र. सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई थी।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि विभिन्न योजनाओं के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रगति पर है।

ब. फीडरों की मीटरिंग में विलम्ब

वितरण कम्पनियों के एआरआर को बढ़ाने के लिए, वितरण कम्पनियों को उच्च एवं निम्न हानि वाले क्षेत्रों/ फीडरों की पहचान करने एवं घाटे वाले क्षेत्रों/ फीडरों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (जी) के अनुसार दिसंबर 2018 के अंत तक 100 प्रतिशत फीडर मीटरिंग को पूरा करने की आवश्यकता थी।

योजना अवधि के अंत (दिसंबर 2018) तक मीटरिंग किए जाने वाले कुल 17,789 फीडरों में से, वितरण कम्पनियों ने केवल 15,457 फीडरों की मीटरिंग पूरी की थी। योजना के पूरा होने के बाद (मार्च 2020) भी, वितरण कम्पनिया 17,450 फीडरों पर मीटर स्थापित कर सकी, जिससे 339 फीडर बिना मीटर के रह गए; जिसके कारण वितरण कम्पनिया, बिना मीटर वाले फीडरों से उच्च घाटे में चल रहे फीडरों की पहचान करने में असमर्थ थी।

हालांकि, वितरण कम्पनियों ने बाद में, 31 अक्टूबर 2021 तक सभी फीडरों पर मीटर स्थापित कर दिए थे, फीडरों की मीटरिंग में देरी ने योजना अवधि के दौरान वितरण कम्पनियों के एटीएंडसी हानि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

सरकार ने बताया (जनवरी 2022) कि 31 अक्टूबर 2021 तक फीडर मीटरिंग लगाने के लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये थे।

तथ्य यह है कि फीडर मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित तिथि से दो वर्ष के विलम्ब से प्राप्त किया गया, जिसके कारण सभी फीडरों की ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं हो सकी, जिसने ऊर्जा हानियों में कमी एवं बिलिंग दक्षता एवं एआरआर के सुधार में बाधा उत्पन्न की।


स. वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) पर मीटर की स्थापना न करना

समझौता ज्ञापन के अनुसार, वितरण कम्पनियों को हानि को उप-मंडल/मंडल/वृत्त/क्षेत्रीय स्तर पर कम करने के लक्ष्यों के लिए डीटी मीटर स्थापित करना एवं संबंधित अधिकारियों को हानि को कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जबाबदेह बनाना था। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (जी) के अनुसार, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी मीटरिंग की गतिविधियों को क्रमशः 31 दिसंबर 2017 एवं 31 दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियों ने, न तो पर्याप्त मात्रा में डीटी मीटर स्वयं क्रय एवं न ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं⁴³ में डीटी मीटरिंग के कार्य के दायरे में इसका प्रावधान किया। 31 मार्च 2022 तक डीटी मीटरिंग की वितरण कम्पनियों वार स्थिति नीचे चार्ट 3.5 में प्रदर्शित की गई है:

⁴³ दीन दयाल उपाध्याय: गृह ज्योति योजना, सौभाग्य, आर-एपीडीआरपी और एकीकृत विद्युत विकास योजना।

चार्ट 3.5 : 31 मार्च 2020 को वितरण कम्पनियों द्वारा डी.टी. मीटरिंग की स्थिति



उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वितरण कम्पनियाँ 31 दिसंबर 2018 की लक्षित तिथि से एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद 31 मार्च 2020 तक केवल 16.70 प्रतिशत की सीमा तक डीटी मीटर स्थापित कर सकी।

हमने 12 नमूना वृत्तों में मीटर रीडिंग की 31 मार्च 2020 तक कि स्थिति की जांच की एवं पाया कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 2,79,228 डीटी में से, केवल 69,707 डीटी पर, ₹ 212.26 करोड़⁴⁴ की लागत से मीटर लगाए गए थे, लेकिन मीटर रीडिंग केवल 4,570 डीटी पर ही की जा रही थी। इस प्रकार, जिन क्षेत्रों में डीटी मीटर लगाए गए थे, वहां भी रीडिंग नहीं ली जा रही थी। हमें बताया गया कि स्टाफ की कमी के कारण मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही थी।

चूंकि डीटी मीटरीकरण उच्च हानि वाले क्षेत्रों की पहचान की सुविधा प्रदान करता है जिससे केंद्रित सुधारात्मक कार्यों एवं बिलिंग दक्षता में सुधार के लिए जरुरी कदम उठाये जा सकते हैं, उपरोक्त में वितरण कम्पनियों का खराब प्रदर्शन उनके कम एआरआर प्राप्ति में परिलक्षित होता है।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि डीटी मीटर लगाने की डीपीआर तैयार कर ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन को प्रस्तुत कर दी गई है।

तथ्य बताते हैं कि समझौता ज्ञापन की निर्धारित तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी डीटी मीटर लगाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसके कारण अधिक हानि पहुँचाने वाले फीडरों पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकी।

द. योजना के तहत लक्ष्य के अनुसार फीडरों को विभक्त न करना

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (जी-1) के अनुसार बेहतर लोड प्रबंधन एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं गैर-कृषि (मिश्रित) फीडरों के भौतिक विभक्तिकरण को जून 2018 तक पूरा किया जाना था। इसके अलावा, समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (एफ) ने निर्धारित किया कि वितरण कम्पनियाँ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)⁴⁵ में निर्दिष्ट परिचालन लक्ष्यों को भी हासिल करेंगी।

⁴⁴ डीटीआर मीटर: 69,707 x आईपीडीएस आदेश के अनुसार एक डीटीआर मीटर की न्यूनतम लागत: ₹ 30,451।

⁴⁵ मिश्रित फीडरों के विभक्तिकरण के मूल उद्देश्य के साथ डीडीयूजीजेवाई योजना शुरू (दिसंबर 2014) की गई थी।

समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुरूप, योजना के तहत फीडर विभक्तिकरण के बचे हुए कार्य को डीडीयूजीजेवाई योजना में शामिल किया जाना चाहिए था एवं डीडीयूजीजेवाई के तहत कार्य आदेश पत्र योजना के पूरा होने की समय-सारणी, अर्थात् जून 2018 तक जारी किया जाना चाहिए था।

हमने पाया कि डीडीयूजीजेवाई के तहत एलओआई अगस्त 2016 से फरवरी 2018 के दौरान 24 महीनों की पूर्णता सूची के साथ जारी किए गए थे। कार्य के दायरे में कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के विभक्तिकरण के सभी कार्य शामिल नहीं किये गए थे। योजना अवधि के दौरान वितरण कम्पनियों में फीडर विभक्तिकरण की स्थिति का विवरण नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है :

तालिका 3.9: वितरण कम्पनियों द्वारा फीडर विभक्तिकरण की स्थिति

वितरण कंपनी	30.09.2015 की स्थिति के अनुसार कुल मिश्रित फीडर	31.12.2020 तक कुल मिश्रित फीडर	वास्तव में विभक्त किये गए फीडर	विभक्त किए गए फीडरों का प्रतिशत	31.12.2020 तक बैंकेंस फीडरों को विभक्त किया जाना बाकी है
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (घ) x 100 / (ग)	(च) = (ग) - (घ)
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	4,265	5,764	5,389	93.49	375
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	801	3,028	1,934	63.87	1,094

म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल के संबंध में, इसके कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा यह सूचित किया गया (जून 2021) कि 31 दिसंबर 2020 तक कोई भी मिश्रित फीडरों को विभक्त किया जाना शेष नहीं था। तथापि, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल के दो नमूना वृत्तों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 31 दिसंबर 2020 तक 10 मिश्रित फीडरों⁴⁶ को विभक्त किया जाना बाकी था।

मिश्रित फीडरों के गैर-विभक्तिकरण के कारण, कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं के बीच बेहतर भार प्रबंधन के माध्यम से बेहतर बिलिंग दक्षता का इच्छित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2022)।

इस प्रकार, एआरआर में परिकल्पित सुधार टू-अप याचिकाओं को समय पर दाखिल करने में वितरण कम्पनियों की विफलता, स्वीकार्य सीमा से अधिक व्यय करने, उपभोक्ताओं की कम बिलिंग, बकाया की वसूली में विफलता एवं समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्षित परिचालन गतिविधियाँ की गैर-उपलब्धि के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके।

3.5 वितरण कंपनियों की उदय के पश्चात की परिचालन स्थिति

यह योजना वितरण कम्पनियों के परिचालन टर्नराउंड के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार की गई थी एवं एक ढांचा प्रदान किया गया था जिसके तहत वितरण कम्पनियों के एटीएंडसी हानि को 15 प्रतिशत तक कम किया जाना था एवं एसीएस एवं एआरआर के बीच के अंतर को समाप्त किया जाना था। तदनुसार, योजना दिशानिर्देशों के उपवाक्य 4.3 के अनुसार, परिचालन सुधारों के समग्र परिणामों को एटीएंडसी हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करके एवं एसीएस-एआरआर अन्तर के समाप्तन के आधार पर मापा जाना था।

हालांकि, उदय योजना के कार्यान्वयन के दौरान, समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित एटीएंडसी हानियों के लक्ष्यों को कोई भी वितरण कम्पनी प्राप्त नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, वितरण कम्पनियों की एटीएंडसी हानियों में पूर्व-उदय स्थिति 23.45 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कम करके लाने की परिकल्पित स्तर के विपरीत, उदय योजना पश्चात् की अवधि (2019-20) के दौरान एटीएंडसी हानियाँ बढ़कर 33.08 प्रतिशत हो गईं।

इसी प्रकार, कोई भी वितरण कम्पनी समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित एसीएस-एआरआर अन्तर के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी एवं इसमें केवल ₹ (0.92) प्रति यूनिट की उदय पूर्व स्थिति (2015-16) से मामूली सुधार होकर योजना के पूरा होने के बाद भी ₹ (0.83) प्रति यूनिट थी। परिणामस्वरूप, उदय

⁴⁶ विदिशा – 5 और होशंगाबाद – 5 फीडर।

योजना के पूरा होने के बाद वितरण कम्पनियों के एसीएस—एआरआर अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना को मध्य प्रदेश की वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

वितरण कम्पनियों ने योजना दिशानिर्देशों के साथ—साथ समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को आंशिक रूप से लागू किया जो की बहुत प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया था। परिचालनात्मक सुधार प्राप्त करने में खराब प्रदर्शन के कारण, समझौता ज्ञापन में परिकल्पित परिचालन मापदंडों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में वितरण कम्पनियाँ विफल रहीं।

इन विफलताओं के कारण, योजना के कार्यान्वयन के बाद भी वितरण कम्पनियों द्वारा परिचालन टर्नराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। परिचालन स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतकों, अर्थात् एटीएंडसी हानिया एवं एसीएस—एआरआर अन्तर की उदय से पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति की अध्याय 4 में विस्तृत चर्चा की गई है।

समझौता ज्ञापन में परिकल्पित वित्तीय एवं परिचालन टर्नराउंड के अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना, उद्यम संसाधन योजना को लागू करना एवं मांग पक्ष प्रबंधन के लिए उपाय करना भी मध्यप्रदेश सरकार / वितरण कम्पनियों के लिए आवश्यक था। इन क्षेत्रों में वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन की चर्चा कंडिका 3.6.1 एवं 3.6.2 में की गई है।

3.6 उदय के अंतर्गत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.2 (आर) के अनुसार, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को राज्य वित्त प्रतिनिधि की उपस्थिति में राज्य सरकार के स्तर पर मासिक आधार पर वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन की समीक्षा करना आवश्यक था। अग्रेतर, समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (ओ) के अनुसार, वितरण कम्पनियों एवं होल्डिंग कंपनी के प्रबंध निदेशकों को भी मासिक आधार पर वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन की निगरानी करने की आवश्यकता थी। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (पी) के अनुसार, लक्ष्य के साथ मासिक निगरानी का प्रारूप वितरण कम्पनियों द्वारा फील्ड यूनिट को प्रदान किए जाने थे ताकि मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों की निगरानी अगली मासिक बैठक में की जा सके।

हमने पाया कि वितरण कम्पनियों ने क्षेत्र इकाईयों को लक्ष्यों के साथ मासिक निगरानी प्रारूप उपलब्ध नहीं कराए, जिसके लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था। इसके कारण, वितरण कम्पनियाँ क्षेत्र इकाईयों के प्रदर्शन का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने में विफल रही क्योंकि प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अन्य प्रणाली नहीं थी।

इस प्रकार, समझौता ज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार वितरण कम्पनियों के स्तर पर योजना के निष्पादन के लिए निगरानी तंत्र नहीं था। दोषपूर्ण निगरानी तंत्र के कारण योजना में परिकल्पित अन्य लक्षित परिचालन गतिविधियों की उपलब्धि में भी विफलता हुई, जैसा कि आगे कंडिका 3.6.1 एवं 3.6.2 में चर्चा की गई है।

सरकार ने कहा (जनवरी 2022) कि मासिक समीक्षा बैठक में प्रत्येक फील्ड यूनिट के लिए बिलिंग / संग्रह दक्षता एवं एटीएंडसी हानियों की अलग से निगरानी की गई थी एवं फील्ड इकाईयों को एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए निर्देशित भी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मासिक बैठकों के ऐसे कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

3.6.1 मांग पक्ष प्रबंधन से संबंधित लक्षित गतिविधियों की अप्राप्ति

योजना दिशानिर्देशों के उपवाक्य 4.1 के अनुसार, योजना में भाग लेने वाले राज्यों एवं उपक्रमों को परिचालन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न लक्षित गतिविधियों की समय—सीमा का पालन करना आवश्यक था। इसमें ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब, कृषि पंप, पंखे एवं एयर—कंडीशनर एवं कुशल औद्योगिक उपकरण स्थापित करके डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) हासिल करना शामिल है। गतिविधि का उद्देश्य पीक लोड एवं ऊर्जा खपत को कम करना था।

हमने पाया कि एलईडी बल्बों के वितरण का कार्य एनर्जी इफिसियन्सी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (निगम) की देखरेख में किया जा रहा था। हालांकि, एलईडी बल्बों के वितरण की प्रगति बहुत धीमी थी क्योंकि तीन करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण के लक्ष्य के मुकाबले निगम ने केवल 1.76 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए थे (दिसंबर 2021)। इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने एवं महंगी विद्युत बचाने के लिए, मौजूदा कृषि पंपों को ऊर्जा कुशल पंपों द्वारा बदलने की गतिविधियों को वितरण कम्पनियों द्वारा निष्पादित किया जाना था, लेकिन वितरण कम्पनियों की क्षेत्र इकाइयों द्वारा ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2022)।

3.6.2 उपक्रम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली का अपूर्ण कार्यान्वयन

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 1.3 (जी) के अनुसार, वितरण कम्पनियों को मार्च 2017 तक लागत कम करने एवं दक्षता बढ़ाने के लिए बेहतर एवं प्रभावी सामग्री प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, लेखा प्रबंधन आदि के लिए उपक्रम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता थी।

हमने पाया कि यद्यपि तीनों वितरण कम्पनियों ने ईआरपी सिस्टम लागू किया, लेकिन वितरण कम्पनियों द्वारा ईआरपी सिस्टम के कार्यान्वयन में कमियां थीं। विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियाँ/मॉड्यूल, जैसे, प्राप्त एवं देय खाते, नकद प्रबंधन/ ट्रेजरी, बजट, लागत एवं वित्तीय नियंत्रण, अचल संपत्ति लेखा, सूची प्रबंधन, एचआर डैशबोर्ड, आदि, जिसके लिए समझौतों में प्रावधान किए गए थे, वितरण कम्पनियों द्वारा अब तक (दिसंबर 2020) लागू नहीं किये गये थे, जैसा कि **परिशिष्ट ९** में वर्णित है।

इस प्रकार, ईआरपी के माध्यम से सभी गतिविधियों को स्वचालित करके बेहतर एवं प्रभावी निगरानी एवं प्रबंधन के लिए योजना का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने लेखापरीक्षा परिणाम स्वीकार किया (जनवरी 2022) एवं कहा कि उपयोगकर्ता लाइसेंस की सीमा एवं मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, कुछ वांछित कार्यों को ईआरपी से बाहर निष्पादित किया जा रहा है।

अध्याय 4

अध्याय 4

उदय पश्चात विश्लेषण

4.1 उदय के पश्चात विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

उदय योजना विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नराउंड के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार की गई थी एवं इसमें एक ढांचा प्रदान किया गया था, जिसके अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों को एक श्रेणीबद्ध तरीके से अधिग्रहण किया जाना था। यह परिकल्पना की गई थी, कि योजना के कार्यान्वयन अवधि के अंत तक, वित्त एवं ब्याज लागत में कमी एवं विद्युत वितरण कंपनियों के राजस्व हानि में कमी के माध्यम से एक वित्तीय टर्नराउंड होगा।

हमने उदय योजना से पूर्व और पश्चात विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की ओर पाया कि विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतों की स्थिति अर्थात् उदय से पूर्व और पश्चात ऋण की स्थिति एवं संचित हानियों की चर्चा नीचे की गई है :

अ. विद्युत वितरण कंपनियों का उदय—पूर्व बकाया ऋण, (30.09.2015 तक) ₹ 34,739 करोड़ था। अग्रेतर, विद्युत वितरण कंपनियों की बकाया ऋण की स्थिति, योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान स्थिर रही एवं योजना के पूर्ण होने के बाद भी, 31 मार्च 2020 तक, यह केवल मामूली रूप से घटकर ₹ 34,727.04 करोड़ हो गई, जैसा कि नीचे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:-

तालिका 4.1: योजना अवधि के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणदाता वार बकाया ऋण

ऋणदाता	बकाया ऋण राशि (₹ करोड़ में)					
	30.09.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
मध्य प्रदेश सरकार	30,200.00	30,616.42	32,556.92	27,880.65	26,918.33	26,723.37
आरईसी	3,561.00	2,885.98	181.69	1,709.97	5,112.99	5,346.01
पीएफसी	773.00	1,044.61	578.46	1,177.86	3,268.38	2,650.31
हुडकों	157.00	121.74	8.25	0.00	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	28.00	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	20.00	7.34	7.34	7.34	7.34	7.34
कुल	34,739.00	34,696.96	33,332.66	30,775.81	35,307.04	34,727.04

उपरोक्त से परिलक्षित है कि विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों में, ₹ 12,690 करोड़¹ (कंडिका 2.4.2 का संदर्भ) के अधिग्रहण के पश्चात भी केवल ₹ 12.00 करोड़ की मामूली कमी आयी। ऋणों के लक्षित अधिग्रहण में विफलता एवं हानियों एवं परिचालन व्ययों का पोषित करने के लिए ₹ 11,200² करोड़ के नये कार्यशील पूँजी ऋण लेने के बाद भी, जैसा कि कंडिका 2.4.2 व 2.4.4 में चर्चा की गई है, योजना के कार्यान्वयन पूर्ण होने के पश्चात् भी ऋणों की स्थिति अपरिवर्तित रही।

ब. विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों में कमी न होना, जैसा समझौता ज्ञापन में उल्लिखित था, ने भी योजना अवधि के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों के ब्याज व्यय में वृद्धि में योगदान दिया। वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान, विद्युत वितरण कंपनियों ने कुल ₹ 12,536.44 करोड़ ब्याज पर व्यय किया, जो कि समझौता ज्ञापन के अनुलग्नक—सी में अनुमानित कुल ₹ 9,395 करोड़ के ब्याज पर व्यय से अधिक था, जिसे नीचे चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है:

¹ योजना के तहत अपात्र ऋणों का अधिग्रहण नहीं करना शामिल है।

² वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों ने कार्यशील पूँजी का ₹ 11,200 करोड़ का ऋण आरईसी/पीएफसी से लिया, ताकि वे अपनी विद्युत क्रय देय राशि का भुगतान कर सकें एवं अपनी हानि को पूरा कर सकें।

चार्ट 4.1: विद्युत वितरण कम्पनियों के ब्याज पर व्यय की उदय पूर्व और पश्चात् की स्थिति




उपरोक्त चार्ट से, यह देखा जा सकता है कि 2015–16 की तुलना में 2019–20 में विद्युत वितरण कम्पनियों के ब्याज पर व्यय में ₹ 2,543.76 करोड़³ की वृद्धि हुई थी।

स. अग्रेतर, योजना की अवधि के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ बल्कि विद्युत वितरण कम्पनियों की संचित हानियों में वृद्धि हो गई। विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियाँ में सुधार नहीं हुआ, बल्कि इसकी हानियाँ योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान बढ़ गई, जिसके कारण विद्युत वितरण कम्पनियों की संचित हानियाँ 31 मार्च 2016 को ₹ 35,676.36 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2020 तक ₹ 52,978.39 करोड़ हो गई, जैसा कि नीचे चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है:

³ 2019–20: ₹ 3,606.80 करोड़ में से घटाया जाए 2015–16: ₹ 1,063.04 करोड़।

चार्ट 4.2: विद्युत वितरण कम्पनियों की उदय पूर्व एवं पश्चात् संचित हानियों की स्थिति



इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मार्च 2016 से मार्च 2020 तक संचित हानियों में ₹ 17,302.03 करोड़ (₹ 52,978.39 करोड़ – ₹ 35,676.36 करोड़) की वृद्धि हुई थी।

हमने पाया कि विद्युत वितरण कम्पनियों के ब्याज पर व्यय में वृद्धि, विद्युत वितरण कम्पनियों को पर्याप्त सब्सिडी के सहयोग के बिना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बकाया राशि (₹ 3,721.19 करोड़) माफ कर दिया जाना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी (31.3.2021 को ₹ 16,939.73 करोड़) को जारी नहीं किया जाना एवं राज्य सरकार के विभागों से विद्युत बकाया की वसूली (31 मार्च 2020 को ₹ 1,606.23 करोड़) न होना ही संचित हानियां में वृद्धि का कारण था। परिणामस्वरूप, कोष की कमी को पूरा करने लिए, विद्युत वितरण कम्पनियों को वित्तीय संस्थाओं से ₹ 11,200 करोड़ का कार्यशील पूँजी का ऋण लेना पड़ा, जिसके कारण कम से कम ₹ 2,982.90 करोड़, के ब्याज का परिहार्य बोझ पड़ा (जैसा कि पूर्ववर्ती कांडिका 2.5.1, 2.5.2 एवं 2.5.3 में चर्चा की गई है)।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार/ विद्युत वितरण कम्पनियों ने योजना के दिशानिर्देशों के साथ-साथ समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को आंशिक रूप से ही लागू किया। अतः योजना के कार्यान्वयन के बाद भी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय टर्नराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

4.2 विद्युत वितरण कम्पनियों की उदय के पश्चात् की परिचालन स्थिति


उदय योजना में परिचालन गतिविधियों का उद्देश्य विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना था। परिचालन दक्षता में सुधार को परिचालन प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से मापा जाना

था, जो कि एटीएंडसी हानियों को घटाकर 15 प्रतिशत के स्तर तक लाना एवं एसीएस एवं एआरआर के बीच के अंतर को 2019–20 तक समाप्त करना था।

उदय से पूर्व व पश्चात् की विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन स्थिति की हमारी समीक्षा से यह पता चला कि विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। परिचालन स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतकों अर्थात् एटीएंडसी हानि एवं एसीएस–एआरआर के बीच के अंतर की उदय पूर्व और पश्चात् की स्थिति की चर्चा नीचे की गई है:

अ. मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कम्पनियों की, उदय–पूर्व अवधि (2015–16) के दौरान, एटीएंडसी हानियाँ 23.45 प्रतिशत थीं। हालांकि, उदय योजना के कार्यान्वयन के दौरान, कोई भी विद्युत वितरण कंपनी समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित एटीएंडसी उदय पूर्व हानियों के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, विद्युत वितरण कम्पनियों की उदय पूर्व एटीएंडसी हानियाँ, जो कि 23.45 प्रतिशत थी, की स्थिति से 15 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य के विपरीत उदय पश्चात (2019–20) एटीएंडसी हानि बढ़कर 33.08 प्रतिशत हो गई। एटीएंडसी हानियों की विद्युत वितरण कंपनी वार उदय पूर्व स्थिति, समझौता ज्ञापन के अनुसार एटीएंडसी हानि का लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध वास्तविक हानि नीचे चार्ट 4.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.3: विद्युत वितरण कंपनियों के एटीएंडसी हानि की उदय पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति




एटीएंडसी हानियों के लक्षित स्तरों को प्राप्त न करने के मुख्य कारण बिलिंग एवं संग्रह दक्षता का कम होना, जैसा कि कंडिका 3.4.1 एवं 3.4.2 में चर्चा की गई है, एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए लक्षित परिचालन गतिविधियों को पूरा नहीं करना, जैसे कि स्मार्ट मीटरों और डीटी पर मीटरों की स्थापना न करना, फीडरों की मीटरिंग में देरी, मिश्रित फीडरों का विभक्तिकरण न करना आदि जैसा कि कंडिका 3.4.6.5 में विस्तार से चर्चा की गई है।

ब. मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कम्पनियों की, उदय–पूर्व अवधि (2015–16) के दौरान, एसीएस–एआरआर में अंतर ₹ (0.92) प्रति यूनिट था। हालांकि, उदय योजना के कार्यान्वयन के दौरान, कोई भी विद्युत वितरण कंपनी समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित एसीएस–एआरआर में अंतर के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी एवं इसमें केवल उदय पूर्व स्थिति (2015–16) से योजना के पूरा होने के बाद की स्थिति में ₹ (0.92) प्रति यूनिट से ₹ (0.83) प्रति यूनिट तक मामूली सुधार हुआ। परिणामस्वरूप, उदय योजना के पूरा होने के बाद विद्युत वितरण कम्पनियों के एसीएस–एआरआर में अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना को मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। एसीएस–एआरआर में अंतर को विद्युत वितरण कम्पनियों वार उदय पूर्व स्थिति, समझौता ज्ञापन के

अनुसार एसीएस—एआरआर में अंतर का लक्ष्य एवं उसके वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति को नीचे चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.4: विद्युत वितरण कंपनियों के एसीएस—एआरआर में अंतर की उदय पूर्व और पश्चात् की स्थिति



एसीएस—एआरआर के बीच के अंतर को, बढ़े हुए ब्याज के भार (कांडिका 4.1 में चर्चा की गई), विद्युत क्रय लागत में कमी लाने में असफलता (कांडिका 3.4.5.1 में चर्चा की गई), ट्रू—अप याचिकाओं को दाखिल करने में देरी (कांडिका 3.4.6.1), उपभोक्ताओं की कम बिलिंग (कांडिका 3.4.6.3) एवं बकाया/साब्सिडी दावों की वसूली में विफलता आदि के कारण समाप्त नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, परिचालनात्मक सुधार हासिल करने के निष्पादन में कमी के कारण, विद्युत वितरण कम्पनियाँ न केवल समझौता ज्ञापन में निर्धारित परिचालन मानकों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही, बल्कि उनका प्रदर्शन वास्तविक रूप से खराब रहा। इसलिए, योजना के कार्यान्वयन पूर्ण होने के बाद भी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा परिचालन टर्नराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

अध्याय ५

अध्याय 5

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

5.1 निष्कर्ष

उदय योजना का समग्र उद्देश्य विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना था। निष्पादन लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की, ताकि यह जाँच की जा सके कि क्या उदय योजना में उल्लेखित वित्तीय एवं परिचालन मानकों से संबंधित निर्देशों एवं समझौता ज्ञापन का पालन किया गया था एवं विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन टर्नराउंड के समग्र उद्देश्य को प्राप्त किया गया था।

हमने देखा कि योजना के कार्यान्वयन में विद्युत वितरण कम्पनियों का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं था, क्योंकि विद्युत वितरण कंपनियाँ उदय योजना एवं समझौता ज्ञापन में बताये गए वित्तीय एवं परिचालन मानकों को प्राप्त करने में विफल रही, जो कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:-

- उदय योजना/ समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकार को अनुदान एवं अंशपूँजी के मिश्रण के रूप में वितरण कंपनियों के 75 प्रतिशत ऋण को श्रेणीबद्ध तरीके से अधिग्रहित करना था। हालांकि, सरकार ने केवल 48.70 प्रतिशत ऋण ही अधिग्रहित किये। राज्य सरकार/ वितरण कंपनियों ने समझौता ज्ञापन के अनुसार बॉन्ड भी जारी नहीं किये।
- ऋणों के अधिग्रहण में कमी एवं विनिर्दिष्ट राशि के बॉन्ड न जारी करने के कारण, योजना के पूर्ण होने के बाद भी ब्याज पर व्यय में वृद्धि एवं संचित हानियों में भी वृद्धि के साथ-साथ हानियों एवं परिचालन व्यय को पूरित करने के लिए वित्त पोषण हेतु कार्यशील पूँजी ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ती रहीं। ऐसा समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को परिपूर्ण न करने के कारण भी हुआ।
- परिचालनात्मक सुधार हासिल करने में खराब प्रदर्शन के कारण, विद्युत वितरण कम्पनियाँ एटीएंडसी हानियों को 15 प्रतिशत के लक्षित स्तर तक लाने में विफल रही। बिलिंग दक्षता एवं संग्रह दक्षता में कमी के कारण, परिचालन गतिविधियों जैसे स्मार्ट मीटर न लगाना, डीटी पर मीटर न लगाना, फीडरों की मीटरिंग में देरी करना एवं मिश्रित फीडरों को अलग-अलग न कर पाने के लक्ष्य को पूरा न करने के कारण, योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान एटीएंडसी हानियों में वृद्धि हो गई।
- एसीएस-एआरआर के बीच के अंतर को समाप्त करने के लक्ष्य के सापेक्ष, योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान अंतर ₹ (0.92) प्रति यूनिट से घटकर ₹ (0.83) प्रति यूनिट ही हो पाया। एसीएस-एआरआर के बीच के अंतर को विद्युत क्रय लागत में कमी करने में विफलता, ट्रू-अप याचिकाओं को दाखिल करने में देरी एवं बकाया/ सब्सिडी दावों की वसूली में विफलता के कारण, समाप्त नहीं किया जा सका।

हमने यह भी पाया कि ट्रू-अप याचिकाओं को दाखिल करने में अत्यधिक देरी के कारण उपभोक्ताओं से बढ़े हुए टैरिफ की दर से वसूली में भी देरी हुई।

5.2 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार विद्युत वितरण कम्पनियों को समय पर देय सब्सिडी जारी करके विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय एवं परिचालन स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है।
- राज्य सरकार द्वारा अपने सभी विभागों को विद्युत वितरण कम्पनियों पर देय राशि का भुगतान करने हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए।
- एमपीईआरसी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण/ सूचना को उचित एवं समय पर प्रयुक्तर देकर ट्रू-अप याचिका को दाखिल करने में होने वाले विलम्ब से बचने की आवश्यकता है।

- विद्युत वितरण कंपनियों को एटीएंडसी हानियों को कम करने एवं एसीएस-एआरआर के बीच अंतर को समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।
- विद्युत वितरण कंपनियों के परिचालन दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे स्मार्ट मीटिंग, फीडर विभक्तिकरण, डीटी मीटिंग आदि को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनानी चाहिए।
- विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय एवं परिचालन दक्षता में सुधार के लिए सभी गतिविधियों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

बि. कौ. मु.

(बिजित कुमार मुखर्जी)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय)

मध्य प्रदेश

भोपाल

दिनांक: 19 अप्रैल 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्म)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 27 अप्रैल 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

(संदर्भ: कंडिका 2.4.1 एवं 2.4.4)

वितरण कंपनियों के बकाया ऋणों का विवरण 30 सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

क्र. न.	ऋणदाता	विवरण	पूँजीगत व्यय हेतु ऋण	गैर पूँजीगत व्यय हेतु ऋण		कुल ऋण	समझौता ज्ञापन में शामिल पात्र ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहण की जाने वाली राशि	लेखा परीक्षा के अनुसार समझौता ज्ञापन में शामिल पात्र ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहण की जाने वाली राशि
				कार्यशील पूँजी ऋण	विद्युत शुल्क, उपकर एवं सरदार सरोवर परियोजना के लिए देय राशि			
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ) =घ+ ङ+ च	(ज) = (छ * 75 प्रतिशत)	(झ)
1	मध्य प्रदेश सरकार	सतत ऋण	738	17,500	8,686	26,924	20,193	19,818
		एडीबी ऋण	3,119	—	—	3,119	2,339	2,352
		एसएलआर पीपी बांड	157	—	—	157	118	118
उप योग				4,014	17,500	8,686	30,200	22,650
2	आरईसी	आर-एपीडीआरपी	906	—	—	906	680	0 [#]
		अन्य	1,605	1,050	—	2,655	1,991	1,991
उप योग				2,511	1,050	3,561	2,671	1,991
3	पीएफसी	आर-एपीडीआरपी	604	—	—	604	453	0 [#]
		अन्य	169	—	—	169	127	127
उप योग				773	—	—	—	127
4	हुड़को	अन्य	157	—	—	157	118	118
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	अन्य	28	—	—	28	21	21
6	वित्तीय संस्थान	अन्य	20	—	—	20	15	15
7	एनएचडीसी	अन्य	—	—	—	—	—	251
कुल योग				7,503	18,550	8,686	34,739	26,055
								24,811

नियत तिथि के बाद आर-एपीडीआरपी ऋण एवं सतत ऋण को छोड़कर।

परिशिष्ट 2
(संदर्भ: कंडिका 2.5.3)

विद्युत वितरण कंपनी वार सरकारी विभागों पर 2015–16 से 2020–21 तक बकाया देय राशि

(₹ करोड़ में)

कंपनी	वर्ष	सरकारी देय की प्रारंभिक शेष	चालू वर्ष के लिए देय	अंतिम बकाया	वित्तीय वर्ष में बकाया भुगतान	चालू वर्ष में बकाया देय राशि	अंतिम बकाया
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) =(ग)+(घ)	(च)	(छ) =(घ)-(च)	(ज) =(ङ)-(च)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	2015–16	67.02	419.02	486.04	401.74	17.28	84.30
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	2015–16	469.67	500.25	969.92	577.73	-77.48	392.19
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	2015–16	49.42	282.19	331.61	271.54	10.65	60.07
2015–16		586.11	1,201.46	1,787.57	1,251.01	-49.55	536.56
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	2016–17	84.30	405.16	489.46	382.07	23.09	107.39
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	2016–17	392.19	533.54	925.73	496.92	36.62	428.81
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	2016–17	60.07	325.48	385.55	325.22	0.26	60.33
2016–17		536.56	1,264.18	1,800.74	1,204.21	59.97	596.53
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	2017–18	107.39	450.21	557.60	275.31	174.90	282.29
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	2017–18	428.81	589.57	1,018.38	664.01	-74.44	354.37
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	2017–18	60.33	351.60	411.93	315.15	36.45	96.78
2017–18		596.53	1,391.38	1,987.91	1,254.47	136.91	733.44
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	2018–19	282.29	498.83	781.12	442.46	56.37	338.66
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	2018–19	354.37	708.02	1,062.39	513.30	194.72	549.09
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	2018–19	96.78	354.84	451.62	283.06	71.78	168.56
2018–19		733.44	1,561.69	2,295.13	1,238.82	322.87	1,056.31
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	2019–20	338.66	587.17	925.83	494.16	93.01	431.67
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	2019–20	549.09	1,048.10	1,597.19	954.25	93.85	642.94
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	2019–20	168.56	410.61	579.17	422.34	-11.73	156.83
2019–20		1,056.31	2,045.88	3,102.19	1,870.75	175.13	1,231.44
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	2020–21*	431.67	323.64	755.31	223.09	100.55	532.22
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	2020–21*	642.94	307.92	950.86	90.19	217.73	860.67
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	2020–21*	156.83	165.34	322.17	108.83	56.51	213.34
2020–21		1,231.44	796.90	2,028.34	422.11	374.79	1,606.23

* अगस्त 2020 तक।

परिशिष्ट 3

(संदर्भ: कांडिका 3.4.1)

समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य से अधिक एटीएंडसी हानियों के कारण विद्युत वितरण कंपनियों को हुई हानि

विद्युत वितरण कंपनी	वर्ष	ऊर्जा इनपुट (एमयू में)	विक्रय की गयी ऊर्जा (एमयू में)	एएफएस ¹ के अनुसार एटीएंडसी हानियां (प्रतिशत में)	समझौता ज्ञापन के अनुसार एटीएंडसी हानियां (प्रतिशत में)	अधिक एटी एंड सी हानियां (प्रतिशत में)	अधिक एटीएंडसी हानियों के कारण ऊर्जा इकाइयों की हानि (एमयू में)	एएफएस के अनुसार वर्ष के लिए औसत आपूर्ति लागत (₹ प्रति यूनिट)	अधिक एटीएंडसी हानियों के कारण कुल हानि (₹ करोड़ में)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ) =(ङ)-(च)	(ज) =(ग)* (छ) /100	(झ)	(ज)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क. लि., भोपाल	2016–17	19,268.20	14,328.82	35.86	22.09	13.77	2,653.23	5.45	1,446.01
	2017–18	21,235.65	15,308.23	37.94	19.19	18.75	3,981.68	5.65	2,249.65
	2018–19	23,726.26	15,020.57	44.65	17.20	27.45	6,512.86	5.98	3,894.69
	2019–20	23,996.64	17,372.76	39.11	15.00	24.11	5,785.59	5.76	3,332.50
उप योग								10,922.85	
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क. लि., जबलपुर	2016–17	17,326.78	13,409.47	28.38	19.72	8.66	1,500.50	5.56	834.28
	2017–18	19,333.00	14,102.00	34.59	17.73	16.86	3,259.54	5.64	1,838.38
	2018–19	21,142.90	14,680.33	39.61	15.59	24.02	5,078.52	5.81	2,950.62
	2019–20	20,846.43	16,151.99	34.17	15.00	19.17	3,996.26	5.98	2,389.76
उप योग								8,013.04	
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क. लि., इंदौर	2016–17	21,387.40	17,565.20	19.44	20.40	0.00	0.00	5.23	0.00
	2017–18	22,323.96	18,621.22	18.51	18.41	0.10	22.32	5.45	12.17
	2018–19	24,572.40	20,598.63	24.92	16.27	8.65	2,125.51	5.64	1,198.79
	2019–20	24,992.02	22,217.00	21.53	15.00	6.53	1,631.98	5.63	918.80
उप योग								2,129.76	
कुल योग								21,065.65	

¹ विद्युत वितरण कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण

परिशिष्ट 4

(संदर्भ: कंडिका 3.4.3)

समझौता ज्ञापन में गलत गणना/धारणाओं के कारण विद्युत क्रय लागत, कर्मचारियों की लागत, ब्याज एवं वित्त लागत पर वर्ष-वार प्रभाव

क्र. नं.	लागत का तत्व	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	विद्युत क्रय लागत $(₹ प्रति इकाई)$	अ. समझौता ज्ञापन के अनुसार	3.45	3.59	3.88	4.03	4.20	4.36
		ब. लेखा परीक्षा के अनुसार वास्तविक अनुमान	3.73	3.88	4.03	4.20	4.36	4.54
2	इनपुट एनजी $(एमयू में)$	इनपुट ऊर्जा अनुमान		64,975	68,193	74,098	80,847	88,932
3	विद्युत क्रय लागत $(₹ करोड़ में)$	अ. समझौता ज्ञापन के अनुसार	—	23,342	26,453	29,894	33,921	38,806
		ब. लेखा परीक्षा के अनुसार वास्तविक अनुमान $(1\text{ब})^*(2)/10$	—	25,210	27,482	31,121	35,249	40,375
4	कर्मचारियों की लागत $(₹ करोड़ में)$	अ. समझौता ज्ञापन के अनुसार	2,386	2,352	2,587	2,846	3,131	3,444
		ब. लेखा परीक्षा के अनुसार वास्तविक अनुमान	2,386	2,625	2,887	3,176	3,493	3,843
5	ब्याज एवं वित्त लागत $(₹ करोड़ में)$	अ. समझौता ज्ञापन के अनुसार अनुमान	—	1,092	1,889	2,081	2,110	2,223
		ब. लेखा परीक्षा के अनुसार वास्तविक अनुमान	—	1,789	1,889	2,081	2,110	2,223
6	समझौता ज्ञापन में कम लागत का अनुमान $(₹ करोड़ में)$	$(3\text{ब}+4\text{ब}+5\text{ब})-(3\text{अ}+4\text{अ}+5\text{अ})$	2838	1,329	1,557	1,690	1,968	
7	समझौता ज्ञापन में विचार की गई कुल लागत $(₹ करोड़ में)$	अनुमानित	29,052	33,392	37,495	42,026	47,522	
8	समझौता ज्ञापन के अनुसार एसीएस $(₹ प्रति इकाई)$	$(7)/(2)*10$	4.47	4.90	5.06	5.20	5.34	
9	लेखा परीक्षा के अनुसार लागत $(₹ प्रति इकाई)$	$(6)+(7)$	31,890	34,721	39,052	43,716	49,490	
10	लेखा परीक्षा के अनुसार एसीएस $(₹ प्रति इकाई)$	$(9)/(2) * 10$	4.91	5.09	5.27	5.41	5.56	
11	समझौता ज्ञापन के अनुसार एआरआर $(₹ प्रति इकाई)$	अनुमानित	3.82	4.56	4.90	5.17	5.44	
12	समझौता ज्ञापन के अनुसार अनुमानित एसीएस—एआरआर में अंतर $(₹ प्रति इकाई)$	$(11)-(8)$	-0.65	-0.34	-0.16	-0.03	0.10	
13	लेखा परीक्षा के अनुसार अनुमानित एसीएस—एआरआर में अंतर $(₹ प्रति इकाई)$	$(11)-(10)$	-1.09	-0.53	-0.37	-0.24	-0.12	
14	एसीएस—एआरआर में अंतर को कम करके बताना $(₹ प्रति इकाई)$	12–13	0.44	0.19	0.21	0.21	0.22	

परिशिष्ट 5

(संदर्भ: कंडिका 3.4.4)

विद्युत वितरण कंपनी वार एसीएस—एआरआर में अंतर का लक्ष्य एवं उपलब्धि

₹ प्रति इकाई

वर्ष	कंपनी	समझौता ज्ञापन के परिशिष्ट—सी के अनुसार एसीएस—एआरआर में अंतर का लक्ष्य	वास्तविक एसीएस—एआरआर में अंतर उदय पोर्टल में प्रदर्शित किया गया	स्वीकृत कार्य प्रणाली के अनुसार वास्तविक एसीएस—एआरआर में अंतर (लेखापरीक्षा द्वारा आंकित)
2016–17	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	(0.34)	0.25	(0.35)
	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	(0.34)	(0.41)	(1.16)
	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	(0.34)	(0.64)	(1.40)
2017–18	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	(0.16)	0.28	(0.16)
	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	(0.16)	(0.58)	(1.19)
	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	(0.16)	(0.77)	(1.37)
2018–19	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	(0.16)	(0.60)	(0.58)
	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	(0.16)	(1.09)	(1.73)
	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	(0.16)	(0.99)	(1.93)
2019–20	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	0.10	0.18	(0.16)
	म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	0.10	(0.74)	(1.40)
	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	0.10	(0.37)	(1.03)

परिशिष्ट 6

(संदर्भ: कंडिका 3.4.5.1 ब)

नियंत्रणीय मापदंडों के कारण एमपीपीएमसीएल को वर्ष 2016–17 से 2019–20 में प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ

(₹ राशि में)

वर्ष	पावर प्लांट का नाम	कुल शुद्ध लाभ	एमपीपीएमसीएल का भाग
2016–17	एटीपीएस (210 मेगावाट), चर्चई	4,48,54,000	1,49,49,838
2017–18	एटीपीएस (210 मेगावाट), चर्चई	10,14,16,000	3,38,01,952
	एसजीटीपीएस (500 मेगावाट), बिरसिंहपुर	2,30,85,000	76,94,230
2018–19	एटीपीएस (210 मेगावाट), चर्चई	10,01,67,000	3,33,85,661
	एसजीटीपीएस (500 मेगावाट), बिरसिंहपुर	10,45,37,000	3,48,42,182
2019–20	एसटीपीएस ($3 \times 210 + 1 \times 200$ मेगावाट), सारणी	4,12,44,000	2,06,22,000
	एटीपीएस (210 मेगावाट), चर्चई	3,71,52,000	1,85,76,000
	एसजीटीपीएस (500 मेगावाट), बिरसिंहपुर	28,92,96,000	14,46,48,000
कुल योग		74,17,51,000	30,85,19,865

परिशिष्ट 7

(संदर्भ: कंडिका 3.4.5.1 स)

विभिन्न कारणों से अधिक व्यय के कारण एसीएस पर प्रभाव

वर्ष	अधिक विद्युत क्रय के कारण हानि (₹ करोड़ में)	आईपीपी से क्रय किए बिना भुगतान किया गया स्थायी शुल्क (₹ करोड़ में)	एनटीपीसी से क्रय किए बिना भुगतान किया गया स्थायी शुल्क (₹ करोड़ में)	उच्च दर पर विद्युत क्रय (₹ करोड़ में)	विद्युत क्रय में शुद्ध लाभ का गैर-समायोजन (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	तीनों विद्युत वितरण कंपनियों का सकल इनपुट (एमयू में)	अतिरिक्त व्यय के कारण एसीएस पर प्रभाव (₹ प्रति यूनिट)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ) =(ख) से (च) योग	(ज)	(झ)= (छ / ज)10
2015–16	92.69	208.17	40.15	50.96	0.00	391.97	62,787.6	0.06
2016–17	362.79	336.62	0.00	357.77	1.50	1,058.68	61,123.8	0.17
2017–18	111.51	22.20	8.34	141.24	4.15	287.44	66,284.6	0.04
2018–19	66.76	9.16	91.08	334.68	6.82	508.50	73,015.7	0.07
2019–20	193.49	26.67	296.46	439.36	18.38	974.36	73,150.7	0.13
2020–21	लागू नहीं	104.12	363.87	73.13	0.00	541.12	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	827.24	706.94	799.90	1397.14	30.85	3,762.07		

नोट:- उपरोक्त तालिका में वर्ष वार विभाजन उपलब्ध नहीं होने के कारण ₹ 41.53 करोड़ शामिल नहीं किया गया।

परिशिष्ट 8

(संदर्भ: कंडिका 3.4.6.3)

उपभोक्ताओं की कम बिलिंग के कारण राजस्व की हानि

कमी का विवरण	उपभोक्ताओं की संख्या	लेखा परीक्षा अवलोकन	राशि (₹ करोड़ में)
उपभोक्ता का गलत वर्गीकरण	1	मेसर्स हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट लिमिटेड (उपभोक्ता) का 44,000 केवीए अनुबंधित भार है, जिसे जनवरी 2018 तक एचटी टैरिफ अनुसूची की टैरिफ श्रेणी एचवी—3.1 ² में बिलिंग की जा रही थीं तदुपरान्त, उपभोक्ता के अनुरोध पर (मई 2017), वितरण कंपनी ने टैरिफ श्रेणी को एच वी—3.4 ³ में बदल दिया (फरवरी 2018)। चूंकि, लागू विद्युत प्रभार ⁴ में अंतर था, म.प्र.म.क्ष.वि.वि.क.लि., भोपाल, ने एमपीईआरसी से परामर्श किए बिना (जैसा कि एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित खुदरा टैरिफ आदेश के खंड 1.25 के तहत आवश्यक था), टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति (फरवरी) दे दी। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 2018 से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान ₹ 61.81 करोड़ ⁵ (दोनों श्रेणियों की दरों में अंतर होने के कारण) की राजस्व की हानि हुई।	61.81
	12	विद्युत वितरण कंपनियों में एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 12 एचटी उपभोक्ताओं ⁶ के मामले में गलत टैरिफ श्रेणियां लागू की गई। चूंकि, लागू टैरिफ श्रेणी की दरें सही टैरिफ श्रेणी की तुलना में कम थीं, इसके परिणामस्वरूप कम बिलिंग के कारण राजस्व की ₹ 2.11 करोड़ की हानि हुई थी।	2.11
	20	आपूर्ति संहिता की धारा 4.43 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे एक वर्ष/दो वर्ष से कम अवधि हेतु अस्थायी उद्देश्य हेतु विद्युत की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, वह अस्थायी बिजली आपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है। भवनों/विद्युत संयंत्रों के निर्माण तथा उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन हेतु अस्थाई विद्युत संयोजन की अवधि पांच वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। जबकि 20 ऐसे एचटी उपभोक्ताओं ⁷ के मामले में यह देखा गया कि उन्हें स्थायी विद्युत संयोजन दिए गए थे, जो की निर्माण गतिविधियों में लगे हुए थे एवं अस्थायी विद्युतसंयोजन के लिए पात्र थे। चूंकि, स्थायी विद्युत संयोजन में विद्युत प्रभार दर अस्थायी विद्युत संयोजन की तुलना से कम होती है, परिणामस्वरूप कम बिलिंग के कारण विद्युत कंपनियों को ₹ 6.52 करोड़ राजस्व की हानि हुई।	6.52
विद्युत संयोजन में देरी/जारी नहीं करना	2	कार्यपालक अभियंता, जलसंसाधन विभाग, राजगढ़ को मीटिंग एवं अन्य उपकरण आदि उपलब्ध कराने में आपूर्ति संहिता के प्रावधानों ⁸ का पालन नहीं करने के कारण विद्युत वितरण कंपनी को दिसंबर 2017 ⁹ से नवंबर 2020 तक की अवधि के दौरान ₹ 11.55 करोड़ के स्थाई प्रभार के राजस्व की हानि हुई। इसी प्रकार से, औपसंपी नहर मंडल, धमनोद को एचटी विद्युत संयोजन प्रदान करने में 132 केवी लाइन एवं बे संबद्ध निष्पादन में अत्यधिक विलब ¹⁰ के कारण विद्युत संयोजन 15 अक्टूबर 2017 की जगह जुलाई 2018 से शुरू किया जा सका। परिणामस्वरूप, म.प्र.प.क्ष.वि.क.लि., इंदौर को नवंबर 2016 से जून 2018 की अवधि के दौरान मासिक न्यूनतम शुल्क के ₹ 19.44 करोड़ की हानि हुई।	30.99

2 उपभोक्ताओं की सभी ओद्योगिक श्रेणी पर लागू (कोयला खदानों को छोड़कर खानों सहित)।

3 सघन विद्युत उपयोग पर आधारित उद्योग हेतु लागू इस आधार पर की वे प्रतिरोधक भट्टी प्रयोग कर रहे थे।

4 एचवी 3.4 का विद्युत प्रभार, एचवी 3.1 से कम था।

5 ₹ 388.73 करोड़ के बजाय ₹ 326.92 करोड़ की बिलिंग हुई।

6 पचिलान एवं संघारण वृत्त: इंदौर: मैसर्स डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन— औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को जलापूर्ति के लिए दो विद्युत संयोजनों की बिलिंग एचवी 3.2 के बजाय एचवी 5.1 में की गई। उज्जैन : मैसर्स पार्श्व नाथ डेवलपर्स, मैसर्स झालारिया ट्रस्ट एवं मैसर्स अवितिका युनिवर्सिटी की एचवी 3.2 के जगह क्रमशः एचवी—3.1, एचवी—6.2 एवं एचवी—6.1 के तहत बिल किया गया था। विदिशा: मैसर्स मेडिजी, मैसर्स रमेश स्टील, मैसर्स सिमकॉन एवं मैसर्स ईस्ट मैन इंटरनेशनल की ग्रिड सामंजस्य प्रयोजन के लिए एचवी—3.1 के बजाय एचवी—7.1 के तहत गलत बिलिंग की गई। भोपाल : मैसर्स अशोक कुमार जैन को निजी जलापूर्ति के लिए एचवी—3.2 की जगह एचवी—5.1 के तहत गलत बिलिंग की गई। जबलपुर बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया एवं मैसर्स शिवशक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड को क्रमशः एचवी—3.2 एवं एचवी—3.1 के जगह एचवी—5.2 के तहत गलत बिलिंग की गई।

7 परिचालन एवं संघारण वृत्त: नरसिंहपुर (मैसर्स एनटीपीसी), मंदसौर (मैसर्स जीएचवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स नर्मदा रिसोर्सेज, मैसर्स जय हिंद बिल्डकॉम, मैसर्स जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मैसर्स जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इंदौर (मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन, मैसर्स श्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर), उज्जैन (मैसर्स पी डी अग्रवाल), भोपाल (मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन, ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी), राजगढ़ (एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड—1, एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड—2, श्री तिरुपति बिल्डकॉन एवं जबलपुर (मैसर्स गौर रोड टार प्राइवेट लिमिटेड, राव हेमराज सिंह, मैसर्स राधा कृष्णा कंस्ट्रक्शन))।

8 आपूर्ति संहिता, 2013 के उपवाक्य 4.58 से 4.60 में यह निर्धारित किया गया है कि अतिरिक्त उच्च दाव संयोजन के मामले में, जहां लाइन या सब-ऐंटेशन का विस्तार किया जाना है, अनुज्ञितिधारी तक पहुंच होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर संयोजन संयोजन दे दिया जाएगा। अनुज्ञितिधारी संहिता के उपवाक्य 8.6 में यह भी प्रावधान है कि अनुज्ञितिधारी उपभोक्ताओं को नया संयोजन देते समय मीटर एवं मीटरिंग उपकरण आदि की आपूर्ति करेगा।

9 विद्युत संयोजन देने की नियत लक्षित तिथि दिसंबर 2017 तक थी।

10 उपभोक्ता ने अप्रैल 2016 में एक नए संयोजन के लिए आवेदन किया था, जिसमें वितरण कंपनी को उपभोक्ता से नवंबर 2016 से अर्थात आवेदन से 6 माह पश्चात प्रति माह ₹ 1.08 करोड़ के न्यूनतम निश्चित शुल्क वसूल करने का अधिकार प्राप्त था। जो वास्तव में जुलाई 2018 से प्रभारित किया गया था, जो कि 6 महीने की समय-सीमा के सापेक्ष 20 माह की देरी से वसूला गया।

कमी का विवरण	उपभोक्ताओं की संख्या	लेखा परीक्षा अवलोकन	राशि (₹ करोड़ में)
संचित बकाया	2	<p>आपूर्ति संहिता की धारा 9.14 में प्रावधान है कि यदि कोई उपभोक्ता किसी बिल का पूर्ण भुगतान देय तिथि तक करने में विफल रहता है, तो उस उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित कर दिया जाए।</p> <p>जबकि, राजगढ़ वृत्त, (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल) ने आपूर्ति संहिता के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निरंतर आपूर्ति जारी रखी एवं विच्छेदन में विलम्ब किया गया, जिस कारण से मेसर्स हिंद सिंटेक्स ट्रिमिटेड¹¹ पर ₹ 3.67 करोड़ एवं मैसर्स वैष्णव फाइबर लिमिटेड¹² पर ₹ 7.12 करोड़ का परिवार्य संचय उत्पन्न हो गया।</p>	10.79
	1	<p>म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर के रीवा वृत्त में, बेला सीमेंट प्लांट की एक इकाई को मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूटीसीएल) ने दिनांक 29.07.2017 को अधिग्रहण किया था पश्चातवर्ती फर्म पूर्ववर्ती फर्म के 29.06.2017 से पूर्व के बकाये ₹ 24.75 करोड़ का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं थी। एचटी विद्युत संयोजन अपने नाम पर स्थानांतरित करने हेतु यूटीसीएल ने (जुलाई 2017) में आवेदन किया था जिसे रीवा वृत्त द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि रीवा वृत्त द्वारा यूटीसीएल को विद्युत आपूर्ति इस शर्त पर जारी रखी गयी कि मेसर्स यूटीसीएल के साथ मेसर्स जेपी बेला एवं म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर के मध्य त्रिपक्षीय क्षतिपूर्ति बांड समझौता करना होगा एवं उसको जमा करने के बाद ही पूर्व समझौते का नए फर्म को हस्तानांतरण होगा। मैसर्स यूटीसीएल ने न तो कोई त्रिपक्षीय समझौता किया एवं नहीं कोई क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत किया। जबकि, पुराने उपभोक्ता के नाम पर जारी मासिक बिलों का भुगतान यूटीसीएल द्वारा नियमित रूप से जमा किया जाता रहा था।</p> <p>म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर ने एचटी उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति जारी रखी, जिनके पास न तो स्वीकृत लोड था एवं न ही विद्युत वितरण के साथ कोई वैध समझौता था, जिसके कारण ₹ 24.75 करोड़ के पुराने बकाया की वसूली संदिग्ध प्रतीत है।</p>	24.75
कुल	38		136.97

¹¹ उपभोक्ता ने जनवरी 2016 से नियमित भुगतान नहीं किया। हालाँकि विद्युत आपूर्ति संहिता 2013 के उपवाक्य 9.13 एवं 9.14 के अनुसार वितरण कंपनी द्वारा संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेद नहीं किया गया था। इसके बजाय, विद्युत आपूर्ति सितम्बर 2018 तक जारी रही, जो 14.12.2018 को स्थायी रूप से विच्छेद कर दिया गया था। जनवरी 2016 से सितम्बर 2018 तक निरंतर विद्युत आपूर्ति के कारण राजस्व बकाया बढ़कर ₹ 4.77 करोड़ तक हो गया। जमानत राशि के सापेक्ष ₹ 1.10 करोड़ समायोजित किया गया एवं ₹ 3.67 करोड़ अभी भी लंबित है।

¹² उपभोक्ता जुलाई 2013 से भुगतान करने में नियमित नहीं रहा। बकाया का भुगतान न करने के कारण, 28.07.2013 को अस्थायी रूप से संयोजन विच्छेद कर दिया गया एवं यद्यपि 30.09.2013 को स्थायी विच्छेद का नोटिस दिया गया हालाँकि अधिवक्ता की मौखिक सलाह के आधार पर स्थायी विच्छेदन नहीं किया गया। जिसके कारण कंपनी ने उपभोक्ता की न्यूनतम बिलिंग 31 मार्च 2017 तक जारी रखी एवं जुलाई 2013 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान बकाया राशि ₹ 0.49 करोड़ से बढ़कर ₹ 7.12 करोड़ हो गई, जिसे अब तक वसूल नहीं किया जा सका है।

परिशिष्ट 9

(संदर्भ: कंडिका 3.6.2)

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपक्रम संसाधन प्रणाली में क्रियान्वित नहीं की गई गतिविधियों का विवरण

विद्युत वितरण कंपनियाँ	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपक्रम संसाधन प्रणाली में क्रियान्वित नहीं की गई गतिविधियाँ
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., भोपाल	अवकाश प्रबंधन, क्षेत्रीय पूर्ति प्रबंधन, पुरस्कार विवरण, शिकायत, याचिकाएं, अनुशासनात्मक प्रक्रिया, विदेशयात्रा, प्रशिक्षण के लिए बांड, चल एवं अचल संपत्ति, स्वास्थ्य प्रबंधन, बाहरी प्रशिक्षण विवरण, ट्रेड यूनियन विवरण, यूनियन वातालाप प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद प्रक्रिया का समाधान, डाकप्रबंधन, सेवानिवृत्ति प्रक्रिया, मानव संसाधन नियोजन, प्रशिक्षण—शिक्षाप्रबंधन (प्रशिक्षण), सटीक कार्यनुसार का स्वत उत्पादन, परियोजना का कार्यान्वयन, परियोजना/अनुमानित प्रबंधन जिसमें निगरानी एवं कार्यपूर्णता का विवरण दिया हो, व्यय बुकिंग, परियोजना अवधि, पूंजीकरण, निविदा स्रोत प्रक्रिया, क्रय आदेश प्रबंधन, प्रेषण निर्देश निर्माण प्रक्रिया ¹³ , मांगपत्र जारी करने की प्रक्रिया, क्रय आदेश दर अनुबंध, बिक्री आदेश, क्रय आदेश सुधार प्रक्रिया, टीडीएस/ टीसीएस स्पष्टीकरण निर्गम, नियमावली निर्माण, सेवानिवृत्ति, आवंटन, संपत्ति का मूल्यांकन, क्रय आदेश एवं परियोजनाओं से संपत्ति का पूंजीकरण, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्वर्गीकरण, सामग्रीक सेवानिवृत्ति, लागतों का विभक्तिकरण, दीर्घ अवधि ऋण/ लघु अवधि ऋण की पहचान, ऋणों का निपटान, निधि स्थानांतरण ¹⁴ , बैंक के लेन देन का विवरण, स्वतः/ हस्तचालित मिलान, नियमावली निर्माण/ जर्नल वाउचर का समायोजन ¹⁵ , लागत आवंटन, बजट संगठनों एवं बजट खाता शीर्षों को परिभाषित करना, बजट आवंटन, सरकारी अंकेक्षण ¹⁶ , साविधिक लेखा — परीक्षा एवं अंतरिक लेखा — परीक्षा, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कार्यालयों में लेखांकन, वार्षिक लेखा तैयार करना।
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., जबलपुर	उपक्रम संसाधन प्रणाली के प्राप्ति योग्य खातों के साथ बिलिंग प्रणाली का एकीकरण, बैंक समाधान विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, बजट की तैयारी, लागत आवंटन, लागत विश्लेषण, आदेश प्रबंधन, लाभप्रदता विश्लेषण, लाभ केन्द्रित लेखांकन, बीमा एवं अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, विद्युत क्रय की लागत, स्वचालित अभिकलन व्याज गणना एवं ऋणों पर जुमाने की गणना, आर-15 विवरण, टैरिफ संबंधी विवरण, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तैयार करना, परियोजना योजना एवं समय-निर्धारण, सामग्री नियोजन, खरीद नियोजन, मानव संसाधन नियोजन, उत्तरवर्ती नियोजन, सतर्कता अनापत्ति, व्यक्तिगत विकास योजना, कानूनी संचार, आदेशों का सार, न्यायालीय आदेशों का डेटाबेस, मध्यस्थता, मंचों, सीईए, न्यायाधिकरण, आदि सभी के आदेशों का डेटाबेस, मध्यस्थता, विधिक मत, अधिवक्ता बिल, लोकपाल, सूचना का अधिकार।
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि., इंदौर	टीडीएस/ टीडीएस प्रमाणीकरण सुजन, भुगतान सूजन ¹⁷ , उपक्रम संसाधन प्रणाली के प्राप्ति योग्य खातों के साथ बिलिंग प्रणाली का एकीकरण, निधि अंतरण ¹⁸ , बैंक विवरण एवं स्वतः/ हस्तचालित बैंक समाधान विवरण, नकद प्रवाह विवरण, दीर्घकालिक अल्पकालिक ऋणों एवं निवेशों की पहचान, ऋणों का निपटान, बजट तैयार करने की प्रक्रिया, लागत आवंटन, लागत विश्लेषण, आदेश प्रबंधन, लाभप्रदता विश्लेषण, लाभकेन्द्रित लेखांकन, संपत्तियों की नियमावली निर्माण, क्रय आदेश एवं परियोजनाओं से प्राप्त संपत्ति का पूंजीकरण, सेवानिवृत्ति, आवंटन, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, संपत्ति का पुनर्वर्गीकरण, लागत का विभाजन, बीमा एवं अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान, विद्युत खरीद की लागत, स्वचालित व्याज गणना एवं ऋणों पर जुमाने की राशि गणना, आर-15 विवरण, टैरिफ संबंधी विवरण, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक खातों की तैयारी, परियोजना नियोजन, निष्पादन, निगरानी एवं समापन, क्रय योजना, निगरानी, सोर्सिंग, निविदा, क्रय आदेश प्रबंधन एवं अंतिम समापन। सामग्री नियोजन, मानव संसाधन नियोजन, उत्तरवर्ती योजना, सतर्कता अनापत्ति, व्यक्तिगत विकास योजना, कानूनी संचार, आदेशों का सार, न्यायाकीय सभी आदेशों का डेटाबेस, सीईए, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता, विधिक सलाह, अधिवक्ता बिल, लोकपाल, सूचना का अधिकार, स्थानांतरण प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया, पुष्टिकरण प्रक्रिया, पृथक्करण प्रक्रिया, प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया, कर्मकार मुआवजा प्रक्रिया, पुरस्कार विवरण शिकायत, कानूनी याचिकाय, उन्नयन विवरण, अनुशासनात्मक प्रक्रिया, विदेश यात्रा, प्रशिक्षण के लिए बांड, चल एवं अचल संपत्ति, बाहरी प्रशिक्षण विवरण, ट्रेड यूनियन विवरण, यूनियन पारस्परिक विचार-विमर्श प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद प्रक्रिया का समाधान, डाक प्रबंधन, बाहरी प्रशिक्षण का नामांकन, शिक्षण प्रशिक्षण प्रबंधन (प्रशिक्षण)

¹³ विद्युत खम्भों के अतिरिक्त।

¹⁴ अनुमोदन तक छोड़कर।

¹⁵ पुरानी प्रणाली से स्थानांतरित प्रारंभिक शेष को छोड़कर।

¹⁶ निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिका को शामिल किये बिना।

¹⁷ अनुमोदन तक छोड़कर।

¹⁸ अनुमोदन तक छोड़कर।



©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2022
www.cag.gov.in